शुक्रवार
25 मई 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ४, १९५६

(१५ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ४ में अंक ६१ से अंक ७२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक ६१ से ७२—१५ मई से ३० मई, १९५६)

अंक ६१. मंगलवार, १५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २१९८, २२०१, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२११, २२३२, २२१३ से २२१६, २२१८, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२५, २२२७ और २२२८ २३९९–२४१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१९७, २१९९, २२००, २२०२, २२०३, २२०७, २२०८, २२१२, २२१७, २२२०, २२२२, २२२६, २२२९ से २२३१ और २२३३ से २२४० ... २४१९–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २०३२ से २०८४ और २०८६ से २०८८ २४२६–४४

दैनिक संक्षेपिका **२४४५–४७**

अंक ६२. बुधवार, १६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४१ से २२४५, २२४७, २२४९, २२५२, २२५३, २२५५, २२५६, २२५८, २२५९ और २२६० से २२६६ ... २४४८–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४८, २२५०, २२५१, २२५४, २२५७ और २२६७ से २२७९ २४६८–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २०९८, २१०० से २१०५ और २१०७ से २१४७ २४७३–९३

दैनिक संक्षेपिका **२४९४–९६**

अंक ६३. गुरुवार, १७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८० से २२८२, २२८७ से २२९३, २२९५ से २२९७, २३०० से २३०४, २३०६ से २३१२ और २२८४ २४९७–२५१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८३, २२८५, २२८६, २२९४, २२९८, २२९९, २३०५ और २३१३ २५१९–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४९ से २१७९ २५२१–३१

दैनिक संक्षेपिका **२५३२–३३**

अंक ६४. शुक्रवार, १८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या २३१५, २३१६, २३२३, २३२६, २३२८, २३३०, २३३२ से २३३६, २३३८, २३४०, २३४१, २३४३ से २३४६ और २३४८ से २३५० २५३४–५५

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ २५५६–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३१४, २३१७ से २३२२, २३२४, २३२५, २३२७, २३२९, २३३१, २३३७, २३३९, २३४२, २३४७ और २३५१ से २३५६ २५५८–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२०६ और २२०८ से २२२५ २५६४–८०

दैनिक संक्षेपिका **२५८१–८३**

अंक ६५. सोमवार, २१ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५७, २३५९, २३६२ से २३६८, २३७० से २३७२, २३७४, २३७५, २३७८ से २३८५ और २३८७ २५८५–२६०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५८, २३६०, २३६१, २३६९, २३७३, २३७७, २३८६, २३८८ से २४०२ २६०६–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२६ से २२३२, २२३४ से २२७२ २६१३–२८

दैनिक संक्षेपिका **२६२९–३१**

अंक ६६. मंगलवार, २२ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४०३ से २४११, २४१३, २४१५ से २४१९, २४२१ से २४२५ और २४२७ से २४३० २६३३–५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ २६५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४१२, २४१४, २४२०, २४२६ और २४३१ से २४४१ २६५७–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ से २२८४, २२८६ से २३००, २३०२, २३०३ और २३०५ ... २६६२–७१

दैनिक संक्षेपिका **२६७२–७४**

अंक ६७. बुधवार, २३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २४४२ से २४४४, २४४६, २४४७, २४४९ से २४५३, २४५८, २४६४, २३६६ से २४७०, २४७१–क, २४७१ और २४७२ २६७५–९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २६९४–९७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या २४४५, २४४८, २४५४, २४५५, २४५७, २४५९ से २४६१, २४६५, २४७३ से २४८३ और २४८५ से २४८९ २३९७–२७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३०६ से २३४९ २७०५–२०

दैनिक संक्षेपिका **२७२१–२३**

अंक ६८. शुक्रवार, २५ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१, २४९२, २४९४ से २४९६, २४९८, २५०२, २५०४, २५०९, २५११, २५१३ से २५१६ और २५१८ से २५२१ ... २७२५–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९०, २४९३, २४९७, २४९९ से २५०१, २५०३, २५०५ से २५०७, २५१२, २५१७ और २५२२ से २५२६ ... २७४६–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५० से २३५६ और २३५८ से २३९१ २७५०–६२

दैनिक संक्षेपिका **२७६३–६५**

अंक ६९. शनिवार, २६ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या२५२९, २५३२, २५३५, २५३६, २५३८, २५४२, २५४३, २५४५ से २५५०, २५५३, २५५६ से २५५८, २५६० से २५६२, और २५३७ २७६७–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२८, २५३०, २५३१, २५३३, २५३४, २५३९ से २५४१, २५४४, २५५१, २५५२, २५५५ और २५६३ से २५७२ ... २७८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९२ से २४०४, २४०६ से २४०९ और २४११ से २४१४ ... ... २७९४–२८०२

दैनिक संक्षेपिका **२८०३–०४**

अंक ७०. सोमवार, २८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५७२–क, २५७३ से २५८०, २५८२ से २५८६, २५८९, २६०८ और २५९० से २५९३ ... ... २८०५–२७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०, २१ और २२ २८२७–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५८१, २५८७, २५८८, २५९४, २५९५, २५९५-क, २५९६ से २६०७, २६०९ से २६११, २६१३ से २६१७, २६१७-क, २६१८ से २६२०, २७१० से २७३२ और २७३४ से २७३९ ... २८३२–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ से २४२२, २४२२-क, २४२३ से २४३३ और २५३२ से २५६३ ... ... २८५०–६९

दैनिक संक्षेपिका **२८७०–७३**

अंक ७१. मंगलवार, २६ मई, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६३०, २६३२ से २६३४, २६३६, २६३७, २६३६ से २६४७ और २६५० से २६५२ ... २८७५-६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ २७६७-६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२१ से २६२३, २६३५, २६४१-क, २६४६, २६५३ से २६५८, २६५८-क, २६५८-ख, २६५६ से २६६३, २६६३-क, और २५०८ २८६६-२६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३४ से २४७७, २४७६ से २४८५, २४८५-क, २४८७ से २४६३ २६०५-२४

दैनिक संक्षेपिका २६२५-८८

अंक ७२. बुधवार, ३० मई, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६४ से २६७१, २६७३, २६७३-क, २६७४ से २६७६, २६७८, २६७८-क, २६७६ और २६८० २६२६-४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४, २५, २६, २७, और २८ २६४६-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६७२, २६७७, २६८१ से २६८६, २६८६-क, २६६० से २६६५, २६६५-क, २६६६ से २७०३, २७०५ से २७०६ और २५५६ २६५६-७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४, २४६५, २४६५-क, २४६६ से २५१८, २५१८-क और २५१६ से २५३१ ... ... २६७०-८३

दैनिक संक्षेपिका ... २६८४-८६

बारहवें सत्र का संक्षिप्त विवरण २६८७-८८

M72LSD—190—20-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, २५ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†*२४९१. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कितने पदाधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों में, इस आधार पर कि उनका कार्य प्रशंसनीय था, बड़ी तीव्रता से पदोन्नति की गई तथा उनके पद पहले क्या थे ?

(ख) ऐसे पदाधिकारियों की संख्या तथा पद क्या हैं जिन का ग्रेड यद्यपि सेवा के आरम्भ में ऊंची थी तथापि उसी दौरान में उनके ऊपर अन्य व्यक्तियों को पदोन्नत कर दिया गया क्योंकि उनका काम संतोषजनक नहीं था; और

(ग) पदाधिकारी का काम संतोषजनक है अथवा नहीं इस बात की क्या कसौटी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). केन्द्रीय सचिवालय में उच्च श्रेणी में पदोन्नति गुणिता के आधार पर की जाती है न कि वरिष्ठता के आधार पर । इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोगों की पद वृद्धि पहले हो जाती है तथा कुछ लोगों की बाद में जो वरिष्ठता की दृष्टि से न होती । चूंकि गुणिता सदैव एक सी नहीं रहती अतः एक बार जो व्यक्ति अन्यों की अपेक्षा उच्चतर ग्रेड में हैं उनसे कुछ दिनों बाद दूसरे व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं । इस प्रकार के व्यक्तियों की सूची जो काफी लम्बी है, इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस कार्य के लिये कोई निश्चित कसौटी नहीं है, वास्तव में नहीं हो सकती । अधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं की गुणिता, तथा उच्च पदों पर उन की नियुक्ति की उपयुक्ता चुनाव पदाधिकारियों द्वारा तुलनात्मक आधार पर निश्चित की जाती है ।

†**श्री डाभी** : जिन व्यक्तियों की जल्दी-जल्दी पद वृद्धि हुई है क्या कम से कम उनके अद्वितीय कार्य के बारे में कुछ बताया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : पदोन्नति के लिये चयन करने के सभी मामलों में एक प्रक्रिया विशेष का अवलम्बन किया जाता है। इसकी एक निश्चित व्यवस्था है; एक विभागीय पदोन्नति समिति है जिस में संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य भी होते हैं। उच्च पदों के लिये एक दूसरी भी समिति है जिसका नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा चुनाव बोर्ड है, उस बोर्ड में भी संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य हैं; पहले एक सूची तैयार कर ली जाती है, तदोपरांत धीरे-धीरे नियुक्ति की जाती है।

†**श्री डाभी** : मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार का ऐसा अद्वितीय कार्य किया जिसके कारण उनकी पदोन्नति जल्दी-जल्दी हुई ?

†**श्री दातार** : हमारे पास उनकी रिपोर्ट है, और उसमें बहुत सी बातें दी हुई हैं जैसे अमुक व्यक्ति का कार्य संतोषजनक है, क्या वह समय का पाबन्द है, क्या अन्य दूसरे साथियों के साथ उसके सम्बन्ध उपयुक्त हैं, क्या पदोन्नति के लिये उसमें कोई विशेष गुणावगुण हैं।

†**श्री वी० पी० नायर** : यह स्पष्ट है कि बहुत से पदाधिकारियों की बड़ी जल्दी-जल्दी पदोन्नति की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समिति ने जो इस प्रकार की पदोन्नति के लिये उत्तरदायी हैं पक्षपात, भाई भतीजावाद तथा बिना किसी कारण के पदोन्नति तो नहीं की है इससे बचने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

†**श्री दातार** : इस प्रकार की कोई बात बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे यहां दो समितियां हैं और प्रत्येक संघ लोक सेवा आयोग के एक एक सदस्य होते हैं अतः भाई भतीजावाद आदि की कोई बात पैदा नहीं होती।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : ऐसा व्यक्ति जिस के साथ विभागीय पदोन्नति समिति ने न्याय नहीं किया हो कहां अपील कर सकता है और अपना मामला बता सकता है ?

†**श्री दातार** : वह अपने विभागाध्यक्ष, उस मंत्रालय विशेष के प्रभारी मंत्री तथा अन्त में राष्ट्रपति के यहां अपील कर सकता है।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या यह सच है कि विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों को प्रोमोशन (पदोन्नति) देने से पहले विभिन्न मंत्रालयों से उनके क़ार्य के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, और यदि हासिल की जाती है तो क्या उस पर अम्ल किया जाता है ?

†**श्री दातार** : सब बातों पर विचार करने के बाद ही प्रोमोशन दी जाती है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या गुप्त रिपोर्ट में अमुक कर्मचारी के बारे में जो कुछ लिखा जाता है वह उसे बताया जाता है ?

†**श्री दातार** : जब एक पदाधिकारी के बारे में उससे उच्च पदाधिकारी द्वारा गुप्त रिपोर्ट में कुछ लिखा जाता है तो वह रिपोर्ट लिखने वाले पदाधिकारी से उच्च पदाधिकारी के समक्ष रखी जाती है और यदि उस रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल बात लिखी जाती है तो उसकी सूचना सम्बन्धित पदाधिकारी को दी जाती है और उसका स्पष्टीकरण इसके साथ लगा दिया जाता है।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या जल्दी-जल्दी की गयी पदोन्नति के परिणामस्वरूप जिन का अतिष्ठान किया गया है उनसे कोई शिकायतें मिली हैं ?

†**श्री दातार** : कभी-कभी हमें शिकायतें मिलती हैं, हम उनकी जांच करते हैं और यह देखते हैं कि क्या अतिष्ठान उचित था ?

†**श्री डाभी** : इन श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी की संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या लगभग पांच हजार अतः पदोन्नति अथवा अतिष्ठान प्रायः होता रहता है। इसलिये संख्या बताना बड़ा कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय पुस्तकालय (कलकत्ता)

*२४९२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिस से विभिन्न राज्यों के लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय (कलकत्ता) का लाभ उठा सकें; और

(ख) क्या उस पुस्तकालय की शाखाओं के विभिन्न प्रदेशों में खोले जाने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी । भारत के प्रत्येक प्रदेश में रहन वाली जनता के सदस्यों को पुस्तकें तथा सूचियां बिना किसी फीस या चन्दे के दी जाती हैं, परन्तु जो प्रकाशन वी० पी० पी० द्वारा भेजे जाते हैं उनके लिये डाक खर्च के सम्बन्ध में कुछ नियम व उपनियम बने हुये हैं जिनका पालन किया जाता है । पुस्तकालय के साथ लगे वाचनालय उन सब व्यक्तियों के लिये खुले हैं जिनके पास वाचनालय टिकट होते हैं।

(ख) नहीं, जी ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कलकत्ता चूंकि अब हिन्दुस्तान का सेंटर (केन्द्र) नहीं रहा है और दिल्ली सेंटर हो गया है और प्राय: सभी सूबों के लोग किसी न किसी काम से यहां आते रहते हैं और यहां पर रहते भी हैं, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कलकत्ता से नेशनल लाइब्रेरी को उठाकर दिल्ली ले आया जाये ताकि हिन्दुस्तान के तमाम भागों के लोगों को फायदा पहुंच सके ?

†**डा० एम० एम० दास** : भारत सरकार के सामने इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : माननीय मंत्री मेरी भूल सुधार सकते हैं । मैं उन्हीं की बात इस प्रकार समझा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने कहा था कि 'जी नहीं'; भाग (क) के उत्तर में उन्होंने कहा था कि नेशनल पुस्तकालय के उपयोग के लिय कुछ कार्यवाही की जा रही है.....

†**डा० एम० एम० दास** : जी नहीं; मैंने कहा था कि कार्यवाही की गई है ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : वह क्या ह ?

†**डा० एम० एम० दास** : सभी सदस्यों को चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों न रहते हों पुस्तकें तथा पुस्तक सूची बिना किसी फीस अथवा चंदे के भेजी जाती हैं बशर्ते कि नियमों तथा उप-नियमों में उन पुस्तकों को वी० पी० पी० द्वारा सदस्यों को भेजने के लिये उपबन्ध किया गया हो । पुस्तकालय से सम्बन्धित वाचनालय उन सभी व्यक्तियों के लिये जिन के पास वाचनालय के टिकट हों खुला रहता है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या भारत के किसी भी भाग के अनुसन्धान करने वाले विद्यार्थियों को जो पुस्तकालय में अध्ययन करना चाहते हैं स्थान देने की व्यवस्था है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जी हां; अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों के लिये अलग से एक विशेष कमरा है ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री ने जिस योजना का उल्लेख किया है उससे कितने राज्यों ने तथा कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य की जानकारी बताने वाले आंकड़े हमारे पास हैं किन्तु इस समय वे मेरे पास नहीं हैं।

† **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या विभिन्न विषयों की पुस्तक सूची पुस्तकालय में तैयार की जाती हैं तथा अनुसन्धान करने वालों को मांगने पर डाक द्वारा भेजी जाती हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री दामोदर मेनन** : क्या चीन में हमारे राजदूत ने अप्राप्य एवं बहुमूल्य चीनी पुस्तकें खरीदी थीं और अब वे कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखी हैं और क्या वे अच्छी तरह व्यवस्थित हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ कायदे हैं जिन के अनुसार लोगों को किताबें दी जाती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन कायदों की जानकारी लोगों को कराने के लिये इन्हें विभिन्न भाषाओं में या अंग्रेजी के अखबारों में प्रकाशित कराया गया है ताकि इन कायदों के अनुसार लोग वहां से किताबें मंगा कर पढ़ सकें ?

†**डा० एम० एम० दास** : सभा द्वारा १९५४ में पारित पुस्तक प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस अधिनियम के अनुसार चार पुस्तकालयों को मुफ्त पुस्तकें मिलती हैं जिन में से एक राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता भी है । अन्य दो पुस्तकालयों, एक मद्रास का तथा दूसरा बम्बई का, को भी यह सुविधा दी गई है । इन पुस्तकालयों के नाम हैं : कोनेमारा पुस्तकालय, मद्रास, तथा दूसरा सार्वजनिक पुस्तकालय, टाऊन हाल, बम्बई है जिन्हें मुफ्त पुस्तकें दिये जाने की आज्ञा क्रमशः १० सितम्बर १९५५ तथा ४ नवम्बर १९५५ से प्राप्त हुई है । चौथा पुस्तकालय सेन्ट्रल रेफरेंस पुस्तकालय है जिसकी स्थापना दिल्ली में होगी ।

श्री विभूति मिश्र : मेरा सवाल माननीय मंत्री जी नहीं समझ पाये हैं । मेरा सवाल यह था कि जो सहूलियतें सरकार ने लोगों को इन किताबों को मंगा कर पढ़ने के लिये दी हैं, उन सहूलियतों की लोगों को जानकारी कराने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है ताकि लोग वहां से किताबें मंगा कर पढ़ सकें ?

†**डा० एम० एम० दास** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

अन्दमान द्वीपसमूह

†*२४९४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान निकोबार द्वीप (म्यूनिसिपल बोर्ड) विनियमन का प्रारूप जनता में परिचालित करने के लिये छापा गया था;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या यह सच है कि अन्दमान टापुओं में म्यूनिसिपल बोर्ड के बनाने का जनता ने स्वागत किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) अन्दमान निकोबार द्वीप गजट के २० जनवरी, १९५५ के अंक में ।

(ग) जी, हां ।

(घ) बहुत शीघ्र ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री एस० सी० सामन्त : क्या उस टापू में म्युनिसिपल समिति अथवा म्यूनिसिपेलेटी की अनुपस्थिति में आयुक्त की सहायता के लिये कोई गैर सरकारी निकाय कार्य कर रहा है ?

†श्री दातार : एक परामर्शदात्री निकाय की सहायता से सरकार कार्य कर रही है।

†श्री एस० सी० सामन्त : क्या उस परामर्शदात्री निकाय में उस क्षेत्र के संसद् सदस्य भी हैं ?

†श्री दातार : इस समय मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

†श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस प्रस्तावित म्यूनिसिपल बोर्ड में उत्तर तथा मध्य टापू के लोग होंगे अथवा यह केवल दक्षिण तथा ब्लेयर पत्तन के लिये ही है अथवा तीनों अन्दमान के लिये अलग-अलग म्यूनिसिपेलिटी होंगी ?

†श्री दातार : प्रारम्भ में तो इसका क्षेत्राधिकार ब्लेयर पत्तन तथा इसके समीपवर्ती कुछ गांवों तक ही होगा।

†श्री एस० सी० सामन्त : इस म्यूनिसिपेलिटी के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या होगी ?

†श्री दातार : लगभग २० हजार से २५ हजार तक।

विकास सेवा परियोजनायें

†*२४९५. श्री राम कृष्ण : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ के दौरान में विकास सेवा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये किन किन कालिजों का चुनाव किया गया है;

(ख) क्या इन कालिजों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली): (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ५८]

श्री राम कृष्ण : अब तक इस स्कीम के तहत कितने स्टुडेंट्स (विद्यार्थियों) ने ट्रेनिंग हासिल की है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इसकी तादाद में अभी नहीं दे सकता हूं।

†श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या यह सच है कि बहुत सी जगह, आय व्ययक में निश्चित किये गये धन का व्यय नहीं किया गया है ? क्या विकास सेवा योजनाओं को बढ़ावा देने के लिये सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है ताकि नियत किया गया धन व्यय किया जा सके और परियोजनाओं का विकास हो सके ?

†डा० के० एल० श्रीमाली : वास्तव में कितना व्यय हुआ है ये आंकड़े तो मेरे पास नहीं किन्तु योजना को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किया जायगा।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि सारे देश में २४ विद्यालय इस काम के लिये छांटे गये हैं। क्या उपमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको किस आधार पर छांटा गया है और क्या सारे देश में उन से अच्छे विद्यालय उपलब्ध नहीं हो सकते थे ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इस सम्बन्ध में सारे देश को चार ज़ोन्ज़ (खण्डों) में बांटा गया था और उन में जो प्रमुख विद्यालय थे, उन को ले लिया गया था। ईस्टर्न (पूर्वी) ज़ोन में पांच, नार्दर्न

†मूल अंग्रेजी में

(उत्तरी) ज़ोन में सात, वैस्टन (पश्चिमी) ज़ोन में पांच और सद्रन (दक्षिणी) ज़ोन में सात विद्यालय लिये गये थे । उनके अलावा अगले वर्ष तीस विद्यालय और लिये जा रहे हैं और उन को लेने के बाद कुल तादाद ५४ हो जायगी और इस प्रकार बहुत से कालिज इस ट्रेनिंग स्कीम में आ जायेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : कितने विद्यालयों ने इस योजना के अन्तर्गत लिये जाने की इच्छा प्रकट की थी और उनमें से जिन को नहीं लिया गया, क्या उन को अब ले लिया जायगा ?

डा० के० एल० श्रीमाली : हमारे पास कुछ सीमित फंड्ज (निधियाँ) हैं । सब कालिजिज़ को हम नहीं ले सकते हैं । २४ कालिजिज़ को पहले वर्ष लिया गया था और अगले वर्ष तीस और लिये जा रहे हैं । अगर और फंड्ज होंगे, तो हम सारे देश के कालिजिज़ को ले सकेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इन कालिजों के चुनाव से पहले क्या राज्य सरकारों अथवा विश्व-विद्यालयों से इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये थे ? कितने कालिजों का सुझाव आया था और इनका चुनाव किस के द्वारा हुआ ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इस सम्बन्ध में फाइनल (अन्तिम) चुनाव मिनिस्ट्री (मंत्रालय) ने किया था । मैं समझता हूँ कि जितने प्रमुख ट्रेनिंग कालिज हैं, वे सब इस स्कीम के अन्तर्गत ले लिये गये हैं । अवश्य कुछ कालिज बाकी रह गये हैं, लेकिन जाहिर है कि सब कालिज नहीं लिये जा सकते हैं ।

†**श्री केशव अय्यंगार :** क्या मैसूर के कोई कालिज इस प्रयोजनार्थ चुने गये हैं; और यदि हां तो उन कालिजों के नाम क्या हैं ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** मैं विकास सेवा परियोजना के लिये स्वीकृत कालिजों की सूची सभा पटल पर रखूंगा ।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क नियन्त्रण

†*२४९६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उत्पादकों पर उत्पादन शुल्क नियन्त्रण का वर्तमान व्यवस्था में ग्रामीण पदाधिकारियों के सहयोग की योजना के कार्य संचालन पर पुनर्विचार किया गया है तथा उसकी जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** (क) जी हां ।

(ख) तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क नियन्त्रण की वर्तमान व्यवस्था में ग्रामीण पदाधिकारियों के सहयोग की योजना के कार्यसंचालन के बारे में स्थानीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारियों से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं उनसे पता चलता है कि योजना के प्रथम भाग अर्थात् तम्बाकू उत्पादकों के पंजीयन तथा लाइसेंस देने के मामले में परि ाम प्रोत्साहजनक नहीं हैं । योजना का दूसरा भाग अर्थात् उत्पाद की शनाख्त तथा उत्पादन शुल्क के निर्धारण सम्बन्धी अब तक के प्राप्त परिणाम असंतोषजनक नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या योजना पर पुनर्विचार करने के पश्चात् सरकार योजना का बाद वाला भाग सारे देश में लागू करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** अभी यह कहना समय से बहुत पहले होगा कि यह योजना सारे देश में लागू की जायेगी या नहीं; किन्तु मैं समझता हूं कि यह धीरे-धीरे कुछ अन्य भागों में लागू की जा रही है। जैसा कि मैं अपने मूल उत्तर में बता चुका हूं, जो परिणाम निकले हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि वह पूर्ण सन्तोषजनक है, किन्तु उन्नति बराबर हो रही है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या मैं यह समझूं कि जो योजना लागू की गई थी वह अन्य स्थानों में लागू नहीं की जायेगी ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** मैंने कहा था कि हम इसे अन्य स्थानों में भी चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु अन्य स्थानों में विस्तृत रूप से इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार को विदित है कि बहुत सी तम्बाकू उत्पादन शुल्क का निर्धारण न होने के कारण भाण्डारों में पड़ी हुई है और क्या तम्बाकू के स्टाक को आसानी से बेचने का प्रबन्ध न होने के कारण सरकार को उत्पादन शुल्क में कितनी हानि होगी, इसका कोई अनुमान लगाया है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न होता है। किन्तु फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। तम्बाकू का कुछ स्टाक हो सकता है कि रुका पड़ा हो किन्तु हम उसका शुल्क निर्धारण तभी करते हैं जब कि वह उपभोग के लिये निकाली जाती है। जब तक तम्बाकू गोदाम में रहती है तब तक उसका उत्पादन शुल्क निर्धारित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अन्दमान द्वीप समूह में बसाया जाना

†*२४९८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र के कितने परिवार १९५६–५७ में अन्दमान में बसाये जायेंगे;

(ख) उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जाने वाली है;

(ग) इन परिवारों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये क्या प्रबन्ध है; और

(घ) इन परिवारों का चुनाव किस प्रकार किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) पहले यह अनुमान लगाया गया था कि साफ की गई लगभग ३,००० एकड़ भूमि इस वर्ष इन बसने वालों को आवंटित करने के लिये उपलब्ध होगी। इसी के अनुसार (५ एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से) ६,०० परिवारों के लिये उपबन्ध किया गया था और आन्ध्र के लिये ६० परिवारों का कोटा नियत किया गया था। बाद को पता लगा कि साफ की गई भूमि पहले जितना अनुमान लगाया गया था उससे काफी कम होगी अतः कुछ राज्यों को, जिन में आन्ध्र भी सम्मिलित है, जब तक आवंटन के लिये भूमि उपबन्ध न हो जाय, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ?

(ख) बसाये जाने वालों के परिवारों को दी गई सहायता बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ५९**]

(ग) बहुत कम संख्या वाले लोगों के बच्चों को उनकी मातृ भाषा में शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। आन्ध्र बच्चों को तेलगू पढ़ाने का प्रश्न तभी उठेगा जब कि एक स्थान पर बहुत से आन्ध्र परिवार एकत्र होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अन्दमान प्रशासन के प्रतिनिधि के परामर्श से बसाने वालों के परिवार का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। कम आयु के छोटे परिवार वाले वास्तविक कृषकों को अधिमान दिया जाता है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : आन्ध्र सरकार को जिस समय आफर दिया गया था उस समय जो भूमि उपलब्ध थी उसका क्या हुआ ?

†**श्री दातार** : अनेक कठिनाइयों के कारण भूमि समय के अन्दर साफ नहीं की जा सकी, किन्तु अधिकाधिक सम्भव क्षेत्र को साफ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इन वक्तव्यों में कोई सत्यता है कि अण्दमान में पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अधिक संख्या में लाया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : सम्भवतः माननीय सदस्य ने इसे गलत समझा है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सच है कि हमारी यह इच्छा है कि इस द्वीप समूह में बहुत काफी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी बसाये जायें । जितना स्थान उपलब्ध है उसका तीन चौथाई उनके लिये सुरक्षित रहेगा और एक चौथाई शेष भारत के लिये । इसलिये वैसा कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मात्तन** : क्या नीकोबार द्वीप समूह का उपयोग किया जा रहा है; जो बसाये जाने के लिये अधिक अच्छा है ?

†**श्री दातार** : पहले तो अण्डमान द्वीप समूह को लिया है । उसके तीन चार स्थानों में हम इन कृषक परिवारों को बसा रहे हैं । नीकोबार द्वीप समूह का प्रश्न यथासमय उत्पन्न होगा ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : १९५६ में अब तक कितने परिवार बसाये जा चुके हैं और उनमें पश्चिमी बंगाल के परिवारों की संख्या क्या है ?

†**श्री दातार** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं यह संख्या लगभग १,०४७ है।

टैगौर की जन्म शताब्दी

***२५०२. श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी ने १९६१ में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी मनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समारोह के कार्यक्रम की स्थूल रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास): (क) अकादमी इस विषय पर विचार कर रही है ।

(ख) इस समारोह के कार्यक्रम की स्थूल रूपरेखा अभी नहीं बनाई गई है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या इस सम्बन्ध में केवल विचार ही हो रहा है या कोई योजना भी तैयार की गई है और क्या कोई अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : साहित्य अकादमी ने राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संस्थाओं को जिस प्रकार यह समारोह मनाया जाने वाला है उसके बारे में उनके सुझाव जानने के लिये पत्र भेजे हैं । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि साहित्य अकादमी द्वारा दिये गये सुझाव अस्थायी हैं । वे ये हैं :

समारोह दो प्रकार से मनाया जा सकता है । पहली श्रेणी में ऐसे मद सम्मिलित होंगे जैसे टैगोर की बंगला कृतियों का सामूहिक शताब्दी संस्करण, जिस का प्रकाशन विश्व भारतीय द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

किया जा सकता है, उनकी उन रचनाओं का संकलन जिन का अनुवाद और प्रकाशन भारत की प्रमुख भाषाओं और अंग्रेजी में किया जाना है, सक्षम लेखक द्वारा अच्छी जीवनी लिखना, उनकी चित्रकारी का एक एल्बम प्रकाशित करना, और कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों में बंगला साहित्य के लिये टैगोर अध्ययन विभाग स्थापित करना इत्यादि । दूसरी श्रेणी में साहित्यिक सम्मेलन, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नाटक समारोह, टैगोर की चित्रकला और पाण्डुलिपियों आदि-आदि की प्रदर्शनी सम्मिलित है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष समिति स्थापित की जा रही है, और खास करके क्या इसमें कवि सम्राट् रवीन्द्र जी द्वारा स्थापित विश्वभारती का भी कोई योग लिया जा रहा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं कह चुका हूं कि साहित्य अकादमी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे हैं । चूंकि विश्वभारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है अतः मैं समझता हूं कि विश्व-भारती को भी लिखा जाना स्वाभाविक है । जहां तक इस मामले की वर्तमान प्रक्रम का सम्बन्ध है, साहित्य अकादमी ने साहित्यिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं । ये सुझाव प्राप्त हो जाने पर साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी समिति के सम्मुख रखे जायेंगे और उसका ब्योरा तैयार किया जायेगा ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या साहित्य अकादमी का कार्यक्रम प्रसिद्ध साहित्यिकों के जन्म और मृत्यु तिथियों का समारोह मनाने का है, और यदि हां, तो वे साहित्यकार कौन-कौन हैं जिन के वार्षिक उत्सव साहित्य अकादमी द्वारा मनाये जा रहे हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : मुझे साहित्य अकादमी से जानकारी एकत्र करनी है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समारोह अकादमी के किसी विस्तृत कार्यक्रम का एक रूप है या कि यह अपने प्रकार का एक विशेष समारोह है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जहां तक साहित्य अकादमी द्वारा किये गये अस्थायी सुझावों का सम्बन्ध है, मैं उनका ब्योरा दे चुका हूं । इस समय मुझे और जानकारी नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या साहित्य अकादमी ने इस समारोह के लिये कोई विशेष अनुदान मांगा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं ।

†**श्री एच० एन मुकर्जी** : क्या सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि हिन्दी और सम्भवतः कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में रवीन्द्रनाथ का उपनाम टैगोर दिया गया है जो ठाकुर का भद्दा अंग्रेजी रूप है, और क्या सरकार साहित्य अकादमी के द्वारा यह निदेश देगी कि कवि का उचित नाम रवीन्द्र नाथ ठाकुर ही भारत में सर्वत्र प्रयुक्त किया जाये ?

†**डा० एम० एम० दास** : साहित्य अकादमी स्वयं एक कुशल निकाय है । हम माननीय सदस्य के सुझाव को अकादमी को भेज सकते हैं ।

†**श्री कामत** : "अकादमी" शब्द, जैसा कि यहां लिखा हुआ है उसके अनुसार न तो हिन्दी का है और न अंग्रेजी का ?

†**डा० एम० एम० दास** : यद्यपि योरोपीय साहित्य में शब्द "अकादमी" का अपना इतिहास है, तथापि यही यहां स्वीकार किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सुषमा सेन** : मैं जानना चाहती हूं कि क्या शिक्षा मंत्रालय, सेन्ट्रल हाल में जो बन रहा है, रवीन्द्रनाथ टैगोर का पूरे आकार का चित्र लगाने के प्रश्न पर विचार करेगा और क्या संसद् भवन के सेंट्रल हाल में रवीन्द्र नाथ टैगोर का पूर्ण आकार चित्र लगाने की साहित्य अकादमी की कोई योजना है ?

†**डा० एम० एम० दास** : माननीय महिला सदस्य अपने सुझाव के बारे में साहित्य अकादमी को लिख सकती हैं ।

भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

†*२५०४. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के लेखाओं के महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को सरकार कब पुरुस्थापित करने का विचार रखती है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)**: लेखा परीक्षण के सम्बन्ध में विशद विधान बनाने का विषय विचाराधीन है । इस समय उनके लेखाओं के लेखा परीक्षण के सम्बन्ध में दोनों निकायों में दिये गये उपनियमों द्वारा काम चलाया जा रहा है ।

†**श्री गिडवानी** : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् का क्रमशः वार्षिक व्यय क्या है और इस समय उनके लेखाओं का लेखा परीक्षण कैसे किया जाता है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : व्यय के सम्बन्ध में प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालयों से पूछा जाना चाहिये । लेखे प्रशासी निकाय द्वारा निश्चित किये गये रूप में रखे जाते हैं । पहिले निकाय के सम्बन्ध में, उसके उपनियमों के अनुसार, लेखापरीक्षा नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है । महा लेखापाल परीक्षात्मक लेखा परीक्षा, त्रैमासिक लेखाओं की जांच करके नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक को, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और उसके पश्चात वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाता है । यह हुआ भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के सम्बन्ध में जहां तक भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् का सम्बन्ध है, उसमें भी लेखे प्रशासी निकाय द्वारा निर्धारित रूप में रखे जाते हैं । और सम्मति के आधार पर लेखापरीक्षण महा लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या वे भी सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जब लेखा परीक्षा सम्मति के आधार पर की जाती है तो लेखा परीक्षा-प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं होता ।

†**श्री गिडवानी** : इस सम्बन्ध में सरकार कब विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार करती है ।

†**श्री एम० सी० शाह** : यह विषय वित्त मंत्रालय तक आ गया था किन्तु अन्य प्रविधिक निकाय और कुछ अप्रविधिक निकाय ऐसे थे जिन के लेखापरीक्षण के बारे में भी विचार करना था । अतः इस में कुछ समय लगेगा ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इन दोनों संस्थाओं की एकत्रित निधियां कितनी हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यह प्रश्न उन सम्बन्धित मंत्रालयों से पूछा जाना चाहिये जिन के प्रशासकीय उत्तरदायित्व के अधीन में संस्थायें चल रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुच्छेद ३३९ (१) के अधीन आयोग

†*२५०९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३९ (१) में उल्लिखित आयोग को अभी तक नहीं बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग कब बनाया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) संविधान के लागू होने से दस वर्ष बीत जाने पर आयोग बनाया जायेगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी समय कर सकता है आदि-आदि । अतः उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में जो हो रहा है उसको देखत हुए क्या सरकार इस आयोग के बनाने में शीघ्रता करने के बारे में कुछ विचार रखती है ?

†**श्री दातार** : सरकार का विचार है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो पर्याप्त उन्नति हो रही है और आदिम जाति के लोगों के कल्याण को देखते हुए इस अवस्था में आयोग की स्थापना करना आवश्यक नहीं । अतः दस वर्ष पश्चात् आयोग की नियुक्ति की जायेगी ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा—आपातकालीन भर्ती

†*२५११. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निवेदन किया गया है कि आपातकालीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में ३०० रुपये के निम्नतम वेतन अथवा ३०० रुपये प्रतिमास आय को आवश्यक न समझा जाये या यह शर्त समाप्त कर दी जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) ३०० रुपये प्रति मास की आय अर्हता पर दृढ़ रहने का निश्चय किया गया है ।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री ने, कुछ दिन पूर्व इस विषय पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि एक कसौटी जिस के आधार पर अनुभव का अनुमान लगाया जा सके, यह है कि उससे कितनी आय होती है । सरकार किस तर्क के आधार पर इस निर्णय पर पहुंची है कि किसी व्यक्ति के अनुभव और आय के बीच घनिष्ठ और अटूट सम्बन्ध होता है, जब कि कुछ नये लोग, सम्भवतः एक वर्ष से कम अनुभव के साथ प्रति मास ३०० रुपये से अधिक कमाते हैं, और जब कि २० वर्ष से अधिक सेवा वाले अनुभवी लोग भी हैं जिन को १५० रुपये प्रति मास भी न मिलते हों ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार ने किन कारणों से यह निर्णय किया है । यह भर्ती सामान्य आयु वर्ग से नहीं बल्कि अधिक आयु वाले लोगों की है । सरकार ऐसे लोगों को लेना चाहती है जिन को व्यवसाय या किसी सेवा का कुछ अनुभव है । मैंने कहा है कि यह कुछ गारंटी होगी, यदि, उदाहरण के लिये, कोई व्यक्ति ३०० रुपये कमाता है, तो उसको कुछ अनुभव है । अन्यथा केवल कई वर्षों से किसी व्यवसाय में होना कोई गारंटी नहीं है ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या ११ मई के **हिन्दू** में प्रकाशित अग्रलेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जहां यह कहा गया है कि सरकार की वर्तमान प्रस्थापना से बड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

अनियमिततायें और अन्याय होंगे, और क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों की सेवाओं के लोगों को, जबकि उनकी योग्यतायें केन्द्रीय सेवाओं के लोगों की योग्यताओं के समान हैं;, कम वेतन मिलता है, इस तथ्य के कारण इस मनमाने विचार के परिणामस्वरूप कई अन्याय होंगे ? सरकार इस अन्याय को कैसे हटाना चाहती है ?

†**श्री दातार** : प्रश्न लम्बा होने पर, प्रश्न के साथ आगे बढ़ते-बढ़ते, पूर्व की बातें भूल जाना स्वभाविक है । इसलिये में प्रश्न पूछने वालों माननीय सदस्यों से यथा-सम्भव संक्षिप्त रूप में प्रश्न पूछने की प्रार्थना करूंगा ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : मैं इसे अधिक स्पष्ट रूप से पूछूंगा । क्या समान योग्यता रखने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कम वेतन नहीं मिल रहा है ? इस दृष्टि से क्या वेतन का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हमारा २५–४० वर्ष की आयु के लोगों से सम्बन्ध है । १९४९–५० में की गई आपातकालीन भरती को ध्यान में रखते हुये ३०० रुपये निश्चित किये गये थे । वहां कम से कम ४०० रुपये निश्चित किये गये थे । मैं यह भी बता दूं कि जब केन्द्रीय सचिवालय की उच्च पदालियों में, उदाहरणार्थ प्रथम पदालि के लिये, भरती की गई थी, तो ६०० रुपये निश्चित किये गये थे ।

†**श्रीमती खोंगमेन** : क्या सरकार को इन नियमों में ढील किये जाने के बारे में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों से कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो क्या सरकार उन पर अनुकूल रूप से विचार करेगी ?

†**श्री दातार** : सरकार को बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं, जिन में संसद् सदस्यों के भी बहुत से अभ्यावेदन सम्मिलित हैं । सरकार ने इन सब सुझावों पर बहुत ध्यान के साथ और आदरपूर्वक विचार किया है । जैसा कि इस समय मंत्रणा दी गई है, सरकार समझती है कि यह कुछ गारंटी है कि अभ्यार्थी को कुछ अनुभव है । अन्यथा, यदि ३०० रुपये की यह कसौटी घटा दी जाये, तब संघ लोक सेवा आयोग में भारी संख्या में प्रार्थना पत्र आ जायेंगे । मैं यह भी बता दूं कि अब तक आयोग में लगभग ३०,००० प्रार्थना पत्र आ चुके हैं ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : पक्षपात के आधार पर सरकार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने की सम्भावना की दृष्टि में क्या गृह-कार्य मंत्रालय न विधि मंत्रालय का परामर्श लिया है और यदि हां, तो क्या उस मंत्रालय ने निश्चित रूप से कहा है कि इस प्रकार की शर्त में कोई पक्षपात सन्निहित नहीं है ?

†**श्री दातार** : इस मामले में कोई पक्षपात नहीं किया गया है। हमें कुछ अनुभव वाले लोगों की आवश्यकता है । इसलिये यह संविधान के विरुद्ध नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखता हूं कि कुछ माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये उठ रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने इस मामले की चर्चा के लिये एक घण्टा निर्धारित किया है । माननीय सदस्य उस चर्चा तक अपने प्रश्नों को रोक सकते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने अनुभव नहीं किया कि यह आय सम्बन्धी शर्त संविधान के अनुच्छेद १६ के शब्दों और भावना के विरुद्ध है जिस में राज्य में सब लोगों को नौकरी का समान अवसर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मेरे विचार से यह इस के विरुद्ध नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : एक घण्टे की चर्चा होगी और प्रत्येक माननीय सदस्य को दो मिनट मिल जायेंगे । मैं इसे इस समय एक घण्टे की चर्चा में नहीं बदल सकता ।

†**श्री कामत** : चर्चा कब होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ३० तारीख से पहले ।

त्रावणकोर विश्वविद्यालय

†*२५१३. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर विश्वविद्यालय ने अध्यापकों के वेतन स्तरों और दूसरी सेवा की शर्तों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख). मामला त्रावणकोर कोचीन की सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री ए० के० गोपालन** : क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करवाने के लिये कार्रवाई करेगी ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : हमने त्रावणकोर कोचीन-सरकार और त्रावणकोर विश्वविद्यालय को लिखा है हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि त्रावणकोर-कोचीन के विश्वविद्यालय अध्यापकों को दूसरे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों से कम वेतन मिलता है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : यह सत्य हो सकता है । हमने सभी विश्वविद्यालयों को अध्यापकों के वेतनों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये लिखा है।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री जी ने जिस परिवर्तन का संकेत किया है क्या वह अधिनियम में संशोधन करके किया जायगा ? वर्तमान अधिनियम के अधीन, क्या हम वेतन क्रमों की वृद्धि के बारे में कोई कार्रवाई कर सकते हैं ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : समूचा प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : मैं यह समझा था कि उपमंत्री ने कहा कि त्रावणकोर कोचीन की सरकार उस मामले पर विचार कर रही है । जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त्रावणकोर विश्व-विद्यालय को लिखकर सीधे इस मामले का निवारण कर सकता है, फिर सरकार का कैसे उल्लेख हुआ है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लिखा है कि वह बढ़े हुये का ८० प्रतिशत तक खर्च करने को तैयार है। विश्वविद्यालय पर सरकार को शेष २० प्रतिशत व्यय करना होगा । इस में सरकार और विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार को विदित है कि त्रावणकोर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्राइवेट कालिजों में, अध्यापकों को त्रावणकोर-कोचीन के विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अपेक्षा काफी

†मूल अंग्रेजी में

कम वेतन मिलता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को वेतन वृद्धि की मांग के बारे में विश्वविद्यालय अध्यापक संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

शिशु (नर्सरी) स्कूल

†*२५१४. **श्री रामदास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिशु स्कूलों या बालवाड़ियों पर केन्द्रीय सरकार ने कितना धन खर्च किया है; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये कितना धन रखा गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) विभिन्न राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों को ६,५१,८९२ रुपये का अनुदान दिया गया है । वास्तव में खर्च किये गये धन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस काम के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से कोई धन नहीं रखा गया है ।

†**श्री रामदास** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह स्कीम शहरों तक ही सीमित रहेगी या रुरल एरिया (ग्रामीण क्षेत्रों) के अन्दर भी इसका कोई बन्दोबस्त होगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : शहरों और गांवों दोनों जगहों में इसको लागू किया जायगा ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : ग्रामीण क्षेत्रों और नगरपालिका दोनों में जो धन खर्च किया गया है, उसका ब्योरा क्या है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मुझे ब्योरा मालूम नहीं है, मुझे सूचना चाहिये ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : इन स्कूलों की स्थापना पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : देश में बहुत कम शिशु स्कूल हैं, प्रायः नहीं के बराबर, और वे भी बड़े नगरों में, इस बात को ध्यान में रखते हुये, सरकार ने इन स्कूलों की स्थापना के लिये दूसरी योजना में कुछ धन सम्मिलित करने पर क्यों आग्रह नहीं किया ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : सरकार ने दूसरी योजना में कुछ स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना बनाई है, और शिशु स्कूलों को सहायता उस योजना के अन्दर आती है । अतः दूसरी योजना में शिशु स्कूलों को और उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सहायता दी जायेगी ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : छोटे बच्चों को पढ़ाना बड़े स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाने की अपक्षा अधिक कठिन है । क्या इस पहलू को ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो सरकार इस काम के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं पर क्यों निर्भर करती है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : सरकार का उत्तरदायित्व ८ से १४ वर्ष के बच्चों के बारे में है, जो संविधान में दिया गया है । मैं माताओं से आशा करता हूं कि वे उस आयु से पहले अपने बच्चों की देख भाल करेंगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह व्यय कितने राज्यों के लिये मंजूर किया गया है और इस प्रकार कितने निम्नतम और अधिकतम धन की मंजूरी दी गई है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : क्या मैं सभा पटल पर इस सम्बन्ध में विवरण रखूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

चंडीगढ़ का विकास

†*२५१५. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चंडीगढ़ के विकास के लिये पंजाब सरकार को कोई अनुदान देने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो कितना धन देगी ?

†**उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) तथा (ख). चंडीगढ़ राजधानी के निर्माण के लिये पंजाब सरकार को १ करोड़ रुपये का प्रसादतः अनुदान देने का निर्णय किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में यह अनुदान देने का विचार है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अब तक केन्द्रीय सरकार ने पंजाब की राजधानी के लिये पंजाब सरकार को ऋण के रूप में कितनी राशी दी है और किन शर्तों पर ?

†**श्री बी० आर० भगत** : तीन करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है और इसका उपयोग किया गया है। इसकी शर्तें सामान्य हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या पंजाब सरकार ने संघ सरकार को बताया है कि राजधानी बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से यह अन्तिम मांग है या उनको अधिक धन खर्च करना होगा ?

†**श्री बी० आर० भगत** : उनकी अन्तिम मांग उनके व्यय के अनुत्पादक भाग के लिये अनुदान की मांग थी। सरकार ने इसका परीक्षण किया और उनकी मांग को पूरा करने के लिये हम ने उनको १ करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अब तक पंजाब सरकार ने इस अनुत्पादक व्यय में कुल कितना रुपया लगा दिया है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : योजना आयोग ने योजना अवधि में अर्थात् १९५१–५२ से १९५५–५६ में कुल १२·८ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है, जिसका इस प्रकार वितरण किया गया है : पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये ऋण—२·८ करोड़, राज्य का अंशदान २·५ करोड़ रुपये, स्थानों की बिक्री से अनुमानित आय —४·५ करोड़ रुपये, पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये ऋण के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया ऋण—३ करोड़ रुपये, कुल १२·८ करोड़ रुपये।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : नवीन पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो या पटियाला, इस बड़े विवाद के कारण क्या सरकार राजधानी के बारे में निर्णय होने तक इस अनुदान को रोक रखेगी ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह मुख्यतः स्वयं राज्यों का विषय है।

†**सरदार ए० एम० सहगल** : वह पटियाला के पक्ष में हैं।

मैट्रिक के पश्चात् के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*२५१६. **श्री के० सी० जेना** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों, और आदिम जातियों तथा दूसरे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के पश्चात् के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों के लिये पर्याप्त मात्रा में प्रार्थनापत्रों के फार्म नहीं मिलते; और

(ख) किन अभिकरणों के द्वारा ये फार्म विद्यार्थियों को दिये जाते हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६०**]

†**श्री के० सी० जेना** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कभी-कभी प्रार्थना-पत्रों को विहित प्रपत्रों के समय पर प्राप्त कर सकने की कठिनाई के कारण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के योग्य विद्यार्थियों को उनके ही लिये दी जानेवाली छात्र-वृत्तियों से वंचित रह जाना पड़ता है? इस कठिनाई को देखते हुये, क्या सरकार क्रमशः सब-डिवीजनों और जिलों के स्कूलों के उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों के कार्यालयों में ये विहित प्रपत्र यथेष्ट संख्या में दे सकती है, जिस से कि इसकी इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को बड़ा लाभ होगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : प्रार्थना-पत्रों के विहित प्रपत्र दो प्रकार के होते हैं : एक तो नवीकरण के लिये और दूसरे नयी छात्रवृत्तियों के लिये।

छात्रवृत्तियों के जारी रखने के बारे में प्रार्थना-पत्रों के विहित प्रपत्र उन संस्थाओं के अध्यक्षों के पास रख दिये जाते हैं जहां कि प्रार्थी अध्ययन करते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : संस्थाओं के प्रधानों को ये विहित प्रपत्र कितनी संख्या में दिये जाते हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : १९५५–५६ म लगभग १,६०,००० नये और छात्रवृत्तियों को जारी रखने के विहित प्रपत्र वितरित किये गये थे, और छात्रवृत्तियों के लिये लगभग ५८,००० प्रार्थना पत्र आये थे। इस वर्ष नये और छात्रवृत्तियां जारी रखने के लगभग दो लाख विहित प्रपत्र मुद्रित किये गये हैं; और उनमें से लगभग ७०,००० वितरित भी किये जा चुके हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार ने इन प्रार्थना पत्रों के बारे में देशीय भाषाओं के समाचार पत्रों द्वारा यथेष्ट प्रचार किया है, और क्या उसने अब इन विहित प्रपत्रों को ग्राम कार्यालयों और गांवों की अन्य संस्थाओं के पास भेज दिया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मई के पहले सप्ताह में देश के १४६ प्रमुख समाचार पत्रों में प्रार्थना-पत्र मंगाने के लिये विज्ञापन दिये गये थे। जहां तक छात्रवृत्तियां जारी रखने का सम्बन्ध है, ये विहित प्रपत्र उन संस्थाओं के अध्यक्षों के पास भेज दिये गये हैं जिन में कि प्रार्थी अध्ययन करते रहे हों। जहां तक नये प्रार्थना पत्रों का सम्बन्ध है, वे तो सभी राज्य सरकारों, संसद् सदस्यों, विश्व विद्यालयों, मैट्रिक की पढ़ाई के बाद की संस्थाओं और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दे दिये गये हैं।

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : पिछले वर्ष सरकार ने अन्तिम रूप से यह निश्चित करने में कितने महीने लगाये थे कि ये छात्र वृत्तियां किन व्यक्तियों को दी जायें, और ये छात्र वृत्तियां कब और कैसे दी जाती हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : निर्णय करने में कोई बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन कभी-कभी हमारे पास आने वाले प्रार्थना-पत्र नियमानुकूल नहीं होते और कभी-कभी उनमें से कुछ खास बातों को छोड़ दिया जाता है और उसके लिये लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, जिस में कुछ समय लग जाता है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार यह जानती है कि ऐसी छात्र-वृत्तियों के लिये प्रार्थना-पत्रों भेजने के इच्छुक विद्यार्थियों को इन विहित प्रपत्रों को भेजने में बहुत अधिक विलम्ब होने से विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या के लिये कठिनाई पैदा हो जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : हम प्रार्थना पत्रों के इन विहित प्रपत्रों को प्रार्थियों को देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यही नहीं, प्रार्थियों के लिखने पर, हम सीधे उनके पास भी इन प्रपत्रों को भेज देते हैं।

†**श्री अच्युतन** : क्या सरकार इन विहित प्रपत्रों को विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों को भेजने का प्रबन्ध करेगी ? क्या गत वर्ष—१९५५ में— इस प्रकार की भी कोई शिकायत आई थी कि जिन विद्यार्थियों ने इन विहित प्रपत्रों के लिये प्रार्थना की थी वे उन्हें नहीं मिले ?

†**डा० एम० एम० दास** : प्रार्थना-पत्रों के ये विहित प्रपत्र राज्य सरकारों को अर्थात् राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालयों को भेजे जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये प्रपत्र संसद् सदस्यों, विश्वविद्यालयों, मैट्रिक के बाद की शिक्षा की संस्थाओं, और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को भी भेजे जाते हैं।

†**श्री नम्बियार** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ये प्रपत्र प्राप्य नहीं हैं, क्या सरकार ठीक ठीक रूप में और निर्धारित अवधि के अन्दर किसी निजी अभिकरण द्वारा मुद्रित प्रपत्रों को मान्यता देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनकी अपनी ही इच्छा से।

†**डा० एम० एम० दास** : क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या टाइप किये गये प्रार्थना पत्रों की अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री नम्बियार** : टाइप किये हुये, या किसी निजी अभिकरण द्वारा मुद्रित किये हुये।

†**डा० एम० एम० दास** : मैं इस विषय में ठीक ठीक नहीं कह सकता और न कोई वचन दे सकता हूं, लेकिन मेरा विचार है कि सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिये।

†**श्री यू० एन० त्रिवेदी** : क्या संघ सरकार पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण में हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों की गणना भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है और ऐसे विभिन्न वर्गीकरणों का कोई भी औचित्य नहीं है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह एक बडा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन यह वर्तमान प्रश्न क क्षेत्र में नहीं आता।

हिन्दी-अंग्रेजी कोष

*२५१८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी प्रामाणिक कोष तैयार करने का काम पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) अंग्रेजी-हिन्दी कोष की पाण्डुलिपि १९५६ के अन्त तक तैयार हो जायेगी, ऐसी आशा है। हिन्दी-अंग्रेजी कोष बनाने का काम अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस काम को कौन सी एजेंसी (अभिकरण) के जिम्मे दिया है।

डा० के० एल० श्रीमाली : हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान कल्चर सोसायटी के जो शब्द होंगे वे हिन्दी के होंगे या उर्दू के ।

डा० के० एल० श्रीमाली : जी नहीं, हिन्दी के ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार उस पुस्तक की अनुमानित कीमत बता सकती है, क्योंकि उस पुस्तक को साधारण जनता के लिये सुलभ बनाने की आवश्यकता है और यदि उसकी कीमत बहुत अधिक रखी जाती है तो यह सम्भव नहीं हो सकेगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मैं उसकी अनुमानित कीमत नहीं बता सकता क्योंकि हमें अभी उसके आकार के सम्बन्ध में पता नहीं है । पुस्तक मिलने के बाद ही, उसकी कीमत निर्धारित की जा सकेगी ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या हिन्दी और भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के शब्दों के कोष तैयार करने की भी ऐसी ही कोई योजना है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जी हां, यह विषय साहित्य अकादमी को सौंप दिया गया है । साहित्य अकादमी ने निर्णय किया है कि इस शब्द कोष के प्रकाशित होने के बाद, वे उस कार्य को करेंगे ।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : इस सम्बन्ध में अभी तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : हम अकादमी को ६०,००० रुपये अदा कर चुके हैं । उसे कुछ और भी धन की आवश्यकता थी । उसने ४०,००० रुपया मांगा है, जिस में से २०,००० रुपये की पहली किस्त अदा की जा चुकी है ।

श्री कामत : इस शब्द कोष की पांडुलिपि में कितने वैज्ञानिक और तांत्रिक शब्दों का समावेश किया गया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : कितने शब्द होंगे कितने नहीं होंगे, इसकी पूरी सूचना मैं इस समय नहीं दे सकता ।

श्री कामत : कब तक दे सकेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह हिन्दुस्तानी कल्चरल सोसायटी वही है जिस के कुछ शब्द यहां पर बताये गये थे जैसे बिचबिन्दी खोली आदि और यदि हां, तो इस सोसायटी को यह कार्य क्यों सौंपा गया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं आनरेबल मैम्बर (माननीय सदस्य) को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो डिक्शनरी (शब्द कोष) तैयार की जायगी उसमें उस तरह की ही हिन्दी होगी जिसका कि हम ने कांस्टीट्यूशन (संविधान) में निर्णय किया है । एक कमिटी भी नियुक्त की गई है जिस में हिन्दी के विद्वान हैं जो कि इन सब चीजों को देखेंगे और अच्छी तरह से जांच करेंगे । इस वास्ते जो भय प्रकट किया गया है उस प्रकार के भय की कोई आवश्यकता नहीं है ।

देहाती उच्च शिक्षा योजना

†***२५१९. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहाती उच्च शिक्षा योजना की पाठ्यक्रम समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६१**]

श्री राम कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि कितना काम हुआ, इसका अनुमान करने के लिये अब तक गवर्नमेंट ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : गवर्नमेंट ने एक नेशनल काउंसिल फार रुरल हायर एजूकेशन (देहाती उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्) नियुक्त की है और इस काउंसिल द्वारा कुछ इन्स्टीट्यूशंस (संस्थाओं) के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या ये सिफारिशें राज्य सरकारों के पास उनकी राय जानने के लिये भेज दी गई हैं, और यदि, हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों के सम्बन्ध में अपनी राय भेजी है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मैं बता चुका हूं कि सरकार देहाती उच्च शिक्षा की एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना कर चुकी है। हमने सभी राज्य सरकारों को इस विषय में उनके सहयोग के लिये लिख दिया है। परिषद् निर्णय कर चुकी है और उसने देहाती संस्थाओं के विकास के लिये दस संस्थाओं को अनुदान भी दिये हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : यह परिषद् विभिन्न राज्यों के हाती क्षेत्रों में किस प्रकार स कार्य करती है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : देहाती क्षेत्रों के लिये अलग से राज्य परिषदें नहीं हैं। केन्द्र में ही देहाती शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय परिषद् है, जो देहाती क्षेत्रों में काम करने वाली मौजूदा संस्थाओं को विकसित करने का प्रयत्न कर रही है। नयी संस्थाएं स्थापित नहीं की जा रहीं। देहाती क्षेत्रों में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या देहाती उच्च शिक्षा पाने वाले इन विद्यार्थियों को प्रविधिक शिक्षा देने की कोई व्यवस्था की जायेगी, और क्या उस शिक्षा का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चलने वाले देहाती औद्योगिक विकास के कार्यक्रम के साथ समायोजन किया जायेगा ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : इसे ठीक इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है।

मलाया में भारतीय उपाधियों को मान्यता

†*२५२०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मलाया सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता देने के सम्बन्ध में अब स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : सिंगापुर सरकार और मलाया संघ इग्लैंड की जनरल मेडीकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टरी की उपाधियों और मलाया विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी ही कुछ अन्य उपाधियों के अतिरिक्त, भारतीय विश्व विद्यालयों की अन्य किसी भी उपाधि को मान्यता नहीं देता। भारत सरकार अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के जरिये मलाया विश्व-विद्यालय द्वारा भारतीय उपाधियों को मान्यता दिये जाने का प्रयास बराबर कर रही है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर वहां की सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** भारत सरकार की प्रतिक्रिया, या मलाया सरकार की ?

†**श्री श्रीनारायण दास :** मलाया ।

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** हम उसमें सफल नहीं हुए । हम प्रयत्न कर रहे थे । लेकिन, इस विषय के सम्बन्ध में लगता है कि वे अपनी ही बात पर डटे हुए हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती :** माननीय उपमंत्री के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि इंग्लैंड द्वारा स्वीकृत किये जाने के आधार पर वे हमारी डाक्टरी की उपाधि को स्वीकार कर लेते हैं, और इस बात को देखते हुये कि हमारे विश्व विद्यालयों की कई उपाधियां इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों द्वारा मानी जाती हैं, मलाया विश्वविद्यालय उन्हें मान्यता क्यों नहीं देता ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकता कि मलाया सरकार हमारी उपाधियों को क्यों मान्यता नहीं दे रही है । इसका उत्तर तो मलाया सरकार ही दे सकती है । हम मलाया के विश्वविद्यालयों और वहां की सरकार को इस बात के लिये सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे हमारी उपाधियों को मान्यता दे दें । हमारे प्रयत्न ज़ारी हैं ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मलाया सरकार ने किस आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता नहीं दी है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** उन्होंने हमारी उपाधियों को मान्यता न देने के कोई भी कारण नहीं बताये हैं ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या हमने मलाया के विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता दी है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** मेरा विचार है कि दिल्ली, पंजाब, और कलकत्ता जैसे हमारे कुछ विश्वविद्यालयों ने मलाया के पोस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन को मान्यता दे दी है, और उसे बी० ई० तथा एम० बी० बी० एस० उपाधियों के पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश पाने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों को इन्टरमोजियेट परीक्षा के बराबर मान लिया है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या मैं.....

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । अभी कई और महत्वपूर्ण प्रश्न शेष हैं ।

भारत-पाकिस्तान वित्तीय समस्यायें

†*२५२१. **श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और भारत के सचिवालयों के अधिकारियों के बीच भारत के प्रति पाकिस्तान के शेष ऋणों के सम्बन्ध में ८ से १० मई, १९५६ तक दिल्ली में वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) बैठक की समाप्ति पर ज़ारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६२**]

†**श्री गिडवानी :** संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने, वाले और दोनों देशों पर प्रभाव डालने वाले मामलों, विशेषकर अभी तक के शेष मामलों पर बात-चीत की गई थी । क्या उस सम्मेलन में भारत के ३०० करोड़ रुपये के उस दावे पर भी चर्चा हुई थी

†मूल अंग्रेजी में

जो अविभाजित भारत के लोक ऋण के भाग के रूप में पाकिस्तान से किया गया था, और जिस के लिये भारत सरकार ने दो वर्ष पूर्व अपने आय व्ययक में नौ करोड़ रुपये की राशि रखी थी, और जिस के लिये पाकिस्तान के आय व्ययक में भी भारत को अदा करने के लिये पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी ?

†**श्री एम० सी० शाह :** कुछ मदों पर चर्चा हुई थी। यह एक मुख्य मद थी, जिस पर चर्चा का कोई प्रश्न ही नहीं था। हम कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत को ३०० करोड़ रुपये देने हैं क्योंकि वह विभाजन ऋण है और उसे १५ अगस्त, १९५२ से आरम्भ हो कर ५० किस्तों में अदा किया जाना है। हम यह भी जानते हैं कि हमने दो वर्ष पूर्व अपने एक आय व्ययक में पाकिस्तान से वसूल किये जाने वाले धन के रूप में नौ करोड़ रुपये रखे भी थे। उसके बाद, हमने और अधिक राशि भी उसके लिये रखी है। लेकिन, फिर भी, हमें अभी तक एक भी पाई नहीं मिली है। हमें यह भी मालूम था कि पाकिस्तान के आय व्ययक में भी दो करोड़ रुपये की एक राशि—और यदि मैं ठीक ठीक कहूं तो पांच करोड़ रुपये की एक राशि—इसकी अदायगी के लिये रखी गई थी। पाकिस्तान सरकार ने हमें अभी तक एक भी पाई नहीं दी है।

†**श्री गिडवानी :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या सम्मेलन में इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि चर्चा का कोई प्रश्न ही नहीं था। दोनों पक्ष उसे मानते हैं।

†**श्री गिडवानी :** यदि दोनों उस पर सहमत हैं, तो क्या उनसे अदा करने के लिये कहा गया था ?

†**श्री एम० सी० शाह :** यह एक सचिवों की बैठक थी। शायद माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत सरकार के वित्त मंत्री ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री को इस विषय पर चर्चा करने के लिये भारत आने का निमंत्रण दिया था। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने इस पर यह सुझाव दिया था कि उनकी बैठक से पूर्व वित्त सचिवों की एक बैठक हो जानी चाहिये। भारत और पाकिस्तान दोनों ही की ओर से तमाम मदें हैं, जिन पर चर्चा आवश्यक थी। उन पर ही चर्चा की जानी थी।

†**श्री गिडवानी :** क्या अतिरिक्त युद्ध सामग्री की बिक्री से पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार द्वारा वसूली की गई सैनिक सामान की बिक्री की राशि के भारत को अदा किये जाने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी, या नहीं ?

†**श्री एम० सी० शाह :** मेरे विचार में, दोनों प्रतिनिधि मंडलों—भारतीय प्रतिनिधि मंडल और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल—को अपनी सरकारों को इसका ब्यौरा देना है। इसलिये, मैं समझता हूं कि वहां होने वाली चर्चा के विषय पर बात करने से कोई लाभ नहीं। जो भी हो, वे सम्बन्धित वित्त मन्त्रियों के अनुमोदन के ही अधीन हैं। और फिर, वे केवल प्रारम्भिक बातचीत ही थीं जिस से कि बाद में भारत सरकार और पाकिस्तान के वित्त मंत्री उन विषयों पर चर्चा कर सकें।

†**श्री गिडवानी :** सम्मेलन का वास्तविक परिणाम क्या निकला ?

†**श्री एम० सी० शाह :** वास्तविक परिणाम विज्ञप्ति में दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण

†*२४९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सुझाव पर हैदराबाद नगर में कम आमदनी वाले समूह में महिलाओं का कोई सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रयोजन क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह सर्वेक्षण कम आमदनी वाले समूह की महिलाओं के कल्याण के लिये, नगरीय परिवार कल्याण के लिये एक उचित योजना बनाने के लिये किया गया है ।

ओलिम्पिक खेल

†*२४९३. **श्री एम० इसलामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेलबोर्न में इस वर्ष होने वाले ओलिम्पिक खेलों में भारत भाग ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत किन खेलों में भाग ले रहा है;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में खेल कूद संगठनों को किसी प्रकार की सहायता दे रही है;

(घ) यदि हां, तो सहायता किस हद तक दी जा रही है; और

(ङ) ओलिम्पिक खेलों के लिये भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ). इस सम्बन्ध में भारतीय ओलिम्पिक एसोसियेशन से ब्यौरे प्रस्ताव सहित और उनके क्रियान्विति के अनुमानित व्यय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ङ) सरकार का इरादा है कि ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने वाली टीमों के प्रशिक्षण के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन (राष्ट्रीय खेल संघ) के अनुरोधों पर विचार किया जाय ।

स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास

†*२४९७. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वाधीनता का इतिहास लिखने के लिये नियुक्त सम्पादक मंडल के पथ प्रदर्शन में तैयार किया गया स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास के प्रथम भाग का प्रारूप शिक्षा मंत्रालय को स्वीकार नहीं था ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : जी, नहीं ।

समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड, राजस्थान

†*२४९९. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है राजस्थान में गठित राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य समाज कल्याण बोर्ड में किसी सदस्य की नियुक्ति करने के लिये मुख्य कसौटी यह है कि उस व्यक्ति का समाज कल्याण के क्षेत्र में कितना अनुभव है। कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है कि बोर्डों में किसी विशिष्ट गुट अथवा जाति के प्रतिनिधि लिये जायें।

सैनिकों के लिये निवास-स्थान

†*२५००. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, पेप्सू, और राजस्थान में स्थित सैनिकों के लिये मकान आदि बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे निवास स्थान बनाये जायेंगे; और

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस मद पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब में अम्बाला, अमृतसर, जालन्धर और पठानकोट; पेप्सू में कपूरथला, पटियाला, नाभा और संगरूर; और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, और कोटा।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि म जिन मकानों के निर्माण की आवश्यकता संभाव्य है, उनके लिये योजनायें बनाई जा रही हैं। कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी इसका निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा।

राजस्थान में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

*२५०१. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में एक सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां पर स्थापित किया जायेगा;

(ग) उस पर कितना खर्च किया जायेगा;

(घ) इस केन्द्र के अन्तर्गत लगभग कितना क्षेत्र आयेगा; और

(ङ) क्या इस केन्द्र के आस पास स्थित गांवों को भी खाली कराया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के उम्मीदवार

†२५०३. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९४५ में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर चुने गये और डाक्टरी परीक्षा में उत्तीर्ण पाये गये ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिन्हें कि स्थान न होने के कारण नियुक्त नहीं किया जा सका ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : ऐसे उम्मीदवारों की संख्या ८७ है जो संघ सेवा आयोग द्वारा नवम्बर १९४५ में ली गई भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा और सम्बद्ध सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर चुने गये थे और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक थे किन्तु जिन्हें स्थान न होने के कारण नियुक्त किया नहीं जा सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला सर्वेक्षण संस्था, बिलासपुर

*२५०५. **श्री जांगड़े :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर में स्थित कोयला सर्वेक्षण संस्था की अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : आवश्यक जानकारियों से युक्त एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६३]**

बिहार में बहु प्रयोजनीय स्कूल

†*२५०६. **श्री देवगम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां १९५६–५७ में बहु प्रयोजनीय स्कूल खोले जाने वाले हैं;

(ख) इन स्कूलों में कौन से विशेष विषय पढ़ाये जाते हैं; और

(ग) १९५६–५७ के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार राज्य को मंजूर किये गये सहायक अनुदान की राशि कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** (क) और (ख). १९५६–५७ में बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के सम्बन्ध में बिहार सरकार से अब तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्वाचन याचिकाएं

†*२५०७. **श्री बी० एन० कुरील :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण निर्वाचन के बाद दायर की गई ऐसी निर्वाचन याचिकाओं की संख्या कितनी है जिन के बारे में अन्तिम निर्णय देने में तीन वर्ष से अधिक समय लगा; और

(ख) १९५२ में दायर की गई ऐसी निर्वाचन याचिकाओं की संख्या कितनी है जिन का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) :** (क) तेरह ।

(ख) चार ।

आदिम-जाति कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

*२५१२. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम-जाति कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की स्थापना कब तक हो जाने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** शीघ्र ही ।

अन्दमान द्वीप समूह में लोगों को बसाना

†*२५१७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान के विकास और वहां लोगों को बसाने के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्दमान में अब तक कितने कृषक परिवार बसाये गये हैं; और

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत साफ की गई वन्य भूमि कितने एकड़ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १०४१ परिवार

(ख) ५४५० एकड़ ।

मध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियां

†*२५२२. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) संसदीय कार्य विभाग के जरिये आवश्यक जानकारी अलग से सभा पटल पर रखी जायेगी ।

त्रावणकोर विश्व-विद्यालय

†*२५२३. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में ऐसे कालिजों की संख्या कितनी है जिन्हें त्रावनकोर विश्व विद्यालय से सम्बद्ध नहीं किया गया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित-जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

†*२५२४. **श्री देवगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसचित-जातियों और आदिम-जातियों के आयुक्त का वर्ष १९५५ का प्रतिवेदन संसद् सदस्यों को कब उपलब्ध किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : प्रतिवेदन मुद्रित हो रहा है और प्रेस से मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होते ही उसे संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रख दिया जायेगा ।

वृद्ध और अपंग कलाकार

†*२५२५. **श्री के० सी० जेना** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन वृद्ध और अपंग कलाकारों को आर्थिक सहायता दने के लिये कोई योजना है जिन्होंने भारतीय कला के विकास में योगदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो १९५२ से अब तक जिन कलाकारों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है उनके नाम राज्यवार क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक निम्न ५ कलाकारों को आर्थिक सहायता दी गई है:

(१) श्री कन्हैया लाल वफा (उत्तर प्रदेश) ।

(२) श्री खुरशीद हसन खान (दिल्ली) ।

(३) श्री बिम्बधर वर्मा (उड़ीसा) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) श्री के० माधव मेनन (त्रावनकोर-कोचीन) ।

(५) श्री अर्धेन्दु प्रसाद बनर्जी (पश्चिमी बंगाल) ।

इन में से केवल प्रथम दो कलाकारों को सरकार से बराबर आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है । श्री वर्मा का निधन हो गया; श्री मेनन ने सहायता जारी रखी जाने के लिये आवेदन नहीं किया और श्री बनर्जी को सहायता देना इसलिये बन्द कर दिया गया है क्योंकि यह ज्ञात हुआ है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है ।

जापान के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

†*२५२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान के साथ अधिक निकट सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये १९५५ में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** जापान के साथ निकटतर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये १९५५ में की गई कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है; **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६४]**

छंटनी किये गये कर्मचारी

†२३५०. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १ अप्रैल, १९५५, से १ अप्रैल, १९५६ तक केन्द्रीय सरकार के जिन असैनिक कर्मचारियों की छंटनी की गई है उनकी संख्या कितनी है;

(ख) इस छंटनी के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार कब तक दिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) ३९७०

(ख) छंटनी के कुछ कारण इस प्रकार हैं :

(१) संस्थापनों की संख्या में कमी ।

(२) कार्यालयों का बन्द किया जाना ।

(३) गोदामों तथा अन्य उपक्रमों का बन्द किया जाना ।

(४) प्रतिरक्षा मंत्रालय के मामले में, कुछ यूनिटों में असैनिक कर्मचारियों के स्थान में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का रखा जाना ।

(ग) १४४७ कर्मचारियों को फिर से रख लिया गया है । दूसरों को पुनः नौकरी देने के लिये प्राथमिकता दी गई है किन्तु अभी उन्हें नौकरियां मिली नहीं हैं । उन सबको रोजगार देने के लिये कितना समय लगेगा, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

बीमा समवाय

†२३५१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जारी किये गये जीवन बीमा अध्यादेश के अन्तर्गत जीवन बीमा समवायों का प्रबन्ध संभाल लेने के लिये सरकार ने अभिरक्षक नियुक्त किये हैं;

(ख) नियुक्त किये गये अभिरक्षकों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन अभिरक्षकों के कर्त्तव्य क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) हां ।

(ख) ५१ ।

(ग) सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार विभिन्न बीमेदारों का नियंत्रित व्यवसाय संभालना और उसका प्रबन्ध करना—ये अभिरक्षकों के कर्त्तव्य हैं ।

राज्य केन्द्रीय और जिला पुस्तकालय

†**२३५२. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में प्रत्येक राज्य में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय खोलने के लिये कुल कितनी राशि के अनुदान स्वीकृत किये गये हैं;

(ख) किन किन स्थानों पर ये पुस्तकालय खोले गये हैं;

(ग) जिला पुस्तकालय खोलने के लिये अनुदानों की कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(घ) किन किन स्थानों पर ये पुस्तकालय खोले गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६५**

इंजीनियरिंग के ग्रेजुयेट

२३५३. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९५५ की अवधि में देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों से कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुयेट (वर्षवार) निकले;

(ख) इस समय देश में इंजीनियरिंग ग्रेजुयेटों की संख्या कुल कितनी है; और

(ग) ऐसे ग्रेजुयेटों में से कितने बेरोज़गार हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० क० एल० श्रीमाली) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६६**]

संश्लेषित औषधियां

†**२३५४. श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह सुझाव दिया है कि संश्लेषित औषधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा; और

(ग) अन्य सदस्य राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव का कहां तक समर्थन किया ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) से (ग). यह सच नहीं है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, संश्लेषित औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है ।

मादक औषधियों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अयोग के ११वें सत्र में, जो हाल ही में जनेवा में समाप्त हुआ है, भारतीय प्रतिनिधि ने एक संकल्प प्रस्तुत किया जिस में सदस्य देशों से यह सिफारिश की गयी थी कि चिकित्सा और वैज्ञानिक गवेषणा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये सब मादक औषधियों––चाहे वे प्राकृतिक हों या संश्लेषित—जो कि लोक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक नहीं है, के उत्पादन, वितरण और प्रयोग का निषेध करने की नीति अपनाई जाय । यह संकल्प कनाडा और रूस के प्रतिनिधियों के विस्तृत संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोंड

†२३५५. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न-संख्या १४४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंड मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के निवासी माने जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे मान्यता प्राप्त अनुसूचित आदिम जातियों में से हैं ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) संविधान (अनुसूचित आदिम-जातियां) आदेश, १९५० के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ विशेष भागों में उन्हें अनुसूचित आदिम-जातियों के तौर पर मान्यता दी गई है । परन्तु होशंगाबाद जिले में उन्हें अनुसूचित आदिम जाति नहीं माना गया ।

औद्योगिक वित्त निगम

†२३५६. **श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त करने के लिये आसाम राज्य से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये; और

(ख) प्रत्येक आवेदन पत्र पर कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** (क) १९५३ में केवल एक ।

(ख) बिल्कुल नहीं ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

†२३५८. **श्री झूलन सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय को जो राशि दी गई थी उसे वह व्यय नहीं कर सका है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** जी, हां ।

वैज्ञानिक कार्यों में समन्वय लाने के लिये मंत्रणा समिति

†२३५९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में वैज्ञानिक कार्य का समन्वय करन के लिये मंत्रणा समिति ने क्या कार्यवाही की; और

(ख) उसके परिणाम क्या हुये ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) तथा (ख). वैज्ञानिक कार्य समन्वय करने वाली समिति, जिस में केन्द्रीय मंत्रालयों और वैज्ञानिक कार्य से सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधि हैं, का कार्य निरन्तर जारी रहने वाला है । नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न १९५४–५५ में समिति के समक्ष रखे गये थे और उसके निर्देश प्राप्त किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संगठनों द्वारा वैज्ञानिक कार्य में पुनरावृत्ति रुक गई है । समिति के एक निर्देश के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गयी है कि वैज्ञानिक संगठनों को उसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य संगठनों की कार्य प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राथमिक शिक्षा

†२३६०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने अपने क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** १९५३–५४ में १६ राज्यों के कुछ भागों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी । एक विवरण जिस में प्रत्येक राज्य के ऐसे नगरों और ग्रामों की संख्या बताई गई है सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६७]**

युनैस्को

†२३६१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनैस्को से सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यपालिका बोर्ड ने युनैस्को द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परियोजनायें स्वीकार कर ली हैं और कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६८]**

लेखा और लेखा परीक्षा को अलग अलग करना

†२३६२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री २३ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके पश्चात लेखे को लेखा परीक्षा से अलग करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) :** नवम्बर १९५५ के पश्चात केन्द्रीय सरकार के एक अन्य विभाग अर्थात् लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग में भी लेखा और लेखा परीक्षा अलग करने की योजना आरम्भ की गई है ।

सशस्त्र बल

†२३६३. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक भारत में मंत्रालय ने सशस्त्र बल के कितने पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की;

(ख) उसके कारण; और

(ग) ऐसे कितने मामले अभी लम्बित हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) दो ।

सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल)

†२३६४. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक भारत में कितने सैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) द्वारा मुकदमे चलाये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सामान्यतः क्या दण्ड दिया गया;

(ग) सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) के समक्ष अभी कितने मामले लम्बित हैं; और

(घ) उन पर कुल कितना खर्च किया गया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) ६४१ ।

(ख) कई प्रकार के दण्ड दिये गये जैसे कारावास, पदच्युत करना, पदवी में कमी, सेवा काल वरिष्टता से वंचित करना और वेतन तथा भत्ते बंद करना ।

(ग) ११६ ।

(घ) लगभग २१,००० रुपये ।

मंत्रियों की विदेश यात्रायें

†२३६५. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कितने मंत्रियों और उनके कर्मचारियों ने विदेश यात्रायें कीं;

(ख) उन्होंने किन देशों का दौरा किया और वे कितना समय बाहर रहे; और

(ग)' इन यात्राओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५५–५६ के वित्तीय वर्ष में १५ मंत्री और उपमंत्री विदेश गये । उनके साथ जाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या ५३ है ।

(ख) वे निम्नलिखित २७ देशों में गये और वे २ दिन से ८ सप्ताह तक ठहरे :

(१) अस्ट्रिया (२) बर्मा (३) चीन (४) चकोस्लेवेकिया (५) डेनमार्क (६) मिस्र (७) फ्रांस (८) हालैंड (९) हांग कांग (१०) इंडोनेशिया (११) इटली (१२) जापान (१३) लेबनान (१४) नार्वे (१५) पाकिस्तान (१६) पोलैंड (१७) रोम (१८) सिंगापुर (१९) स्वीडन (२०) सुडान (२१) स्विट्जरलैंड (२२) सीरिया (२३) थाइलैंड (२४) ब्रिटेन(२५) अमरीका (२६) रूस (२७) पश्चिम जर्मनी

(ग) लगभग ४·६४ लाख रुपया ।

तुंगभद्रा परियोजना

†२३६६. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य सरकार ने तुंगभद्र परियोजना पर पूर्ण नियन्त्रण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर राज्य सरकार ने इस मांग का विरोध किया है क्योंकि परियोजना के हैडवर्कस मैसूर राज्य के क्षेत्र में हैं; और

(ग) इस विषय में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) आन्ध्र राज्य की इच्छा थी कि बेलारी जिला के कुछ तालुकों को आन्ध्र राज्य में मिलाने के सम्बन्ध में राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये ताकि तुंगभद्र उच्च स्तर नहर परियोजना का कार्य और देख-भाल ठीक प्रकार हो ।

(ख) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार का विचार है कि ऐसा कोई प्रादेशिक समायोजन न किया जाये जिस से बेलारी को मैसूर से निकाल कर आन्ध्र में मिलाया जाये परन्तु यह इस बात पर निर्भर है कि संसद् इस की अनुमति दे दे। हां, उपरोक्त परियोजनाओं की कार्यान्विति और देख-रेख को सुनिश्चित करने के लिये हर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

असैनिक कर्मचारी

†२३६७. **श्री केशव अय्यंगार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना विभाग के असैनिक कर्मचारियों को किन शर्तों पर असाधारण अवकाश दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** शर्तें और निर्देश निम्नलिखित नियमों में दिये गये हैं :

(१) सेना अनु देश सं० १७/एस/४९ के साथ प्रकाशित प्रतिरक्षा सेवाओं के असैनिकों के लिये पुनरीक्षित अवकाश नियमों के नियम २०, २१ और २१ (क);

(२) सेना अनुदेश सं० १९५/५४ के साथ प्रकाशित प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी (औद्योगिक कर्मचारी) अवकाश नियम, १९५४ के नियम १६, १७ और १८; और

(३) अनुच्छेद १९२ के साथ पढ़े जाने वाले असैनिक सेवायें विनियम का अनुच्छेद ३०६ है

उपरोक्त नियमों और अनुच्छेदों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६९**]

हीरे

†२३६८. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हीरे काटने के बेहतर तरीके प्रयोग में लाकर उन में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह कार्यवाही किस प्रकार की है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** क) तथा (ख). जी, नहीं। परन्तु यदि यह आवश्यक समझा गया तो जब सरकार हीरे की खानों का काम सम्भालेगी और उत्पादन बढ़ जायेगा, तो सरकार इस पर विचार करेगी।

त्रावनकोर-कोचीन वन विभाग

†२३६९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य वन विभाग के एक उच्च पदाधिकारी पर लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जांच का प्रतिवेदन सरकार को दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) अभी नहीं।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का संरक्षण

†२३७०. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५६ के दौरान में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संरक्षित स्थानों में से कितने इस आधार पर अरक्षित घोषित कर दिये गये कि उपयुक्त उमीदवार उपलब्ध नहीं थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न श्रेणियों में रक्षित स्थान पुर करन में सरकार को कहां तक सफलता मिली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

निर्वाचक नामावलियां

†२३७१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महेन्द्रगढ़ जिले के ग्रामों में रहने वाले हजारों अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के नामों को मतदाताओं की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग उड़ीसा

†२३७२. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं और उनके पदों के अभिधान क्या हैं;

(ख) उन में से अस्थायी कर्मचारी कितने हैं; और

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) से (ग). केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रशासन के प्रयोजनों के लिये उड़ीसा एक स्वतन्त्र एकक नहीं है, बल्कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय, कलकत्ता का भाग है, जिस के क्षेत्राधिकार में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्य दोनों के क्षेत्र आते हैं । नियुक्तियां और स्थायीकरण राज्यवार नहीं समाहर्ता कार्यालय के आधार पर की जाती हैं और सब कर्मचारियों का कार्यालय के अन्दर स्थानान्तरण हो सकता है ।

एक विवरण जिस में उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के बारे में अपेक्षित जानकारी दी गई है, जो इस समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय कलकत्ता के उड़ीसा राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालयों में नियुक्त हैं, सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७०**]

कलई की कच्ची धातु

†२३७३. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में कलई की कच्ची धातु का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) देश की कुल वार्षिक आवश्यकता क्या है और भारत में यह कितनी पैदा होती है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत में कलई की वार्षिक आवश्यकता अनुमानतया लगभग ४००० टन है । कलई की कच्ची धातु भारत में केवल नाम मात्र पैदा होती है । १९५४ में कलई का कोई उत्पादन नहीं हुआ किन्तु १९५३ में केवल ४ हंडर्डवेट और १९५२ में केवल १४० हंडर्डवेट कलई का उत्पादन हुआ था । इस देश में जितनी भी कलई पाई जाती है, उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों की परीक्षाधीनावधि

†२३७४. **श्री आई० ईयाचरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की परिवीक्षा के सम्बन्ध में क्या नियम हैं; और

(ख) क्या १९४७ के बाद से इन में कुछ परिवर्तन हुये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) सरकार के अधीन सभी सेवाओं और पदों के लिये परिवीक्षा सेवा के सम्बन्ध में कोई एक रूप नियम नहीं हैं । भिन्न भिन्न सेवाओं के लिये भिन्न भिन्न नियम हैं और ये प्रत्येक प्रशासनीय मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ सेवाओं के सम्बन्ध में प्रख्यापित किये जात हैं । कुछ मामलों में परिवीक्षाधीन सेवा किन्हीं विशिष्ट संविहित नियमों द्वारा नहीं बल्कि प्रशासनीय व्यवहार और नियुक्ति की शर्तों द्वारा विनियमित की जाती है ।

(ख) इस सम्बन्ध में १९४७ से पहले भी सामान्यतया यही स्थिति थी ।

पंजाब सशस्त्र पुलिस को सहायता

†२३७५. **श्री राधा रमण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भविष्य में पंजाब सशस्त्र पुलिस के, जो कि पश्चिमी पकिस्तान के साथ लगने वाले पंजाब सीमान्त की रक्षा करती है, व्यय का कुछ भाग देने का विचार, है; और

(ख) इस समय इस पुलिस के सिपाहियों की क्या सख्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) यह मामला विचाराधीन है ।

(ख) यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

केन्द्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड

†२३७६. { **श्री रामानन्द दास :**
श्री आई० ईयाचरण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण बोर्डों के अनुसूचित जातियों के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण बोर्डों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या (पृथक् पृथक्) कितनी है;

(ग) उनके वेतन क्रम क्या हैं;

(घ) उन की भरती का तरीका क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण बोर्डों में काम करने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) के (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मतदाताओं की सूचियां

†२३७७. **श्री रामानन्द दास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के २४ परगना जिले के बैरकपुर उपविभाग के कारखानों में काम करने वाले लोगों में से अधिकांश को विधान सभा के चुनाव के लिये मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आसाम में रक्षित स्मारक

†*२३७८. **श्री विमला प्रसाद चालिहा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में रक्षित स्मारकों की देख भाल के वर्तमान स्तर में सुधार करने के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) आसाम में राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं; उन की ओर शेष भारत के स्मारकों के समान ध्यान दिया जा रहा है और सुधार के लिये कोई विशेष प्रस्ताव आवश्यक नहीं समझे जाते ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जीवन बीमा

†२३७९. **श्री विमला प्रसाद चालिहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय जीवन बीमा व्यवसाय में कितने पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी लगे हुये हैं; और

(ख) अगले पांच वर्षों में कितने अतिरिक्त सेवायोजन की आशा की जाती है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) १-३-५६ को लगभग २७,००० पूर्णकालिक कर्मचारी और लगभग १,४०० अंशकालिक कर्मचारी जीवन बीमा व्यवसाय में थे ।

(ख) इस समय इस संख्या का अनुमान लगाना कठिन है ।

बैंकों में बिना दावे की धनराशियां

†२३८०. **श्री विमला प्रसाद चालिहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५५ को भारत के विभिन्न बैंकों में बिना दावे की धनराशियों का कुल जोड़ कितना था ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : बैंकिंग कम्पनी अधिनियम की धारा २६ के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को प्रत्येक पत्री वर्ष की समाप्ति के बाद, तीस दिन के अन्दर,

†मूल अंग्रेजी में

उस पत्री वर्ष की समाप्ति तक भारत में उन सभी लेखों की विवरणी रिजर्व बैंक को देनी होती है, जिन म से १० वर्ष तक कोई रुपया निकलवाया या जमा नहीं करवाया गया। चूंकि जांच और एकीकरण की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है; इस लिये रिजर्व बैंक द्वारा १९५५ के अन्तिम आंकडों की गणना नहीं की गई। ३१ दिसम्बर १९५४ को बैंकों में बिना दावे की धनराशियों की कुल राशि १·७६ करोड़ रुपये थी।

बम्बई के समीप मिली पुरातत्वीय महत्व की वस्तुयें

†२३८१. **श्री एच० जी० वैष्णव :**
श्री एन० बी० चौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के समीप सोपाटा पत्तन नगर में ईसापूर्व काल से सम्बन्ध रखने वाले इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण पुरातन अवशेष पाये गये हैं;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र में भविष्य में और खुदाई की जायेगी; और

(ग) ये वस्तुयें क्या हैं?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली): (क) जी, हां।

(ख) मामले की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) एक प्रस्तर शिला जिस पर अशोक कालीन ९वां आदेश लिखा हुआ है, कुछ ब्रह्मी शिलालेख, कुछ लाल रंग के मिट्टी के बरतन और माइक्रोलिथ (चर्ट और चैलसेडोनी की तहें) और चार गोल कूयें या गढ़े भी इस स्थान पर पाये गये थे।

सामान्य चुनाव

२३८२. **श्री पी० एल० बारुपाल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में राजस्थान से कितने उम्मीदवार लोक सभा के लिये चुनाव लड़े पर जिन्होंने समय पर चुनाव के खर्चे विवरण प्रस्तुत नहीं किये?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : चौदह।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल

२३८३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल में कितने पदाधिकारी हैं और उनमें से प्रत्येक का मासिक वेतन क्या है;

(ख) क्या इस स्कूल में राज्यों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की भी कोई व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से लगभग कितने पदाधिकारी लिये जायेंगे;

(घ) प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है; और

(ङ) गुप्तचर शाखाओं के अन्य अधीनस्थ पदाधिकारियों को इन नवीन पद्धतियों से अवगत कराने की क्या योजना है?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७१**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां। स्कूल में भिन्न राज्यों की पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों को, जांच के वैज्ञानिक तरीकों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) तीन महीने।

(ङ) सब-इंस्पेक्टरों से नीचे दर्जे के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पाइराइट के निक्षेप

२३८४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने सरकार से प्रार्थना की है कि गंधक के उत्पादन के लिये पाइराइट के निक्षेपों की खोज की जाये और उसकी अनुमानित राशि का पता लगाया जाये;

(ख) यदि हां, तो पाइराइट के निक्षेप कहाँ कहां हैं और प्रत्येक से कितनी मात्रा में पाइराइट मिल सकता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं, लेकिन विकास परिषद् ने भारी रसायनों (अम्ल तथा खादों) के लिये ऐसी प्रार्थना की है।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। ये जानकारियां प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेंगी।

चूने का पत्थर

†२३८५. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के तिरुची जिले के उदभार पलायम तालुक के झटम-पेटाय, पालूर और करायकुरुचि और कुथांगड़ी ग्रामों में और इनके आस-पास के ग्रामों में चूने का पत्थर एक बड़ी मात्रा में पाया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस क्षेत्र का उचित सर्वेक्षण किया है अथवा करने का इरादा रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). भारत के भतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को पता नहीं है कि इस क्षेत्र में चूने का पत्थर बड़े पैमाने पर पाया जाता है, १९४१-४२ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस क्षेत्र का पुनर्सर्वेक्षण किया गया था किन्तु चूने के पत्थर का कोई निक्षेप नहीं पाया गया था।

दलित वर्ग संघ

२३८६. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि केन्द्र द्वारा दी गई रकम में से मध्य भारत सरकार ने दलित वर्ग संघ को बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय दी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रावनकोर-कोचीन में वेतन की समय-श्रेणी

†२३८७. **श्री पुन्नूस** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में सब प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को वेतन की समय-श्रेणी की सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो किस श्रेणी के कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया; और

(ग) इस के कारण ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रावनकोर-कोचीन में भ्रष्टाचार के मामले

†२३८८. **श्री पुन्नस** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने १९५४ और १९५५–५६ में कितने मामलों का पता लगाया;

(ख) इस समय कितने मामलों की जांच की जा रही है; और

(ग) भ्रष्टाचार के मामलों से सम्बन्धित और दंडित पदाधिकारियों की संख्या और उन के अभिधान क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (कं) त्रावनकोर-कोचीन सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में १९५४–५५ में २९३ और १९५५–५६ में ७३९ याचिकायें रजिस्टर की गई थीं इन में से १९५४–५५ में १३७ मामलों की और १९५५–५६ में ६४० मामलों की जांच पूरी हो गई ।

(ख) ३०२ ।

(ग) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ७२]**

आयकर सम्बन्धी याचिकायें

†२३८९. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में पुनरीक्षण के लिये दायर की गई आयकर सम्बन्धी याचिकाओं की संख्या कितनी हैं;

(ख) उक्त अवधि में कितने मामलों के सम्बन्ध में निर्णय किया गया; और

(ग) आय और कर के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् कितनी छूट मांगी गई थी; और

(घ) आयुक्तों द्वारा आय और कर के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् कितनी छूट दी गई ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) से (घ). माननीय सदस्य जिस प्रकार का ब्यौरा चाहते हैं, वह उपलब्ध नहीं है, किन्तु १९५३–५४ और १९५४–५५ के वित्तीय

†मूल अंग्रेजी में

वर्षों में पुनरीक्षण के लिये दायर की गई याचिकाओं की संख्या, इन वर्षों में निपटाई गई पुनरीक्षण याचिकाओं की संख्या और प्रदान की गई छूट की राशि की स्थिति इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	पुनरीक्षण के लिये दायर की गई याचिकाओं की संख्या	निपटाई गई याचिकाओं की संख्या	आय-कर के सम्बन्ध में दी गई छूट की राशि रुपये
१९५३–५४	४,५७२	३,७४८	८४,५५,४२८
१९५४–५५	४,६७८	३,९५१	५३,५२,३८१

अन्तर्विश्वविद्यालय विद्या सम्बन्धी बोर्ड

†२३९०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी विशेषज्ञों ने जिस प्रस्थापित अन्तर्विश्वविद्यालय विद्या सम्बन्धी बोर्ड की सिफारिश की है, वह कब तक स्थापित किया जायगा; और

(ख) क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी उनकी सिफारिश पर विचार किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सरकार ने अन्तर्विश्वविद्यालय विद्या सम्बन्धी बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में रूसी विशषज्ञों की सिफारिशों पर अभी तक विचार नहीं किया है।

आय-कर सर्वेक्षण

†२३९१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर के नये करदाताओं की संख्या मालूम करने के लिये अभी हाल कलकत्ते में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) उन करदाताओं की संख्या कितनी है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख). नये करदाताओं की संख्या मालूम करने के लिये विभाग का सर्वेक्षण यूनिट प्रति वर्ष कलकत्ते में सर्वेक्षण करता रहता है।

(ग) कलकत्ता शहर के लिये अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २५ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२७२५–४५
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४९१	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	२७२५–२६
२४९२	राष्ट्रीय पुस्तकालय (कलकत्ता)	२७२७–२८
२४९४	अन्दमान द्वीपसमूह	२७२८–२९
२४९५	विकास सेवा परियोजनायें	२७२९–३०
२४९६	तम्बाकू उत्पादन शुल्क नियन्त्रण	२७३०–३१
२४९८	अन्दमान द्वीप समूह में बसाया जाना	२७३१–३२
२५०२	टैगोर की जन्म शताब्दी ...	२७३२–३४
२५०४	भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	२७३४
२५०९	अनुच्छेद ३३९ (१) के अधीन आयोग ...	२७३५
२५११	भारतीय प्रशासनिक सेवा आपातकालीन भर्ती	२७३५–३७
२५१३	त्रावनकोर विश्वविद्यालय	२७३७–३८
२५१४	शिशु (नर्सरी) स्कूल	२७३८
२५१५	चंडीगढ़ का विकास ...	२७३९
२५१६	मैट्रिक के पश्चात् के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२७३९–४१
२५१८	हिन्दी-अंग्रेजी कोष	२७४१–४२
२५१९	देहाती उच्च शिक्षा योजना	२७४२–४३
२५२०	मलाया में भारतीय उपाधियों को मान्यता	२७४३–४४
२५२१	भारत पाकिस्तान वित्तीय समस्यायें ...	२७४४–४५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	२७४६–६२

तारांकित
प्रश्न संख्या

२४६०	सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण	२७४६
२४६३	ओलिम्पिक खेल	२७४६
२४६७	स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास	२७४६
२४६६	समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड, राजस्थान	२७४६–४७
२५००	सैनिकों के लिये निवास-स्थान	२७४७
२५०१	राजस्थान में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र	२७४७
२५०३	भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के उम्मीदवार	२७४७
२५०५	कोयला सर्वेक्षण संस्था, बिलासपुर	२७४८
२५०६	बिहार में बहु प्रयोजनीय स्कूल	२७४८
२५०७	निर्वाचन याचिकायें	२७४८
२५१२	आदिम जाति कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड	२७४८
२५१७	अन्दमान द्वीप समूह में लोगों को बसाना	२७४८–४६
२५२२	मध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियां	२७४६
२५२३	त्रावनकोर विश्वविद्यालय	२७४६
२५२४	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन	२७४६
२५२५	वृद्ध और अपंग कलाकार	२७४६–५०
२५२६	जापान के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध	२७५०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३५०	छंटनी किये गये कर्मचारी	२७५०
२३५१	बीमा समवाय	२७५०–५१
२३५२	राज्य, केन्द्रीय और जिला पुस्तकालय	२७५१
२३५३	इंजीनियरिंग के ग्रैजुयेट	२७५१
२३५४	संश्लेषित औषधियां	२७५१

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२३५५ गोंड २७५२

२३५६ औद्योगिक वित्त निगम ... २७५२

२३५८ प्रथम पंचवर्षीय योजना... ... २७५२

२३५९ वैज्ञानिक कार्यों में समन्वय लाने के लिये मंत्रणा-समिति २७५२

२३६० प्राथमिक शिक्षा ... २७५३

२३६१ यूनेस्को ... २७५३

२३६२ लेखा और लेखा परीक्षा से अलग अलग करना २७५३

२३६३ सशस्त्र बल २७५३

२३६४ सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) २७५३–५४

२३६५ मन्त्रियों की विदेश यात्रायें ... २७५४

२३६६ तुंग भद्रा परियोजना २७५४–५५

२३६७ असैनिक कर्मचारी २७५५

२३६८ हीरे २७५५

२३६९ त्रावनकोर-कोचीन वन विभाग २७५५

२३७० अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का संरक्षण २७५५–५६

२३७१ निर्वाचक नामावलियां २७५६

२३७२ केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, उड़ीसा २७५६

२३७३ कलई की कच्ची धातु २७५६–५७

२३७४ सरकारी कर्मचारियों की परीक्षाधीनावधि २७५७

२३७५ पंजाब सशस्त्र पुलिस को सहायता ... २७५७

२३७६ केन्द्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड २७५७–५८

२३७७ मतदाताओं की सूचियां २७५८

२३७८ आसाम में रक्षित स्मारक ... २७५८

२३७९ जीवन बीमा ... २७५८

२३८० बैंकों में बिना दावे की धन राशियां २७५८–५९

२३८१ बम्बई के समीप मिली पुरातत्वीय महत्व की वस्तुयें ... २७५९

२३८२ सामान्य चुनाव ... २७५९

	विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)			
अतारांकित प्रश्न संख्या			
२३८३	केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल ...	...	२७५९–६०
२३८४	पाइराइट के निक्षेप ...	...	२७६०
२३८५	चूने का पत्थर	...	२७६०
२३८६	दलित वर्ग संघ ...		२६६०–६१
२३८७	त्रावनकोर-कोचीन में वेतन की समय-श्रेणी	...	२७६१
२३८८	त्रावनकोर-कोचीन में भ्रष्टाचार के मामले ...		२७६१
२३८९	आय-कर सम्बन्धी याचिकायें	...	२७६१–६२
२३९०	अन्तर्विश्वविद्यालय विद्या-सम्बन्धी बोर्ड		२७६२
२३९१	आय-कर सर्वेक्षण		२७६२

M68LSD—19—03-9-57—GIPF

लोक-सभा

वाद-विवाद

Preservation Unit
Digitized
Parliament Library

(भाग--२ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ५, १९५६

(९ मई से ३० मई, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ५ में अंक ६१ से ६७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[वाद-विवाद; भाग २—खण्ड ५; ९ मई से ३० मई, १९५६]

	पृष्ठ
अंक ६१—बुधवार, ९ मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२७९
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	३२८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बावनवां प्रतिवेदन	३२८०
अनुपस्थिति की अनुमति ...	३२८०–८१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	३२८१
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	३२८१–८२
सभा का कार्य	३२८२–८४
भारतीय टंक अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई	
प्रारूप अधिसूचनाओं के बारे में प्रस्ताव	३२८४–९०
संविधान (दसवां संशोधन)—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३२८४–९०
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३१७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३२६
अंक ६२—गुरुवार, १० मई, १९५६	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	३३२७
सदस्यों का बन्दीकरण तथा निरोध ...	३३२७–२८
भारतीय रड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक ...	३३२८–२९
कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३३२९–८५
दैनिक संक्षेपिका ...	३३८६
अंक ६३—शुक्रवार, ११ मई, १९५६	
राज्य-सभा से सन्देश	३३८७
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक	३३८७
समितियों के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	३३८८
लोक लेखा समिति	३३८८
राज्य-सभा के सदस्यों का लोक लेखा समिति में सम्मिलित किये जाने के	
बारे में प्रस्ताव	३३८८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन ...	३३८९–९१

पृष्ठ

सभा का कार्य ३३९१–९२

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९२–३४२७

खण्ड २ से ५५ और १ तथा अनुसूची ३३९९–३४२५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ३४२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

बावनवां प्रतिवेदन ३४२७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प ३४२७–५०

दैनिक संक्षेपिका ३४५१

अंक ६४––सोमवार १४ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४५३–५४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३४५४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति––

चौथा प्रतिवेदन ३४५४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... ३४४४–५६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ३४५६

जीवन बीमा निगम विधेयक ३४५६

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक––

सामान्य चर्चा ३४५७–३५००

अनुदानों की मांगें ... ३५००–३२

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग विधेयक ३५४७–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३५४९

अंक ६५––मंगलवार, १५ मई, १९५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में वक्तव्य ३५५१–५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५५४

राज्य-सभा से सन्देश ३५५४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३५५४–३६०२

दैनिक संक्षेपिका ... ३६०३

अंक ६६––बुधवार, १६ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

त्रेपनवां प्रतिवेदन ३६०५

सभा का कार्य––

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा ३६०६–१०

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ... ३६१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक––

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा

प्रतिवेदित रूप में ३६११–६१

पृष्ठ

खण्डों पर विचार--

खण्ड ४, ५ और ७ ... ३६१४–२९

खण्ड २, ३, ६ और ८ से ४० ३६२९–५४

खण्ड ४१, ४२ और ४७ ३६५४–६१

राज्य-सभा से सन्देश ३६६२

दैनिक संक्षेपिका ३६६३

अंक ६७--गुरुवार, १७ मई, १९५६

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३६६५–६६

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३६६६–३७१६

खण्ड ४१ से ८३ तक ... ३६६६–३७१५

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में ३७१६

दैनिक संक्षेपिका ... ३७१७

अंक ६८--शुक्रवार, १८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७१९

राज्य-सभा से संदेश ... ३७१९–२०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ... ३७२०

प्राक्कलन समिति--

सत्ताईसवां प्रतिवेदन ३७२०

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड्गपुर) विधेयक ३७२०

त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ३७२१–२२

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ... ३७२२–३५

पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में ३७२२

जीवन बीमा निगम विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७३५–५३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--तिरपनवां प्रतिवेदन ३७५४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९४ का संशोधन) ... ३७५४

खान संशोधन, विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) ३७५४–६२

विचार करने का प्रस्ताव ३७५४

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहणन विधेयक ३७६३–६४, ३७६५–७३

विचार करने का प्रस्ताव ३७६३

सभा का कार्य ३७६४–६५

नियम समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३७६५

दैनिक संक्षेपिका ३७७४–७५

अंक ६९--सोमवार, २१ मई, १९५६ **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव ३७७७–७८
सभा का कार्य ... ३७७८–७९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७७९–८०
राज्य-सभा से सन्देश ३७८०–८६
प्राक्कलन समिति--
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ... ३७८६
जीवन बीमा निगम विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३७८६–३८३५
खण्डों पर विचार--
खण्ड २ ३८३१--३५
दैनिक संक्षेपिका ३८३६

अंक ७०--मंगलवार, २२ मई, १९५६

स्थगन-प्रस्ताव--
भुखमरी के कारण कुछ नागाओं की कथित मृत्यु ३८३७–३९
सदस्यों की रिहाई ३८३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
अल्जीरिया के सम्बन्ध में सरकार की नीति ... ३८३९–४२
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--
खण्ड ४, १९ और २२ ३८४३–५८
खण्ड ११ और १२ ३८५८–६८
खण्ड १४ ३८६८–७०
खण्ड २५ और २९क ... ३८७०–८५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८८५
दैनिक संक्षेपिका ३८८६

अंक ७१--बुधवार, २३ मई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
खडगपुर और काजीपेट जंकशनों पर रेलवे श्रमिकों की हड़ताल ... ३८८७–९३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३८९३–९४
राज्य-सभा से सन्देश ३८९४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौवनवां प्रतिवेदन ३८९४
भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ३८९४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३८९४
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में वक्तव्य ३८९४–९८
जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३८९८–३९४१
खण्ड ४३ ३८९८–३९०५

पृष्ठ

खण्ड १६, ३५, ३६ और अनुसूचियां ३९०६–३०

खण्ड ५ से १०, १३, १५, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २६ से ३४, ३७ से ४२, ४४ से ४९ और १ ... ३९३०–४१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३९४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ३९४१–६०

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३९६०

दैनिक संक्षेपिका ३९६१–६२

अंक ७२––शुक्रवार, २५ मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

काजू के कारखानों में तालाबन्दी ३९६३–६४

द्वितीय पंचवषीय योजना के बारे में संकल्प ३९६४–७०, ३९७१–९४

सभा का कार्य ३९७०–७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

चौवनवां प्रतिवेदन ... ३९९४

व्यक्ति की आय पर उच्चतम सीमा सम्बन्धी संकल्प ३९९४–४००७

आयकर विभाग के कार्य की जांच के बारे में संकल्प ४००८–१३

गन्ने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ४०१३–२०

दैनिक संक्षेपिका ४०२१

अंक ७३––शनिवार, २६ मई १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०२३, ४०२५–२६

प्राक्कलन समिति––

उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन ... ४०२३

भारतीय डाक और तार अधिनियम के बारे में याचिका ... ४०२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना––

त्रिपुरा में चावल के भाव में वृद्धि ... ४०२४

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में लगातार गोलीबारी ... ४०२४–२५

कार्य मंत्रणा समिति––

सैंतीसवां प्रतिवेदन ४०२६–२७

मालिक-मजदूर झगड़े सभा के सामने लाने के बारे में विनिर्णय ४०२७–२८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प ४०२८–७२

राज्य-सभा से संदेश ... ४०७२–७४

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ४०७४

दैनिक संक्षेपिका ४०७५–७६

पृष्ठ

अंक ७४—सोमवार, २८ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०७७–७९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४०७९
प्राक्कलन समिति—	
इक्तीसवां प्रतिवेदन ...	४०७९
सभा का कार्य	४०८०–८१
त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)	
विधेयक	४०७९, ४०८१–४१०१
विचार करने का प्रस्ताव	४०७९
खण्ड २, ३ और १	४०९३–४१०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४१०१
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक ...	४१०२–०७
विचार करने का प्रस्ताव	४१०२
खण्ड १ और २ ...	४१०७
पारित करने का प्रस्ताव ...	४१०७
खड्गपुर में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा	४१०८–३३
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में आध घंटे की चर्चा ...	४१३४–३९
दैनिक संक्षेपिका ...	४१४०–४१

अंक ७५—मंगलवार, २९ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१४३–४४
प्राक्कलन समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन ...	४१४४
लोक लेखा समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	४१४४
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	४१४४
काजू के कारखानों में तालाबन्दी के बारे में वक्तव्य	४१४४–४५
सदस्यों का बन्दीकरण और रिहाई	४१४५
सभा का कार्य	४१४५–४६
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४१४६–८६
खण्ड २ से ४ और १	४१८०–८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	४१८६
निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ...	४१८७–९३
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में आधे घंटे की चर्चा ...	४१९३–९८
राज्य-सभा से संदेश	४१९८
दैनिक संक्षेपिका	४१९९–४२००

पृष्ठ

अंक ७६—बुधवार, ३० मई, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा स्थगन प्रस्ताव—

कालका रेलवे स्टेशन पर उपद्रव ४२०१–०८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४२०८–०९

प्राक्कलन समिति—

तैंतीसवां प्रतिवेदन ४२०९

याचिका समिति—

नवां प्रतिवेदन ४२१०

अनुपस्थिति की अनुमति ... ४२१०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ४२१०

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक ... ४२१०–११

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति ४२११–१६

सभा का कार्य ४२१६–१७

निवारक निरोध अधिनियम का कार्यान्विति के बारे में प्रस्ताव ... ४२१७–४५

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत की ओर सामुहिक निष्क्रमण के बारे में चर्चा ४२४५–६३

राज्य-सभा से संदेश ४२६३

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती के बारे में नियमों पर चर्चा ४२६३–७३

कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४२७३–७६

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक ४२७६

दैनिक संक्षेपिका ... ४२७७–७९

बारहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश ४२८०–८१

M148LSD—190—8-4-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, २५ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

[**देखिये** भाग १]

११-३० म० पू०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

काजू के कारखानों में तालाबन्दी

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नूर) : नियम २१६ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :

"काजू के कारखानों में तालाबन्दी।"

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २ (क) (२) के अन्तर्गत त्रावनकोर में काजू कारखानों में झगड़ों के निपटारे का उत्तरदायित्व त्रावनकोर-कोचीन सरकार पर है। काजू कारखानों में कथित तालाबन्दी या हड़ताल के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस विषय में पूरा प्रतिवेदन देने के लिये त्रावनकोर-कोचीन सरकार से प्रार्थना की गयी है। त्रावनकोर-कोचीन सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही, इस विषय पर और आगे वक्तव्य देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : वह प्रतिवेदन प्राप्त होने और इस प्रश्न के निपटारे में कितना समय लगेगा ?

†**श्री आबिद अली** : ज्यों ही प्रतिवेदन हो जायेगा, हम यहां एक वक्तव्य देंगे।

†**श्री वी० पी० नायर** : (चिरायिन्कील) : माननीय उपमंत्री कहते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की विशिष्ट धारा को देखते हुए, इस विषय का विवेचन करना त्रावनकोर-कोचीन सरकार का काम है। तब यहां हमारे लिये क्या उपाय है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने त्रावनकोर-कोचीन सरकार से जानकारी मांगी है और वह प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी या परिचालित की जायेगी। मेरा सुझाव है कि संसद् समाप्त होने के पूर्व यदि जानकारी प्राप्त न हो, तो उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को भेज दी जाय।

†**श्री ए० के० गोपालन** : इस प्रस्ताव की पूर्व सूचना २१-५-१९५६ को दी गयी थी। मेरी जानकारी के अनुसार इस तालाबन्दी का प्रभाव २० हज़ार कर्मचारियों पर पड़ता है। क्या मैं जान सकता हूं कि चार दिन के बाद भी माननीय मंत्री को जानकारी क्यों नहीं मिल सकी, खासकर जबकि वह राज्य अब संसद् के क्षेत्राधिकार के अधीन है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : यह सूचना प्राप्त होते ही हमने तुरन्त त्रावनकोर-कोचीन सरकार से पत्र-व्यवहार किया है। जैसा कि आप जानते हैं, काजू के कारखाने सारे त्रावनकोर-कोचीन में फैले हुए हैं। हमने त्रावनकोर-कोचीन सरकार से यथाशीघ्र जानकारी भेजने के लिये कहा है जिससे कि हम सभा में वक्तव्य देने के विषय में निश्चय कर सकें। जैसा कि आपने सुझाव दिया है, यदि हमें जानकारी पहले न मिल सकी तो मैं वचन देता हूं कि मैं उसे सदस्यों को भेज दूंगा।

†**श्री वी० पी० नायर** : उससे यह समस्या नहीं सुलझेगी। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री के लिये यह सत्र समाप्त होने के पूर्व हमें निश्चित जानकारी देना संभव होगा ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : हमें जानकारी मिलने के बाद भारत सरकार के लिये जो भी कुछ करना संभव होगा, वह करेगी और इस प्रश्न को निबटायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री त्रावनकोर-कोचीन सरकार से पत्र-व्यवहार करें और संसद् के विसर्जित होने के पूर्व ही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

†**श्री आबिद अली** : यदि त्रावनकोर-कोचीन में विधान सभा की बैठक होती रहती तब भी वहां की सरकार को जिलों से जानकारी प्राप्त करने में कुछ समय लगता। वह एकाएक विवरण न दे सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका अर्थ यह है कि संसद् समाप्त होने के पूर्व जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब २३ मई, १९५६ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत निम्न संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

> "यह सभा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जैसी कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गई है, रखे गये विकास के सिद्धान्तों, उद्देश्यों और विकास के कार्यक्रमों का सामान्यतः अनुमोदन करती है।"

इस संकल्प और संशोधन दोनों पर ही चर्चा होगी।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं आपको स्मरण दिला दूं कि आज शुक्रवार है और हाल में स्थापित प्रथा के अनुसार संसद्-कार्य मंत्री को अगले सप्ताह में सरकारी कार्य के बारे में एक विवरण देना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : मध्याह्नोत्तर भोजन के बाद माननीय सदस्य फिर आयेंगे और यदि सभा में पूर्ण उपस्थिति हो, तो मैं उन्हें विवरण देने के लिये कहूंगा ।

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्ननूर) : हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की, मुख्यतया उसके सिद्धान्त और उसके दृष्टिकोण की चर्चा कर रहे हैं। एक वर्ष पहले योजना की रूपरेखा प्रकाशित की गयी थी, जिसमें कई मार्गदर्शक सिद्धान्त दिये हुए हैं और मूल तथा भारी उद्योगों और सरकारी उद्योगों पर विशेष ज़ोर दिया गया है। ग़ैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र के एकाधिकारी तत्व सरकारी क्षेत्र के विस्तार और भारी तथा मशीन बनाने वाले उद्योगों के विकास के विरुद्ध थे किन्तु जानकारी जनता ने इन प्रस्थापनाओं का विशेषकर इस प्रस्थापना का कि बुनियादी उद्योग और मशीन बनाने वाले उद्योगों को सब से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिये, समर्थन किया था। योजना आयोग और सरकार ने उस ढांचे में कुछ हेरफेर किया है ।

दूसरी बात यह है कि जहां तक परामर्शों का सम्बन्ध है, पहली पंचवर्षीय योजना और इसमें बहुत बड़ा अन्तर है। योजना आयोग ने मण्डलों की, विशेषकर भूमि-सुधार मण्डल की, सिफारिशों पर कोई विचार नहीं किया है यहां तक कि परामर्श-समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों पर भी विचार नहीं किया गया है ।

जहां तक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, प्रत्येक देशभक्त भारतीय उसका समर्थन करेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं : देश में रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिये राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मशीन-निर्माणकारी उद्योग के विकास पर विशेष ज़ोर देते हुए शीघ्र औद्योगीकरण, रोजगार के अवसरों का विस्तार और आय तथा धन में असमानतायें दूर करना और आर्थिक शक्ति का अधिक अच्छा वितरण। किन्तु प्रश्न यह है कि किस दृष्टिकोण में यह उद्देश्य शीघ्र प्राप्त हो सकेंगे। आज हमारे सामने सब से महत्वपूर्ण समस्या ग़रीबी और बेकारी की है। हमें खासकर गरीब लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करना है। किन्तु यह योजना, नीति और तरीका इन समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगी ? मैं इसी दृष्टिकोण से इस योजना को देखता हूं ।

पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में अवश्य ही कुछ प्रगति हुई है। दूसरी योजना में वित्त की व्यवस्था पहली योजना की अपेक्षा दुगुनी है और कई मामलों में उत्पादन और विकास के लक्ष्य कहीं ऊंचे निर्धारित किये गये हैं। कृषि, सामुदायिक विकास परियोजनाएं, उद्योग तथा खनन, परिवहन तथा संचार आदि विषयों में वित्त की प्रतिशतता पहली योजना की अपेक्षा अधिक है किन्तु सामाजिक सेवायें, सिंचाई और विद्युत् के सम्बन्ध में वित्त कम कर दिया गया है ।

वास्तव में शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में नियमन कम नहीं किया जाना चाहिये था। रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, और ग़रीबी तथा बेकारी से छुटकारा पाने के लिये दो बातें आवश्यक हैं। एक तो देश का शीघ्र औद्योगीकरण और दूसरी आमूल कृषि-सुधार। अधिक उत्पादन प्राप्त करने का एक मार्ग यह है कि औज़ार, मशीनरी और साधनों का हमारा भंडार बढ़ाया जाये। उसका अर्थ है पूंजी विनियोजन में वृद्धि ।

शीघ्र औद्योगीकरण के मार्ग में मुख्य कठिनाई इस प्रकार दूर की जा सकती है कि भारत में मशीन-निर्माण उद्योग स्थापित किया जाये जो इस्पात, सीमेन्ट आदि के उत्पादन के लिये आवश्यक भारी मशीनरी बनाये। अभी तक हम मशीनरी आयात करते हैं और देश में ऐसे उद्योग की स्थापना से हमें विदेशों पर निर्भर न रहना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ए० के० गोपालन]

दूसरी योजना में इन महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा की गई है। योजना के ढांचे में, उद्योग और खनन के लिये ११०० करोड़ रुपये अथवा कुल खर्च का २६ प्रतिशत नियत किया गया था। सरकारी क्षेत्र में उद्योग और खनन के लिये, इस्पात कारखाने को छोड़ कर, कुल खर्च ३५० करोड़ रुपये है। शेष सरकारी क्षेत्र के लिये वित्त बहुत ही कम है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सम्बन्ध में योजना के ढांचे में यह सुझाव था कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तीव्र और शीघ्र होना चाहिये और उनका अनुपात २ : १ हो। किन्तु दूसरी योजना में इस दृष्टिकोण की उपेक्षा की गयी है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, कोई भी गैर-सरकारी क्षेत्र की निन्दा नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र रहे परन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा एकाधिकार और धन संग्रह को प्रोत्साहन न मिले और देश के हित तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण खतरे में न पड़े। किन्तु हमने कई बार देखा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र शीघ्र औद्योगीकरण और कभी-कभी सरकारी क्षेत्र के विकास के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। दूसरी योजना की प्रस्थापनाओं से यही प्रतीत होता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व ही अधिक है बजाए इसके कि सरकारी क्षेत्र उस पर धीरे-धीरे अपना प्रभुत्व जमाये। यह बात उस सुझाव के प्रतिकूल है जो योजना के ढांचे में रखा गया था।

१९५६ का औद्योगिक नीति संकल्प में यह बात नहीं मानी गयी कि सरकारी क्षेत्र को फैलाने और मजबूत बनाने के लिये न केवल राज्य-स्वामित्व के उद्योग चालू करना आवश्यक है, बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों और इकाइयों का राष्ट्रीयकरण भी आवश्यक है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि बहुत अधिक प्रतिकर देकर और पुरानी मशीनें लेकर हम राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। किन्तु राष्ट्रीयकरण हो सकता है —हम यह इसलिये कहते हैं कि संविधान में इस सम्बन्ध में संशोधन किया गया है कि न्यूनतम प्रतिकर देकर राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और संसद् ही यह निश्चय करेगी कि बड़ा प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये।

यदि हम पुनर्निर्माण और विकास के लिये साधन चाहते हैं तो हमें चाय, कोयला और रबड़ जैसे गैर-सरकारी उद्योगों का सहारा लना होगा जहां पुराने ढंग की मशीनों का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। ऐसे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बिना, आवश्यक साधन प्राप्त करना असम्भव है।

फिर आगे यह भी प्रश्न है कि हम ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण क्यों न करें। इनका उदाहरण चाय बागान हैं। यदि हम योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो यह बहुत आवश्यक है कि राज्य-स्वामित्व के उद्योग हों और वे ऐसे बड़े-बड़े उद्योग हों जिनसे सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलता हो, और जिनके पास काफी साधन हों।

योजना के ढांचे में उन उपायों की अत्यावश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है जिनसे विदेशी गैर-सरकारी पूंजी पर प्रतिबन्ध लग सकेगा और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था उसके चंगुल से बच सकेगी। योजना के ढांचे में, गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग पर केवल ४०० करोड़ रुपये के खर्च की प्रस्थापना है जिससे एक ओर सरकारी क्षेत्र में भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास के लिये साधन उपलब्ध होंगे और दूसरी ओर, कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देना भी सम्भव होगा।

योजना के ढांचे में यह प्रस्थापना है कि उपभोग वस्तुओं की मांग अधिकतर कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों से पूरी की जानी चाहिये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में न केवल यह दृष्टिकोण बदल दिया गया है बल्कि उपभोग-वस्तु उद्योगों में विनियोजन बढ़ा दिया है। फिर अलमुनियम, फेरो-मैंगनीज, सीमेन्ट आदि उद्योगों में भारी गैर-सरकारी विनियोजन के लिये भी मंजूरी दी गयी है जो सरकारी क्षेत्र में किया जाना चाहिये था।

आगे अंशपूंजी में अंश अर्जित करते समय, लोहा और इस्पात कम्पनी को राजकोष से ११५ करोड़ रुपये की राशि नियत की गयी है। गैर-सरकारी क्षेत्र को रेशम और रेयन जैसे उद्योगों में विनियोजन करने की अनुमति दी गयी है। मेरे विचार में हमारी वर्तमान योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था में इनके लिये प्राथमिकता नहीं हो सकती। आगे, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की निधियों का कुछ भाग गैर-सरकारी क्षेत्र को भी दिया जायेगा। गैर-सरकारी क्षेत्र को दी गयी इन बड़ी रियायतों का अर्थ यह होगा कि शीघ्र औद्योगीकरण और सरकारी क्षेत्र के विस्तार के मार्ग में कठिनाई होगी। इसके विपरीत हमारी अर्थ-व्यवस्था में उचित प्राथमिकताओं के आधार पर आयोजित विनियोजन के लिये बड़े-बड़े साधन छोड़ दिये जाने चाहियें थे। इस प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों के विस्तार में छंटनी और बेरोजगारी फैलेगी। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

श्रम के सम्बन्ध में, अधिक मजूरी, मंहगाई भत्ता, लाभांश, काम की दशाओं में सुधार आदि की मांगें पूरी करना औद्योगिक प्रगति का मुख्य अंग बनाया जाना चाहिये। पहली पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु इस योजना में, बढ़े हुए उत्पादन के आधार पर न्यूनतम मजूरी में वृद्धि की मांग अस्वीकार कर दी गयी है। उत्पादन में वृद्धि हो चुकी है परन्तु मजूरी नहीं बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि यदि कर्मचारियों में उत्साह नहीं होगा तो द्वितीय पंच-वर्षीय योजना लागू नहीं हो सकती है तथा उत्पादन नहीं बढ़ सकता है परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना से यह अनुभव हुआ है कि उत्पादन तथा लाभ बढ़ने पर भी श्रमिकों की मजूरी केवल एक अथवा दो उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों में नहीं बढ़ाई गई है।

यदि आप श्रमिकों में उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो उनको स्पष्टतया बता देना चाहिये कि यदि आप उत्पादन तथा लाभ को बढ़ायेंगे तो उस बढ़े हुए लाभ में तुम्हारा भी अंश होगा। जब तक मजूरी का पुनरीक्षण नहीं होगा तब तक श्रमिकों में उत्साह पैदा नहीं होगा तथा योजना सफलतापूर्वक लागू नहीं होगी। देश के श्रम संघों का भी यही मत है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसलिये उनमें उत्साह भी नहीं रहेगा।

अगला प्रश्न कार्मिक संघ के अधिकारों तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में है। परसों काजीपेठ तथा खड़गपुर में हुई हड़ताल पर सभा में चर्चा हुई थी। यह बताया गया कि इसका उत्तरदायित्व श्रमिकों पर है। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपस में समझौता करने का कोई माध्यम होता तो यह स्थिति नहीं आई होती क्योंकि हड़ताल से श्रमिकों की अधिक हानि होती है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि यदि वह श्रमिकों के लिये कुछ करना चाहती है तो उसे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि झगड़ों को सुलझा सके तथा कार्मिक संघ लोकतन्त्र के अधिकारों की गारंटी करा सके। रेलवे मंत्री ने बताया कि तीन अथवा चार संघ हैं। हमने श्रम जूरी तालिका में सुझाव दिया था कि सरकार को श्रमिकों की सम्मति जाननी चाहिये कि वह कौन से संघ में मिलना चाहते हैं तथा जिस ओर अधिक सम्मति हो उस संघ में उनको सम्मिलित होने की अनुमति मिलनी चाहिये जिससे श्रमिकों का एक संघ हो जाये। परन्तु सरकार एक विभाग का पक्ष लेकर एक दूसरे को आपस में लड़ाती रहती है जिससे श्रमिकों में एकता न होने पाये।

अब मैं योजना के संसाधनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हम उद्योगों को प्राथमिकता दे रहे हैं तथा स्वास्थ्य और शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं, परन्तु इन सबसे महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकता देने का प्रश्न संसाधन है। हम वित्तीय संसाधनों को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के प्रस्ताव योजना के उद्देश्य से सर्वथा विपरीत हैं क्योंकि ये सभी संसाधन सामान्य व्यक्ति को ही कुचलेंगे तथा जीवन स्तर को गिरायेंगे।

[श्री ए० के० गोपालन]

योजना में बताया गया है कि संसाधनों में अस्थिरता रहेगी । इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष संसाधनों में परिवर्तन होता रहेगा । सरकारी क्षेत्र में ४०० करोड़ रुपया व्यय करने का विचार है । योजना के अनुसार दो पद्धतियां हैं । एक तो कर लगाकर तथा दूसरी नवीन मुद्रा चला कर निधि एकत्र की जाये । ८०० करोड़ रुपये के कर के अतिरिक्त ३५० करोड़ रुपये के और कर लगाये जायेंगे । इस प्रकार १,१५० करोड़ रुपये हुए । हम करों के विरोधी नहीं हैं यदि उनका उपयोग धनिकों से धन निकालने तथा उसका निर्धनों के लाभार्थ व्यय के लिये किया जाये । १९४६–४७ से १९५३–५४ तक संघ उत्पादन शुल्क ६२ करोड़ रुपये तक बढ़ा है । आय कर ३ करोड़ रुपये बढ़ा है । राज्य सरकारों से २२.५ करोड़ रुपये एकत्रित करने को कहा गया है ।

१,२०० करोड़ रुपये के नये नोट निकालने का विचार है । यह कहा जाता है कि यह अधिकतम सीमा है परन्तु प्रोफेसर कालडोर ने कहा है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था १,२०० करोड़ रुपये के नये नोटों को नहीं खपा सकेगी । इससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे तथा जनता का जीवन स्तर गिर जायेगा । सरकार ने कहा कि वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ेंगे परन्तु बहुत से राज्यों से समाचार आ रहे हैं कि मूल्य बढ़ रहे हैं । इससे योजना की वित्तीय गणना में गड़बड़ी होगी तथा यह कोई नहीं जानता कि तब क्या होगा । हमें इस प्रकार की स्थिति को आने से रोकना है ।

आप जनता से धन लेकर संसाधनों को बढ़ा सकते हैं । ये धन दो प्रकार से लिया जा सकता है । अधिक ब्याज पर धन एकत्रित किया जा सकता है । हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि हम अनिवार्य ऋण और धनिकों से अधिक धन लें । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक राजकुमारों तथा बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों के पास से धन को सरकार नहीं निकलवा पायेगी । इसी प्रकार हमारे संसाधन बढ़ सकते हैं ।

छोटी बचत के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि इससे ५०० करोड़ रुपये एकत्रित करने का विचार है । प्रथम पंचवर्षीय योजना से मालूम होता है कि १,५०० लाख व्यक्तियों की आय लगभग १३ रुपये प्रत्येक व्यक्ति है । इसी में से उसको अपने काम की चीजें भी खरीदनी हैं । ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण के अनुसार ऋण देने के लिये ७५० करोड़ रुपये की मांग की है । इससे यह जानकारी होती है कि जनता को ऋण से सहायता पाने की आवश्यकता है ।

एक 'सैल्फ-इन्फ्लेटेड टैक्स' लगाया गया है जिसके अनुसार सामुदायिक परियोजनाओं तथा दस वर्षीय खण्डों (ब्लाकों) के अन्तर्गत निर्माण-कार्य के लिये लगने वाले धन का आधा, जनता एकत्रित करेगी । प्रधानमंत्री ने बताया कि उत्पादन बढ़ जायेगा तथा खाद्यान्न बाहर भेजे जा सकेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि किन देशों को यह खाद्यान्न जायेगा । बर्मा खाद्यान्न नहीं लेगा । प्रथम योजना में २०४ करोड़ रुपये बाहरी सहायता से आने थे परन्तु दूसरी योजना में १०० करोड़ रुपये वार्षिक की व्यवस्था है । मैं नहीं जानता कि इतने विशालकाय संसाधन कहां से प्राप्त होंगे ।

संसाधन हैं; परन्तु सरकार यदि ऐसी नीति चालू करे कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय धन को दबाये बैठे हैं, उनसे धन निकाले । उदाहरणतः उच्च आय-कर स्तर में आय-कर बढ़ा दें तथा आय-कर विभाग को सख्ती करने को कहे । इस प्रकार १०० करोड़ रुपये एकत्र हो सकेंगे । प्रोफैसर कालडोर ने कहा है कि लगभग २०० अथवा ३०० करोड़ रुपये, उन व्यक्तियों से लिये जा सकते हैं जो कर-अपवंचन करते हैं । परन्तु सरकार के अनुसार यह राशि ३० अथवा ४० करोड़ रुपया है ।

पूंजी लाभ कर के द्वारा भी राजस्व एकत्र किया जा सकता है । बड़े जमीदरों, राजकुमारों तथा बड़े व्यापारियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर भी कर लगना चाहिये । लाभांशों की अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिये तथा इस सीमा से अधिक धन को अनिवार्य ऋण के रूप में ले लेना चाहिये । गैर-सरकारी क्षेत्र से भी राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिये तथा इसके लिये राज्य के उद्योगों को प्रारंभ

करना चाहिये तथा कुछ महत्वपूर्ण विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। राज्य व्यापार दूसरी वस्तु है, परन्तु यह जानकारी नहीं है कि हमें इससे क्या मिलेगा क्योंकि आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। परन्तु चर्चा के समय यह स्वीकार किया गया था कि लगभग १०० करोड़ रुपये से २०० करोड़ रुपये इससे मिल सकते हैं। जनता को खेतों तथा कारखानों में काम करके त्याग करना चाहिये। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि धनिकों से रुपया एकत्रित किया जाये तो जनता शारीरिक श्रम करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी।

अगला प्रश्न राष्ट्रीय आय तथा जीवन-स्तर का है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय २५ प्रतिशत बढ़ गई है तथा प्रति व्यक्ति आय १८ प्रतिशत बढ़ गई है। परन्तु जनता की दशा और बुरी ही दिखाई देती है। १,८५० लाख व्यक्ति १३ रुपये मासिक से कम ही खर्च करते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं क्या मजूरी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय आय से जनता के सभी व्यक्तियों का लाभ किस प्रकार होगा जब कि इस बढ़ोत्तरी का समान वितरण नहीं है। धनी और धनी होते जायेंगे तथा निर्धन, पहले से भी निर्धन होंगे। प्रोफैसर कालडर का भी यही मत है।

बेकारी की समस्या पर भी चर्चा हो रही है। उक्त योजना में इस बात का वचन दिया गया है कि कुछ प्रतिशत नियुक्तियां भी होंगी। परन्तु श्रम तथा भूमि सम्बन्धी नीति के अनुसार खेतिहर मजदूरों तथा किसानों में भूमि का समान वितरण नहीं हो पाया है।

कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें योजना पर समस्त भारत को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये। कुछ राज्यों में बेकारी की बड़ी भयानक समस्या है। परन्तु उद्योगों का आवण्टन इस समस्या के आधार पर नहीं किया गया है। हमें पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की क्षेत्रीय विभिन्नता पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्हें ४० प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने की आशा है। परन्तु यह उत्पादन किस प्रकार बढ़ेगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि १२ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि हो सकती है। हमें, रबड़, चाय, आदि के लिये हजारों एकड़ भूमि चाहिये। परन्तु योजना की रूपरेखा में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं दिया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि द्वितीय योजना कब प्रारंभ होगी तथा भूमिहीन श्रमिकों को कब तक भूमि मिलेगी। इन श्रमिकों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग ३५ प्रतिशत है यदि आप जनता का जीवन-स्तर बढ़ाना चाहते हैं और राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं तो आप कृषि श्रमिकों को कुछ भूमि दें जिससे वे अपने जीवन-स्तर में सुधार कर सकें। औद्योगीकरण तभी संभव होगा जब आन्तरिक सफलता हो। इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं किया गया है। करोड़ों एकड़ भूमि अभी बेकार पड़ी है तथा सब से महत्वपूर्ण कार्य यही है कि देश की समस्त बेकार पड़ती भूमि पर कृषि की जाये।

अगला प्रश्न बेदखली का है। बेदखलियां अभी समाप्त नहीं की गई हैं। तथा मामला राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया है। यदि, पांच, दस वर्ष पश्चात् किसी व्यक्ति से भूमि छीन ली जायेगी तब आप उससे पूर्ण प्रयत्न करने की आशा क्यों करते हैं। १९४७ में क्या हुआ ? बहुत बेदखलियां की गईं तथा भूमि का वितरण नहीं किया गया। अधिकतम सीमा-निर्धारण की छूट देने पर भी भूमि नहीं मिली। हैदराबाद के खम्मन् जिले में, सरकार द्वारा अधिकतम सीमा हटा देने पर, भूमि नहीं मिली।

जहां तक कृषि-सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, किराये में कोई कमी नहीं की गई है। यह मामला भी राज्यों पर छोड़ दिया गया है। भूमि सुधार जूरी तालिका की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार

[श्री ए० के० गोपालन]

कर ली गई हैं। परन्तु यदि सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली जातीं तो योजना का उद्देश्य पूर्ण होने में सहायता मिलती।

अन्त में मैं कुछ शब्द जनता की सहकारिता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सभी का कथन है कि योजना जनता की सहकारिता से ही सफल हो सकती है। परन्तु जब तक आप जनता में उत्साह उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक सहकारिता संभव नहीं होगी। प्रधान मंत्री ने कल कहा था कि वह कार्यपालिका को अधिक अधिकार देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विदेशी पर्यटकों का भी यही मत था। परन्तु हम अपने देश की परिस्थितियों की तुलना दूसरे देशों की परिस्थितियों से किस प्रकार कर सकते हैं। हमारे यहां पंचायतें हैं तथा सामुदायिक परियोजनायें हैं। जब ग्रामों में पंचायतें हैं तब इन परियोजनाओं में केवल पदाधिकारी ही क्यों रहें। ये कार्य पंचायतों को सौंपे जाने चाहियें। पंचायत के द्वारा कोई कार्य करने पर निश्चित रूप से सारी जनता उस काम में सहायता देगी। हमें पंचायतों पर दायित्व रखना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें निर्वाचित व्यक्तियों की संस्था बनानी चाहिये जो काम कराये। इसी प्रकार हमें जनता की सहायता मिल सकती है।

जहां तक देश से बेकारी दूर करने के लिये देश भर के औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, केवल सरकार को ही नहीं अपितु देश के सभी दलों को इसमें सहायता देनी चाहिये। यदि सरकार यह समझे कि हमने ठीक सुझाव दिया है तो योजना लागू करते समय हमारे द्वारा बताये गये परिवर्तनों को योजना में रखे जिससे जनता का सहयोग प्राप्त हो सके।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैंने गत शुक्रवार को अगले सप्ताह के कार्य के सम्बन्ध में जो कहा था, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक तथा भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक २८ मई, सोमवार को पेश होगा। यदि समय हुआ तो उस दिन निवारक निरोध अधिनियम के कार्य-संचालन पर चर्चा प्रारंभ होगी। संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, प्रतिवेदित रूप में, २९ मई को पारित करने के लिये तथा विचार के लिये पेश होगा तथा उसके पश्चात् यदि उस दिन समाप्त नहीं हुआ तो निवारक निरोध अधिनियम पर चर्चा होगी।

†**श्री कामत** : (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या यह रूढ़ि है कि प्रत्येक शुक्रवार को माननीय मंत्री, प्रश्न काल के पश्चात् ११-३० बजे आयें तथा आगे होने वाले कार्य को बतायें। यदि यह रूढ़ि बने तो इससे प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी सहायता मिलेगी।

†**श्री सत्यनारायण सिंह**। ऐसा हो चुका है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : सोमवार को दिन के अन्त में, निवारक निरोध अधिनियम लिया जायेगा परन्तु इसको बीच में रोक कर संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी तथा इसके पश्चात् निवारक निरोध अधिनियम पर चर्चा होगी। मेरा निवेदन है कि प्रारंभ में ही संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक पर ही चर्चा क्यों न की जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य २८ मई को ही संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : केवल कठिनाई यह है कि मतदान २८ मई को नहीं होगा। हमने अभी घोषणा की है कि २९ मई को संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी क्योंकि यही दिनांक निश्चित किया गया है अन्यथा कठिनाई होगी, क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि विधेयक के लिये विशेष बहुमत चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न यह है कि संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक को २८ तारीख को समाप्त करने के लिये हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होगा। इस लिये मेरा प्रस्ताव है कि हम उसे २८ को प्रारंभ करें व २९ को समाप्त करें।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : संशोधित नियम के अनुसार, जब २८ तारीख को प्रवर समिति का प्रतिवेदन आयेगा तो उस दिन विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी।

†**श्री कामत** : विशेष बहुमत के लिये क्या माननीय मंत्री कांग्रेस-सदस्यों को आज तार नहीं भेज सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कुल मिलाकर ६ घंटे हैं। हम २८ तारीख को ३।। घण्टे और २९ तारीख को २।। घंटे लेंगे। मैं समझता हूं कि विचार प्रक्रम में खण्डशः विचार-प्रक्रम की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। चर्चा जारी रह सकती है और मतदान अगले दिन हो सकता है।

†**श्री कामत** : उस प्रक्रम में मतदान का क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस प्रक्रम में मतदान की आवश्यकता खण्डशः विचार के पूर्व होगी। प्रबन्ध किया जा चुका है। देश भर में तार भेजना कठिन है। माननीय मंत्री प्रारम्भ से ही २९ तारीख के लिये कहते रहे हैं। इसलिये थोड़ा विचार पहले दिन हो जायेगा और शेष अगले दिन। यदि हमें २८ तारीख को आधा घण्टा और मिल सके तो २९ तारीख को २ घण्टे मिलेंगे जिसमें मंत्री जी उत्तर देंगे और अन्य नेता बोलेंगे। वर्तमान कार्यक्रम ही चलेगा।

२८ तारीख को त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक और भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक के निपटारे के बाद हम निवारक निरोध अधिनियम के कार्यकरण पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे। २९ तारीख को संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार होगा और ३० तारीख को पुनः निवारक निरोध अधिनियम के कार्य पालन पर चर्चा होगी।

†**श्री कामत** : भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक में कितना समय लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसमें केवल १ घंटा लगेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए ऐसा करने की अनुमति दे दी जाय, परन्तु भविष्य में चर्चा को दो भागों में विभाजित नहीं किया जाय।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प—जारी

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि अपने देश के भविष्य के निर्माण में भाग लेना एक विशेषाधिकार है। योजना की बहुत-सी बातों का मैं स्वागत करता हूं, परन्तु मैं अपना भाषण उन्हीं बातों तक सीमित रखूंगा जिनमें मेरे विचार से संशोधन की आवश्यकता है। इसलिये, मैं जो आलोचना करूंगा उसको उचित दृष्टिकोण से मान लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अशोक मेहता]

जब हम देश के नए भाग्य का निर्माण करने बैठे हैं तो सन्निहित मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में स्पष्ट बोध हो जाना चाहिये। प्रारंभिक चार अध्यायों में योजना के मूल सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है परन्तु आश्चर्य है कि अगले २६ अध्यायों में उस गति को रोकने का प्रयत्न किया गया है जो प्रथम चार अध्यायों में उत्पन्न की गई है। मैं नहीं समझता कि योजना आयोग समस्याओं का स्पष्ट बोध होने पर भी ठोस सफलताओं के सम्बन्ध में स्पष्ट मार्ग-दर्शन क्यों नहीं कर सका।

प्रधान मंत्री ने कहा कि ऐसी अनेक पंचवर्षीय योजनायें बनेंगी। हम सब उनसे सहमत हैं कि यह आवश्यक है कि हम यात्रा के लक्ष्य की ओर देखें ताकि मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में हम समर्थ हों। परन्तु प्रधान मंत्री आगे बढ़ने की धुन में यह महसूस करने में असफल रहे कि अगली दो योजनायें बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वयं योजना में यह संकेत किया गया है कि अगले दस वर्षों में ही हमें इस मार्ग को पार करना है। वैसे तो सभी योजनायें महत्वपूर्ण हैं, परन्तु फिर भी उस योजनाकाल का कुछ विशेष महत्व है जिसमें इस लक्ष्य को पार किया जाना है।

लक्ष्य का मार्ग पार करने की कुछ मुख्य विशेषतायें होती हैं। प्रधान मंत्री तो मार्ग पार करने के महत्व की ओर ध्यान देने में असफल रहे किन्तु योजना आयोग ने पृष्ठ २१ पर कहा है कि हमें होने वाले लाभ की अपेक्षा प्रयत्न के संसज्जन में अधिक ध्यान लगाना चाहिये।

श्री गोपालन ने आय का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया। हम में से अधिकांश इसके लिये उत्सुक हैं। यदि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो हम जीवन-स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते। यह विकास का एक आज्ञापक है। यदि आय का स्तर ऊंचा हो जायेगा तो विकास की गति मंद हो जायेगी और हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। यही कारण है कि हमारी जनता ने इसको समझा है और उसकी प्रतिक्रिया भी अनुकूल रही है।

प्रथम योजना में उसने सहयोग दिया है। प्रति व्यक्ति-उपभोग और व्यय में ९ प्रतिशत वृद्धि हुई है अर्थात् प्रति व्यक्ति ३ या ४ आने की वृद्धि। यह बहुत कम है। द्वितीय योजना में, यदि वह पूर्णतः कार्यान्वित हो जाये, कितनी वृद्धि होगी ? खाद्यान्न के उपभोग में लगभग एक औंस वृद्धि होगी। और कपड़े में एक या दो गज। इसमें संदेह नहीं कि सड़कों, स्कूलों और कारखानों की संख्या भी बढ़ जायेगी परन्तु यह कोई अधिदर्शनीय वृद्धि नहीं है जो हम जनता को बता सकें। यही कारण है कि भूतकाल में सरकारों ने विकास कार्य या तो पूंजीवादी तरीके से किया है या अधिनायकतन्त्र के माध्यम से।

हमें एक नया प्रयोग करना है और वह है प्रजातन्त्र का विकास के साथ समाधान। इतिहास में यह पहला ही मौका है जब किसी राष्ट्र ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विकास-कार्य करने का निश्चय किया है। यदि विकास-कार्य किया जाना है तो स्पष्ट है कि हम जीवन-स्तर को विशेष ऊंचा नहीं उठा सकते।

फिर दूसरी विशेषता भी है जिसकी ओर योजना आयोग ने विशिष्ट संकेत नहीं किया है। मैं प्रोफेसर आर्थर लुई की पुस्तक "दि थियोरी आफ़ इकानामिक ग्रोथ" से उद्धरण देकर लोक-सभा का ध्यान दूसरी विशेषता की ओर आकर्षित करूंगा। पृष्ठ २३५ में लेखक ने कहा है कि "किसी भी औद्योगिक क्रांति का मूलभूत तत्व धन कमाने के अवसरों में अचानक वृद्धि है। ब्रिटेन, जापान और रूस की औद्योगिक क्रांतियां इसी प्रकार की हैं। प्रत्येक मामले में अधिक उत्पादन का तुरन्त लाभ किसानों, मज़दूरों को नहीं होता, वरन् निजी लाभ में ही वृद्धि होती है जिसका प्रयोग और पूंजी निर्माण के लिये किया जाता है। मज़दूरों को अधिक संख्या में नौकरी मिलती है, परन्तु वास्तविक मज़दूरी उत्पादन के बराबर तेजी से नहीं बढ़ने दी जाती"।

यह भी आयोजन पर आवश्यक बल देता है। आर्थिक विकास का सार यह है कि वितरण के अन्य तत्वों की अपेक्षा लाभ अधिक बढ़ता है। लाभ का ही विकास में मुख्य भाग होता है जोकि मुख्य उत्तोलनदंड है। सर्वाधिकारवादी देश में मुख्य उत्तोलनदंड का परिचालन पूर्णतः राज्य द्वारा किया जाता है। यथेच्छाकारिता के देश में मुख्य उत्तोलनदंड का परिचालन पूर्णतः पूंजीवादियों द्वारा किया जाता है। यह सरकार जो प्रजातन्त्र का विकास से समाधान करने का प्रयत्न कर रही है, उस उत्तोलन-दंड का परिचालन कैसे करेगी ? यहीं पर योजना आयोग भद्दा उत्तर देता है। यही वह उत्तोलन-दंड है जिसके परिचालन पर अधिकाधिक अतिरेक आता है। जैसा कि प्रोफेसर लुई ने कहा है, यह विकास छोटी-छोटी वृद्धियों पर निर्भर नहीं रहता। वे सब अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं, परन्तु आर्थिक रूपान्तर का सार वृद्धिशील लाभों के संसज्जन में होता है। हम उसके सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ? उस उत्तोलनदंड का परिचालन कैसे किया जा रहा है ? मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आयोजकों ने आवश्यक विचार नहीं किया है।

प्रधान मत्री हमारी समानता की मांग को यह कह कर ठुकराते रहे हैं कि लोगों को गरीबी के स्तर पर लाने से क्या लाभ ? ऐसा कोई भी नहीं चाहता। यदि आप अगले १०, १५ या २० वर्षों में लक्ष्य प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तो जीवन-स्तर नहीं उठाया जा सकता और यदि आप जीवन-स्तर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो विकास की गति मन्द पड़ जायेगी। यह विकास की द्विविधा है। मुझे दुःख है कि प्रधान मंत्री और श्री गोपालन दोनों इस द्विविधा से भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें इस द्विविधा का सामना करना है और उसका एकमात्र तरीका जनता को विश्वास में लेना है और जनता का विश्वास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वह यह समझे कि सब के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है। आप जनता से यह नहीं कह सकते कि महत्व प्रयत्न का होता है, परिणाम का नहीं।

फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ २१ पर योजना आयोग ने कहा है कि ये लाभ महत्वपूर्ण हैं परन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह संतोष होता है जिसका अनुभव समाज अच्छा कार्य करने में करता है।

जब तक हम उपनिषद् के दर्शन को नहीं अपनायेंगे तब तक प्रजातन्त्र में आर्थिक रूपान्तर नहीं हो सकता और मैं यह भी देख रहा हूं कि हमारे आयोजक इस दृष्टिकोण का महत्व नहीं समझते हैं।

फिर संसाधनों के बढ़ाने का प्रश्न आता है। यहां भी यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संसाधनों को इस तरह बढ़ाना है कि जिन लोगों का स्तर ऊंचा नहीं होगा वे यह महसूस करें कि संसाधन इस तरह बढ़ाये जा रहे हैं कि असमानतायें नहीं रहने दी जायेंगी। मुझे खेद है कि योजना आयोग ने विकास के इस मूल सूत्र की उपेक्षा की है कि करारोपण की अधिकतम दर औसत से अधिक होनी चाहिये ताकि कर-प्राप्ति राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से बढ़े। यह तब विशेष रूप से आवश्यक है जब सरकार राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिये स्फीति को साधन बनाये। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि करारोपण की अधिकतम दर क्या होगी और उसका राष्ट्रीय आय की वृद्धि से क्या सम्बन्ध है। यदि इन उत्तोलनदंडों का उचित ढंग से परिचालन नहीं किया जायेगा तो सरकार का उद्देश्य अच्छा होने पर भी उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कई बार कहा है कि प्रत्यक्ष कर चरम सीमा पर पहुंच गये हैं। पता नहीं विदेशी अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श के बाद उनके विचार बदले हैं या नहीं। योजना आयोजन ने नए करों का सुझाव दिया है। इसी सरकार ने पहले पूंजी लाभ-कर खत्म कर दिया था, अब यह नए कर क्यों लगाये जा रहे हैं ?

श्री गोपालन ने प्रत्यक्ष करारोण द्वारा धन जुटाने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा मैं उसको दुहराऊंगा नहीं और न कर-अपवंचन का ज़िक्र करूंगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमें

[श्री अशोक मेहता]

नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि योजना आयोग के प्रतिवेदन में राज्य व्यापार के सम्बन्ध में केवल एक पंक्ति दी गई है। उन्होंने वाणिज्य और व्यापार के सम्बन्ध में एक अध्याय भी नहीं दिया है जब कि २७ लाख व्यक्तियों को व्यापार और वाणिज्य से रोजगार मिलने की आशा है। ज्ञात होता है कि योजना निर्माता कई चीजें भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं।

अब मैं प्रशासन के मामले को लेता हूं। योजना के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि प्रशासन तथा योजना के समस्त ढांचे का आधार ज़िला ही है किन्तु इस सम्बन्ध में केवल इतना ही किया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के तत्वावधान में विशेष जांच करने की सिफारिश की गई है। प्रत्येक विषय के लिये समिति बनाना और विषय को ताक में रख देना अंग्रेजी शासन करने का पुराना ढंग था। आप ऐसी महत्वपूर्ण समस्या को समिति को सौंप करके ही निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। पिछले दो वर्षों में कई समितियां नियुक्त की गई हैं, तब इस महत्वपूर्ण समिति को क्यों नियुक्त नहीं किया गया है? यह समिति कब नियुक्त की जायेगी? प्रथम पंचवर्षीय योजना का अभाव बेकारी थी और इस योजना का अभाव संगठन है अमेरिका के युवक संगठनों ने १०,४१,९७७ नये निर्माण और ३,९२,००० मरम्मत के कार्य किये हैं, किन्तु भारत के युवकों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में कोई निर्देश नहीं किया गया है।

प्रधान मंत्री ने प्रोद्योगिकी और संगठन के समीकरण की बात कही है किन्तु यह नहीं बताया गया है कि प्रोद्योगिकी का प्रशिक्षण कैसे किया जायेगा। इसमें समस्या का कोई हल नहीं दिया गया है अक्सर उच्च प्रोद्योगिकी में निम्न प्रोद्योगिकी को खतरा पैदा हो जाता है और इसका निराकरण केवल उचित संगठन के द्वारा हो हो सकता है। किन्तु संगठन के विकास के सम्बन्ध में यहां कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मैंने योजना की जो कुछ भी आलोचना की है वह बुनियादी प्रकार की है। योजना को, योजना आयोग द्वारा प्रथम चार अध्यायों में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप ही होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस योजना का संशोधन किया जाय। तभी हम इसमें भरपूर सहयोग दे सकेंगे।

मैं प्रधान मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि यदि वे सच्चे अर्थों में समाजवाद को लाना चाहते हैं तो यही सर्वोत्तम समय है कि वे इस योजना में इस प्रकार का संशोधन कर सकते हैं कि यह योजना एक दल विशेष की योजना न बन कर जनता की योजना बने और यह दरिद्रता नष्ट कर समृद्धि प्राप्त करने का सर्वोत्तम सरलतम साधन हो।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी :** (दरांग) : मैं इस योजना तथा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का स्वागत करता हूं। जो थोड़ा सा समय मेरे पास है उसमें मैं सभा के समक्ष कुछ सुझाव रखूंगा। पहिली बात यह है कि लाभ के सम्बन्ध में कुछ कार्य किया जाना चाहिये। किन्तु द्वितीय योजना में इस विषय का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिद्वंद्विता के समाप्त होने तथा उपभोग में वृद्धि होने के कारण उद्योगों में लाभ होने की आशा अधिक है और हानि की संभावना तो लगभग समाप्त ही हो गई है। इसलिये लाभ पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। मेरा सुझाव यह है कि आयोजित अर्थव्यवस्था में लाभ पर प्रतिबन्ध लगाना अनिवार्य है। मेरे विचार से बैंक दर से कुछ अधिक लाभ लेने की अनुमति देकर बकाया राशि को योजना में ही लगाया जाये। यदि पहिले कुछ अध्यायों में दिये गये सुझावों का पालन किया जाय तो योजना के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध हो जायेगी और योजना में अपेक्षित कर लगाना आवश्यक नहीं होगा। अन्यथा योजना में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दरिद्र और बेरोजगार ही हो, अप्रत्यक्ष कर देना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सरकार उद्योगों के संचालन के लिये राशि दे रही है यह ठीक है। तथापि उनसे प्राप्त होने वाला लाभ औद्योगिकों को नहीं मिलना चाहिये बल्कि सरकार को मिलना चाहिये। इससे सरकार को बहुत लाभ होगा।

प्रोफेसर कालडर ने यह कहा है कि इस समय भी २०० से ३०० करोड़ रुपये का कर अपवंचन किया जाता है। यदि इसे वसूल किया जाय और उद्योगों के लाभ को प्राप्त किया जाय तो सरकार को अप्रत्यक्ष कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

वस्तुतः योजना में ७,००० करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर उसे उत्पादक कार्यों में लगाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिये दरिद्र व्यक्ति को भी कुछ न कुछ राशि देनी होगी। किन्तु वस्तुतः लाभ बड़े औद्योगिकों को मिलेगा। इसे रोकने के लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की है।

निस्संदेह योजना प्रतिवेदन के प्रथम कुछ अध्यायों में इन सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। किन्तु अन्ततः उन सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है।

तीसरी बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है कि आपने धन के आधार पर योजना बनाई है और जन बल का बहिष्कार कर दिया है जब कि चीन ने व्यक्तियों तथा धन दोनों संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि योजना के तीसरे और चौथे वर्ष की आय का वितरण किया जायेगा तो वह बहुत अल्प होगी अर्थात् प्रति व्यक्ति की आय २८१ से बढ़ कर ५०० रुपये तक हो सकती है। मेरे विचार से यदि अर्थ-विकसित अर्थ व्यवस्था में धन तथा जन दोनों संसाधनों का उपयोग किया जाय तो विकास की गति अधिक तीव्र हो सकती है।

मजूरी के सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता ने यह कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि साम्यवादी दल तथा भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ के बीच कोई अभिसंधि हो गई है। संघ कह सकता है कि मजूरी में २५ प्रतिशत तक वृद्धि होनी चाहिये यद्यपि हो सकता है कि सरकार की नीति मजूरी बढ़ाने की न हो। किन्तु सरकार को इससे मत प्राप्त करने में सुविधा होगी चाहे सरकार मजूरी न बढ़ाये। मेरा विचार है कि यह बात ठीक नहीं है क्योंकि यदि उद्योगों के लाभ पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जायेगा तो सारा लाभ औद्योगिकों को ही मिलेगा। इसलिये मजूरी बढ़ा कर इस लाभ का वितरण करना चाहिये। यदि आप मजूरी बढ़ायेंगे तो मजदूरों को इससे प्रेरणा मिलेगी और वे अधिक काम करेंगे। यदि सरकार यह अनुभव करे कि उनकी मजदूरी बहुत बढ़ गई है तो वह बिक्रीकर आय-कर इत्यादि लगा कर मजूरी की वृद्धि पर नियंत्रण लगा सकती है। समाजवाद के लिये यह आवश्यक है कि आय का उत्पादन और वितरण समाज के निम्न स्तर पर ही होना चाहिये और सरकार को कर भी वहीं से प्राप्त करना चाहिये। इसके लिये निम्न स्तर को इस योग्य बनाना चाहिये कि वह आय कर देने में समर्थ हो सकें। यदि हमें विदेशों के बराबर मजूरी मिले तो हम भी उतना ही आय-कर दे सकते हैं। यदि आप हमें कर देने योग्य बनायेंगे तो औद्योगिकों को कर अपवंचन के बहुत कम अवसर मिलेंगे विदेशों में भी ऐसा हुआ है कि सर्वसाधारण की आय में वृद्धि करके कर अपवंचन को दूर किया गया है। यदि आप औद्योगिकों को मिलने वाले लाभ को घटा देगें तो आपको कर के लिये उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वेतन भोगी लोगों की आय निश्चित रहती है। वे उसे किसी से छिपा नहीं सकते। हरएक आदमी उनकी आय जानता है। किन्तु लाभ पर निर्वाह करने वाले बड़े-बड़े पूंजिपतियों की आय का कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। इसीलिये वे करों से बच भी जाते हैं। अतः यदि सरकार हम वेतन भोगियों के वेतन में वृद्धि कर दे तो हम कर देने को तैयार हैं। आप अमीरों की जेबें भरने की बजाये ग़रीबों की तनख़्वाहें बढ़ा दें वे सब कर देने को तैयार हैं।

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

हमारे देश की कर व्यवस्था भी बड़ी अन्यायपूर्ण है। जिनके पास पहले ही कम पैसा है उन्हें अपरोक्ष करों के रूप में और करों से लादा जा रहा है। अमीर साफ़ बच जाते हैं। गरीबों के पास तनिक भी अधिक पैसा नहीं है जिससे वे बचा कर बुढ़ापे के लिये रख सकें। आपका कहना है कि अगर हम लाभ जीवियों को अधिक लाभ नहीं होने देंगे तो उनके लिये काम करने के लिये अधिक प्रेरणा नहीं रहेगी। मैं कहता हूं इसकी बजाये अगर आप भविष्य निधि तथा बीमे आदि की सुविधाओं के द्वारा वेतन पाने वाले लोगों की आय बढ़ायेंगे तो वे आपको अधिक कर देने के लिये तैयार हैं। अमरीका आदि पूंजीपति देशों में भी आज यही हो रहा है। प्रत्येक देश में वेतन भोगी व्यक्तियों की क्रयशक्ति को स्थिर किया जा रहा है। इस शक्ति को स्थाई बनाना बड़ा आवश्यक है। इसकी एक ही विधि है। आप करों के ढांचे को इस प्रकार बदल दीजिये कि ग़रीब लोगों को अधिकाधिक बचत होने लगे। हमें भविष्य निधि अधिनियम को और व्यापक बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार को तो विकास कार्यों के लिये रुपया चाहिये चाहे यह करों द्वारा प्राप्त हो अथवा बचत आदि द्वारा। इसलिये हमारे योजना बनाने वालों को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

दूसरे आज की योजना बद्ध अर्थ-व्यवस्था में सामूहिक सौदाबाज़ी द्वारा वेतन आदि की वृद्धि कराने का बहुत कम अवसर रह गया है। इस काम के लिये हड़तालों और ताला बन्दियों का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं।

कुछ लोगों का यह कहना है कि यदि वेतन बढ़ा दिये जायें तो हमारी योजना को कार्यान्वित करना बड़ा दुस्तर हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि पहले आप यह देखें कि प्रत्येक उद्योग में केवल वेतन बढ़ाने की कितनी गुंजाइश है।

हमारी योजना में वेतन नीति का न होना उसकी सबसे बड़ी कमी है। यद्यपि इस काम के लिये वेतन बोर्ड हैं, किन्तु वे भी योजना का व्यय बढ़ जाने के भय से वेतन बढ़ाने की सिफारिश नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वेतन बढ़ाने की मांग का क्या होगा? वास्तव में वेतन नीति के बिना कोई ठोस योजना बन ही नहीं सकती है। आज हमारे यहां वेतनों का देशनांक १०२ है और उत्पादन का ११३ यह अन्तर क्यों है? इसलिये कि मज़दूरों को कम वेतन दिया जा रहा है। उत्पादन की वृद्धि के अनुसार वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिये। १९५० से १९५४ तक वेतन देशनांक में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि उत्पादन में लगभग ५१ प्रतिशत वृद्धि हुई है। फिर भला वेतन बढ़ाने में क्यों आनाकानी की जा रही है। यदि आप वेतन जीवियों को उपभोग के लिये अधिक वेतन नहीं देना चाहते तो आप कम से कम उनके वेतनों को बढ़ा कर बढ़ी हुई राशि को भविष्य-निधि तथा बीमा आदि के रूप में काट लीजिये, जिससे उनको बुढ़ापे आदि आड़े वक्त में तो कुछ न कुछ मिल सके। और इधर आप का वेतन वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति का भय भी जाता रहेगा। आप इस बचत के रुपये को फिलहाल बिकास कार्यों में भी लगा सकते हैं।

योजना आयोग के श्रम मण्डल में एक बार यह चर्चा चली थी कि देश भर में प्रत्येक उद्योग के आर्थिक ढांचे की जांच की जायेगी। किन्तु उस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। भला इसके बिना आपको किसी उद्योग की लागत-व्यवस्था का क्या पता लग सकता है और फिर आप कैसे यह जान सकते हैं कि अमुक उद्योग में कम से कम कितना वेतन दिया जा सकता है? इस सबके बिना आपकी योजना व्यर्थ है। आप आज एक समिति बनाते हैं जो तीन वर्ष में अपना प्रतिवेदन देती है और तब तक उद्योग का आर्थिक ढांचा ही बदल जाता है। तब आप कहने लगते हैं हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते हैं। हम भला गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में कैसे दख़ल दे सकते हैं इत्यादि।

योजना आयोग में यह सुझाव रखा गया था कि वेतन किसी उद्योग के आर्थिक एककों के आधार पर निश्चित किया जाये। अब प्रत्येक उद्योग में कुछ एकक घाटे पर चलने वाले एकक होते

हैं। वे लोग उस एकक को चालू रखने के लिये उसी आधार पर न्यूनतम वेतन निश्चित कर देते हैं। फलतः उन्हें अच्छे एककों से अधिक आय होती रहती है और इस प्रकार पूंजीपति दिन ब दिन अमीर होता जाता है।

आर्थिक दृष्टि से घाटे में चलने वाले सभी एककों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिये। वेतन केवल आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ एककों की औसत के आधार पर ही निश्चित किया जाना चाहिये। इसमें इन घाटे पर चल रहे एककों को सम्मिलित नहीं करना चाहिये। और यदि कोई उद्योग घाटे वाले एककों का ठीक प्रबन्ध नहीं कर सकता है तो सरकार उसे अपने हाथ में ले सकती है। इंग्लैंड में भी ऐसी व्यवस्था है। इसी लिये वहां का प्रबन्ध अच्छा रहता है। क्योंकि लोगों को डर रहता है कि अगर प्रबन्ध ठीक नहीं होगा तो सरकार इस उद्योग अथवा एकक पर अधिकार कर लेगी। भारत में भी ऐसी विधि बनाई जानी चाहिये। सरकार चाहे तो उद्योग के अलाभ पर चलने वाले क्षेत्र को अपने क्षेत्र के साथ मिला सकती है। किन्तु आज कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

फिर योजना में यह कहा गया है कि १९६० तक नौकरियों की संख्या हमारी आवश्यकता का ५० प्रतिशत होगी। अर्थात् हमारी समस्या ५० प्रतिशत तक हल हो जायेगी। किन्तु जब आप एक ओर वैज्ञानिकन कर रहे हैं तो फिर भला यह समस्या कैसे हल हो सकती है? १९५१ से १९५४ तक उद्योगों में नौकरियों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। हालांकि कई नये उद्योग खुल रहे हैं फिर भी इस क्षेत्र में नौकरियों का देशनांक २५·३९ से गिरकर २४·९२ हो गया है। आपने प्रत्येक उद्योग में वैज्ञानिकन की योजना बनाई है। उसमें मनुष्यों के स्थान पर नई-नई मशीनरी लाई जायेंगी। तब स्वभावतः बेरोज़गारी के बढ़ने की ही आशा की जा सकती है। अतः यद्यपि आपने उस क्षेत्र में ८०-९० लाख व्यक्तियों को नौकरियां देने का अनुमान लगाया है; तथापि वास्तव में आप इससे बहुत कम लोगों को ही नौकरी दे पायेंगे।

इस मशीनी आर्थिक व्यवस्था में आपको अधिक वेतन देने ही पड़ेंगे। उसके बिना आपका गुज़ारा नहीं हो सकेगा। आज प्रत्येक अग्रणी देश में प्राथमिक उद्योगों में नौकरियों की संख्या कम हो रही है किन्तु द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र के उद्योगों में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उस प्रकार ऊंचे दर्जे की मशीनों का उद्योग बढ़ता जा रहा है। उसमें आप को वेतन बढ़ाना बड़ा आवश्यक है।

बेरोज़गारी से प्रजातन्त्र को बड़ा ख़तरा हो सकता है। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात-चीत चली थी, उस समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम बेकार व्यक्तियों का ख़ास ध्यान रखेंगे। हमें यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। किन्तु अब पता चल रहा है कि उसमें केवल उत्पादन की वृद्धि का ही ध्यान रखा गया है। योजना आयोग नौकरियों का अनुमान लगाने में बिल्कुल असफल रहा है। इस योजना से देश में नौकरियों की वृद्धि होने की कोई विशेष सम्भावना नहीं है। इसमें देश में उपलब्ध सारी जनशक्ति का उपयोग करने का कोई उपबन्ध नहीं किया जा सका है।

कुछ समय पहले श्री अशोक मेहता ने कहा था कि अब फिर नियंत्रणों की आवश्यकता पैदा हो गई है। मैं इससे सहमत हूं। मगर सरकार के पास नियंत्रण लागू करने के लिये अभी तक आवश्यक आंकड़े तथा सामग्री नहीं है। यदि आप नियंत्रणों को ठीक ढंग से नहीं चला सकते तब वे बहुत भयावह बन जायेंगे। इसलिये मैंने यह सुझाव रखा था कि कुछ वस्तुओं को चुन लेना चाहिये और योजना की सम्पूर्ण अवधि भर उनकी कीमतों पर नियंत्रण रखना चाहिये। उनमें हम कपड़ा, मोटा अनाज, खाद्यान्न, दालें, तथा खाद्य तेल आदि सम्मिलित कर सकते हैं। आपको वस्तुओं के भण्डार अपने पास रख कर कीमतों को काबू में रखना चाहिये और साथ ही परिवहन के साधनों को इस प्रकार से तैयार रखना चाहिये कि वे किसी भी आपात की स्थिति का मुकाबला कर सकें। सरकार

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

को सदैव आर्थिक गतिविधि के परिचायक कारकों का ध्यान रखना चाहिये ताकि किसी भी समय कीमतें उसके काबू से बाहर न हो सकें ।

पूंजी के संकलन के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि किसी देश का आर्थिक ढांचा नीचे के स्तर के लोगों से आने वाले पैसे पर ही आधारित होता है । अतः सरकार को सारे देश के ढांचे को इस तरीके से बनाने का प्रयत्न करना चाहिये कि निम्न श्रेणी के लोग अधिकाधिक बचत कर सकें । आप उनके द्वारा बचाई जाने वाली भविष्य निधि आदि की बचतों से ही अपना निर्माण कार्य चला सकते हैं । आखिर समाजवादी ढंग के समाज का क्या अभिप्राय है ? आपने पूंजी के लाभ पर कर लगाने की इच्छा प्रकट की है किन्तु कब यह होगा इसका कुछ पता नहीं । इसी प्रकार आप व्यय पर तथा उपहारों पर कर लगाने जा रहे हैं । यदि आप इस प्रकार के सभी संसाधनों से रुपया एकत्रित करने लगेंगे तो फिर आपको कोई कठिनाई नहीं रहेगी । आप लोगों का धन जैसे भी चाहे ले लें किन्तु उनकी आय अवश्य निश्चित होनी चाहिये । आपको धन की एक विशेष सीमा निश्चित कर देनी चाहिये । फिर सब लोग आपसे सहयोग करने लगेंगे । अब हमें गैर-सरकारी उद्योगों की पुरानी प्रणाली से कार्य करने की छूट नहीं देनी चाहिये ।

आय की अधिकतम सीमा निर्धारित किये बिना समाजवाद आ ही नहीं सकता । इसके बिना देश में समता नहीं आ सकती है । अगर हम यह सीमा निश्चित नहीं करना चाहते तो कम से कम हमें विभिन्न आयों का अनुपात तो निश्चित कर ही देना चाहिये । चीन में यह अनुपात १ और १० का है । हमारे यहां योजना आयोग ने १ और ३० के अनुपात का सुझाव रखा था । यदि आप इसे भी नहीं कार्यान्वित करना चाहते तो फिर आप कम से कम आय की अधिकतम सीमा तो निर्धारित कर ही दीजिये । जब तक आप आय की अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित कर देंगे तब तक देश में भ्रष्टाचार और पक्षपात आदि समाप्त नहीं हो सकते हैं ।

हमारी योजना में भी समाजवाद का रूप स्पष्ट नहीं किया गया है । किन्तु फिर भी मैं चाहता हूं कि यह योजना सफल हो, क्योंकि इसी में समूचे देश का हित है और मुझे आशा है कि देश के सभी लोग इसमें सहयोग देंगे ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : प्लानिंग (योजना) की पुस्तक के सारांश को पहले आठ अध्याय तक मैंने ध्यान से पढ़ा है । यहां पर आज सबेरे से जो बहस हो रही है उसको ध्यान से सुना है । प्लानिंग (योजना) के सम्बन्ध में यहां पर कई बातें कही गयीं ।

मेरे मित्र अशोक मेहता साहब ने कहा कि अगर हम साधारण लोगों से इस प्लान (योजना) के सम्बन्ध में स्वार्थ त्याग की भावना की आशा करते हैं तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम इस तरह की आशा पूंजिपतियों से भी करें । अभी हाल में हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने वर्कर्स (श्रमिकों) की तनख्वाह को बढ़ा देने के लिये बहुत काफी वजूहात पेश कीं ।

इस प्लान के सम्बन्ध में एक बात जो मेरी समझ में आयी है वह मैं कह दूं, और वह यह है कि अगर हम प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) से यह उम्मीद करें कि वह प्लान (योजना) के बारे में सारी बातें ब्योरेवार वर्णन कर दे या अमली पांच सालों में जो कुछ इस गवर्नमेंट को करना है वह सब कुछ लिख दे तो हमारे लिये यह आशा करना नामौजूं होगा । आखिर यह प्लान (योजना) पांच साल तक चलेगी और इस बीच में सरकार इस प्लान (योजना) में इसको सफलतापूर्वक चलाने के लिये समय-समय पर कुछ परिवर्तन भी करेगी । मैं समझता हूं कि इन सब बातों का बयान प्लानिंग कमीशन अपनी रिपोर्ट में नहीं कर सकता, और अगर वह ऐसा करे तो पार्लियामेंट के सदस्यों को उसे पढ़ने का शायद ही मौका मिले । आज भी जो पोथा हमारे सामने है उसको भी पढ़ने की हिम्मत

मैं तो नहीं करता, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह हुई कि इसके साथ एक छोटी सी समरी बड़े टाइप में हम लोगों को दी गयी है और उसी में से मैंने पहले आठ अध्याय पढ़े हैं।

अभी यह बात कही गयी है कि हमें एक बात की तरफ बड़ा ध्यान रखना चाहिये और वह यह है कि जितने कारखाने अभी चल रहे हैं या आगे चलेंगे उनमें कारखानेदारों के नफे का हम एक धरातल मुकर्रर कर दें। इसके सम्बन्ध में मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले यहां बोलते हुए कहा था कि यदि सरकार कारखानेदारों का मुनाफा ६ परसेंट मुकर्रर कर दे और जो बाकी मुनाफा हो उसको पूंजी के रूप में ले लिया जावे तो वर्किंग क्लासेज़ जो बारबार हड़ताल करते हैं और ज्यादा तनख्वाह के लिये मांग करते हैं यह कुछ न कुछ कम हो जायेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बराबर कारखानों के मजदूर लोग अपनी बेहतरी के लिये कोशिश करेंगे और उनका यह कहना कि अगर कारखानेदार बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस परसेंट का मुनाफा बांटते हैं तो हमें क्यों न ५ या १० परसेंट उसमें से मिले, बिल्कुल वाजिब होगा। इसलिये सरकार को इस बात पर खूब संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये कि वह इस देश के कारखानेदारों के मुनाफे की कुछ न कुछ सीमा मुकर्रर कर दे। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की एक बड़ी भारी कठिनाई है और वह यह है कि हमारे देश में बहुत से विदेशियों ने बहुत रुपया लगाया हुआ है और शायद सरकार ने उन विदेशी कारखानेदारों से इस तरह की शर्त भी कर ली है कि उनके पुराने मुनाफे के ऊपर किसी किस्म का बन्धन नहीं होगा। इसीलिये सरकार कारखानेदारों के मुनाफे की हद कायम करने में हिचकती है और ऐसा करना है भी सही। इसीलिये मैं सरकार को इस बात के लिये आगाह कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो विदेशी पूंजी को ४ करोड़ की राशि तक नये प्लान में फिर से निमंत्रण दिया है उस निमंत्रण पर वह गौर रखें। शायद मैंने यह भी पढ़ा है कि इसके सम्बन्ध में सरकार के बड़े भारी कारकुन विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों में जा कर वहां के पूंजीपतियों को इस देश में कारखाने खोलने का न्यौता दे आने वाले हैं। लेकिन यह न्यौता देने के पेश्तर सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि अगर विदेशी पूंजी यहां पर आवे तो उसके विषय में सरकार को रोक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसे विदेशी कारखानेदारों की पूंजी के ऊपर उनको जो इस देश के अन्दर मुनाफा हो उस पर भी कुछ बन्धन लगाना होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैंने इस बात को भी ध्यान से पढ़ा और सुना कि इस देश में चाय और काफी के प्लांटेशन्स के मालिक बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जिन्होंने हजारों एकड़ भूमि पुराने वक्त से नाम मात्र के मूल्य पर ९९ साल के लिये पट्टे पर ले रखी है। उसके बारे में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके साथ सरकार ने यह भी कहा है कि हम इस देश में चार सौ या पांच सौ रुपया छोटी बचत के रूप में इन पांच सालों में इकट्ठा कर लेंगे। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि अभी हाल में राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में सरकार ने हमको एक पुस्तक दी है। उससे यह नहीं मालूम होता कि जो पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है वह क्या सब वर्गों में समान रूप से हुई है। लेकिन यह बढ़ोतरी सब वर्गों में समान रूप से नहीं हुई है इसको मानने के लिये किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देहातों में जायें तो आपको मालूम होगा कि हमारे किसानों की आय में, जो कि देश की जनता का ७० प्रतिशत है और जिनकी संख्या २० करोड़ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर कोई बढ़ोतरी हुई है तो वह बहुत से सेल्स टैक्स और एक्साइज़ टैक्स आदि लगकर समाप्त हो गयी है। पहले किसान ४० रुपया मन गेहूं बेचता था और

[श्री के० सी० सोधिया]

अब ८० रुपये मन बेचता है, लेकिन इन टैक्सों के कारण उसको वही हिसाब पड़ जाता है। इसलिये उसकी आमदनी में किसी किस्म की बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर पिछले पंचवर्षीय योजना के काल में किसी की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है तो वह बड़े-बड़े ठेकेदारों और कारखानेदारों की आमदनी में हुई है। सरकार ने कहा है कि सारी राष्ट्रीय आय में १० या १२ प्रतिशत की बढ़ती हुई है। पर यह बढ़ोतरी बीस करोड़ किसानों की आय में और छोटे सरकारी नौकरों की आय में, जिनको सरकार ने थोड़ी तनख्वाह पर भरती किया था, नहीं हुई है। उनको आज भी वही तनख्वाह मिल रही है। तो इतने लोगों की आमदनी तो जैसी की तैसी ही रही है। ऐसी हालत में हम जो छोटी बचत से ५०० करोड़ की राशि की आशा करते हैं इसके लिये चाहे कितना भी प्रयत्न किया जाये, मैं नहीं समझता कि यह आशा पूरी हो सकती है और इतनी राशि इकट्ठी हो सकती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जरियों से प्लानिंग कमीशन इस प्लान के लिये धन जुटाना चाहती है उन जरियों के बारे में उसको कोई खास इत्मीनान नहीं है।

उन्होंने यह कहा है कि अगर सारी शर्तें पूरी हो जायें जितना हम चाहते हैं उतना पैसा मिल जाय, अगर देश के आदमी उतना कर्ज़ा दे दें जितना कि हम चाहते हैं या अतिरिक्त टैक्स लोगों पर हम लगा कर उतनी रक़म प्राप्त कर लें जितनी कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस प्लान को कामयाबी के साथ अमल में ला सकेंगे। इसके साथ ही एक जगह पर उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी आमदनी में ३५० करोड़ रुपये की बचत पांच साल में होगी, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह आंकड़े उन्होंने कहां से एकत्र कर लिये हैं क्योंकि पिछले चार सालों के केन्द्रीय सरकार के बजट को मैं बड़े ध्यान से देखता आया हूं और उससे यह मालूम होता है कि सरकार साल के आखिर में बिना टैक्सों के लगाये अपना खर्चा नहीं चला पाती है और आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब केन्द्रीय सरकार की यह हालत हो तो प्रान्तीय सरकारों की तो बात ही क्या पूछना। प्रान्तीय सरकारों की अवस्था तो और भी गई बीती है और उन्होंने तो केन्द्रीय सरकार से खूब सहायता लेना, खूब अनुदान लेना और उन्हीं अनुदानों के भरोसे पर अपने कामों को चलाना सीख रखा है। जब हमारे यहां ऐसी हालत है तो मुझे नहीं मालूम कि यह ३५० करोड़ रुपये की रक़म कहां से प्लानिंग कमिशन ने यह मान लिया कि यह सरकार के बजट में से बच जायेगी ?

प्लानिंग कमिशन ने एक बात यह भी कही है कि नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ की आय अधिक होगी और मैं समझता हूं कि आय अधिक होनी चाहिये लेकिन हमारा दुःखद अनुभव हमें कुछ दूसरी ही बात बतलाता है। आज तक जितनी भी नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके काम को अगर आप देखें तो आप पायेंगे कि उनमें करोड़ों का घाटा रहा है। एक सिंदरी फैक्टरी ज़रूर इस दिशा में अपवाद सिद्ध हुई है और उसने अपने बजट में अच्छी खासी आय की आमद दिखलाई है। वहां भी अगर सरकार उसका कुल का कुल माल न ख़रीद ले और उसको रक़म न दे दे तो उसका नक्शा पलट जायेगा। केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की सरकारों को फर्टिलाइज़र्स (उर्वरक) के लिये काफी रक़म देती है और प्रान्तीय सरकारें उन्हें किसानों को बांटती हैं और इस तरह करोड़ों रुपया किसानों के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसी हालत में अगर सिंदरी फैक्टरी कुछ थोड़ी सी आमदनी बता दे तो बात दूसरी है लेकिन बाक़ी और सरकार द्वारा खोले हुए जितने कारखाने हैं उनमें तो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं दिखाई देती कि अगले पांच सालों में वहां से कुछ ज्यादा मुनाफा हमें प्राप्त हो सकेगा और जब तक इन बातों के बारे में हमको कोई इत्मीनान न हो, तब तक इतने बड़े भारी प्लान को बना लेना कुएं में छलांग लगाने के समान है। लेकिन आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम कुएं में छलांग लगाये बिना भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमने चीजें बना रखी हैं, वे अधूरी हैं और उनको पूरा करना है और अगर हम देश के आदमियों

को काम करने के लिये न उकसायें और जिस तरह से हमारा काम चलता आ रहा है उसी पर संतोष मान कर हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें, तो यह भी एक किस्म की बहुत बुरी बात होगी।

जहां तक इस सेकेंड फाइव इयर प्लान का सम्बन्ध है, मैं इसकी सराहना करता हूं और स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि इसके बारे में काफ़ी सोच विचार करके प्लानिंग कमीशन ने इतनी बड़ी पुस्तक तैयार की है और आप उस प्लान को शुरू से लेकर आख़िर तक पढ़ जाइये, आपको कहीं कोई अड़चन नहीं मालूम होगी और हर कोई पढ़ने वाला यही कहेगा कि वाक़ई बहुत अच्छा प्लान इन लोगों ने बना कर देश के सामने रक्खा है। लेकिन जिस समय कि वह प्लान काम में आयेगा उस समय इस सरकार को मालूम होगा कि यह प्लान क्या चीज़ है ? जब इस पर अमल करना शुरू किया जायेगा तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को पता लगेगा कि इसको पूरा करना कितना कठिन है। आज वाक्या यह है कि लोग आपके निरंतर टैक्स लगाये जाने के भार से अपने को थका महसूस करते हैं और वे आपके इन टैक्सों से ऊब गये हैं लेकिन वे बिल्कुल मूक हैं और उन सब को सहन करते चले जाते हैं। आपके इस प्लान में जनता पर और टैक्स लगाने का जिक्र आया है और इस नाते हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि बहुत समझ-बूझ कर हम अतिरिक्त करों का प्रस्ताव करें। इस सम्बन्ध में इस पार्लियामेंट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और यदि इस प्लान पर पार्लियामेंट की स्वीकृति की मुहर लग जाती है तो वह इस देश के ३६ करोड़ आदमियों के गले पर लटक जायेगा और सरकार यह कह कर पल्ला झाड़ कर अलग खड़ी हो जायेगी कि भाई हम क्या करें, इस प्लान को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है और इसलिये हमें अब इस सेकेंड फाइव इयर प्लान को अमल में लाना है। इसलिये मेरी सरकार से यह विनती है कि वह इस बारे में ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़े और नये टैक्सों का भार जनता पर डालते समय उसे पूरी तरह इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिये कि क्या उनके बिना काम नहीं चल सकता है।

सरकार को बड़े-बड़े पूंजीपतियों के मुनाफ़े के ऊपर एक किस्म की हदबंदी कर देना चाहिये। सरकार को उन बड़े-बड़े यूरोपियन कारख़ानों, आयल रिफ़ाइनरीज़ इत्यादि से एग्रीमेंट्स करते वक्त गफ़लत नहीं बर्तना चाहिये और इस पर निगाह रखनी चाहिये कि वे बेशुमार मुनाफा न कमा सकें और मुनाफ़े की हद मुक़र्रर कर देनी चाहिये। उनके साथ ३०, ३० साल के एग्रीमेंट्स उनके सुभीते के वास्ते कर लेना, मैं समझता हूं कि कोई अक्लमंद आदमी इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं करेगा और मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अधिक सतर्कता से काम ले और इस तरह के उनके साथ एग्रीमेंट्स न करे जो कि उन यूरोपियन कारख़ानों और पूंजीपतियों के मुनाफे को और बढ़ाने वाले साबित हों।

मैं इस सेकेंड फाइव इयर प्लान का स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि सरकार इसके सम्बन्ध में खूब सोच समझ कर काम करे। १,२०० करोड़ की डेफ़िसिट फाइनेंसिंग को कामयाबी के साथ चलाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, मुंह से हम भले ही कह देते हैं कि हम इसको इस तरह चलायेंगे और उस तरह से चलायेंगे लेकिन याद रखिये कि अगर कहीं दुर्भाग्यवश इस देश में यह प्लान फेल हो गया तो इस देश में क्रान्ति हुये बिना नहीं रहेगी और म यह सामयिक चेतावनी इस अवसर पर देना चाहता हूं।

†**श्री आनंद चन्द** (बिलासपुर) : मैं सभा का ध्यान अपनी उन बातों की ओर आकर्षित करूंगा जो कि मैंने समिति में भी कही थीं। वस्तुतः हमें अक्टूबर १९५४ से लेकर मार्च १९५६ तक संसाधनों की ठीक स्थिति का ज्ञान नहीं रहा है। फलस्वरूप हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संसाधनों की सही स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आनंद चन्द]

जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का प्रश्न है उसमें ४०० करोड़ रुपये की कमी ही नहीं है बल्कि इसमें ८०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता तथा १,२०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का उपबन्ध भी किया गया है । पहिले मैं विदेशी सहायता के प्रश्न को लेता हूं ।

मैंने न्यूयार्क टाइम्स में छपा एक वक्तव्य पढ़ा है, जिसमें लिखा था कि इस वर्ष भारत को ६ करोड़ डालर की सहायता मिलेगी । हम अन्य देशों से भी विदेशी सहायता की आशा कर सकते हैं । मेरे मित्र श्री सोधिया इस बात से बहुत भयभीत हैं कि विदेशी समवाय यहां आ कर अपनी पूंजी लगायेंगे और अपनी कम्पनियां खड़ी करेंगे । मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारे देश में आय-कर बहुत अधिक देना होता है, इससे विदेशी समवायों को यहां आकर पूंजी लगाने को कोई प्रेरणा या प्रोत्साहन नहीं मिलता है ।

जहां तक १,२०० करोड़ की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, वस्तुतः हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों से ही उस घाटे की अर्थ-व्यवस्था कर रहे हैं । मेरे विचार से वर्ष १९५५-५६ में ३६८ करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था करना प्राक्कलित किया गया था । जो भी हो, स्थिति यह है कि खाद्यान्नों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है यद्यपि कृषि-उत्पादन में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है और ६० लाख एकड़ भूमि सिंचाई के योग्य बनाई गई है । इससे वस्तुतः कोई लाभ नहीं हुआ है । मेरा मत यह है कि यदि हम आगे और इसी प्रकार घाटे का बजट बनाते रहेंगे तो खाद्यान्नों के मूल्य में और वृद्धि होगी । प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि यदि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी तो ४०० करोड़ रुपये की कमी पूरी हो जायेगी क्योंकि हम खाद्यान्नों का निर्यात कर इस कमी को पूरा कर लेंगे । मैं इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता का समर्थन करता हूं और मुझे भय है कि यह ४०० करोड़ रुपये हमें अतिरिक्त कर लगा कर पूरे करने पड़ेंगे अथवा घाटे की अर्थ-व्यवस्था को १२ करोड़ से बढ़ा कर १६ करोड़ करना पड़ेगा । संभवतः प्रत्याशित विदेशी सहायता न मिलने पर इस राशि में और भी वृद्धि करनी पड़े जिसके फलस्वरूप मुद्रा-स्फीति होगी । जिसे रोकने के लिये कई सदस्यों ने नियंत्रण को पुनः लागू करने की सलाह दी है; किन्तु पुराने अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नियंत्रण पुनः जारी करना उचित नहीं है क्योंकि इनसे अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा होती हैं और जनता को भी परेशानी होती है ।

इसलिये मेरे विचार से योजना में समाधानों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है । समय बीतने पर हमें किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ कांट-छांट करनी अनिवार्य हो जायेगी और तब यह निश्चय करना कठिन हो जायेगा कि हमें कहां काट-छांट करनी है अन्यथा हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था में और भी वृद्धि करनी पड़ेगी ।

जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, मेरे विचार से बड़े पैमाने के उद्योगों को जो राशि दी गई है वह उपयुक्त ही है क्योंकि देश का भविष्य वस्तुतः इन्हीं उद्योगों की वृद्धि पर निर्भर है । अतः इस राशि के सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत नहीं है । जहां तक कृषि तथा सामुदायिक विकास का सम्बन्ध है, ५६८ करोड़ रुपये की राशि दी गई है । यह राशि कई कार्यों के लिये है । केवल सामुदायिक विकास के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ९० करोड़ की राशि दी गई थी इस राशि को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़ा कर २०० करोड़ रुपये कर दिया गया है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि सामुदायिक विकास में न केवल कृषि-उत्पादन में वृद्धि होने में सहायता मिलेगी बल्कि इससे छोटे पैमान के उद्योगों का विकास भी हो सकेगा किन्तु मेरे विचार से जब तक जिले के स्तर पर प्रशासन में सुधार और परिवर्तन नहीं होगा तब तक अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती है ।

समान सेवाओं के लिये इस योजना में ९४५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जिसक अन्तर्गत शिक्षा के लिये ३०७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है । मेरे विचार से प्रथम पंचवर्षीय योजना में

शिक्षा के लिये कम रुपया व्यय किया गया था। फलस्वरूप हमारे गांवों में अब भी बहुत बड़े पैमाने पर अशिक्षा फैली हुई है, जिससे वे इस योजना या इसके लाभ को समझने में असमर्थ हैं। निस्संदेह हमने योजना से सम्बन्धित पोस्टर व पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं और उन्हें गांवों के पुस्तकालयों इत्यादि में भेजा भी है। तथापि ग्रामीणों के अशिक्षित होने के कारण उन्हें कोई समझता ही नहीं है। मेरे विचार से हम शिक्षा में बहुत कम व्यय कर रहे हैं। जिसका फल यह होगा कि हमारे देश में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ जायेगी जो कि लोकतंत्र की प्रगति के लिये अच्छा नहीं होगा।

अब मैं बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में दो-चार शब्द कहूंगा। यद्यपि योजना की अवधि में हमारी राष्ट्रीय आय १९५६ में १०,५०० करोड़ रुपये से बढ़ कर १९६१ में १३,५०० करोड़ रुपये हो जायेगी किन्तु साथ ही जन-संख्या भी जो कि इस समय ३८·४ करोड़ है, १९६१ में ४० करोड़ हो जायेगी। लेकिन हमने जो रोज़गारी की व्यवस्था की है वह जन-संख्या की वृद्धि के अनुरूप नहीं है। परिणाम यह होगा कि बेकारी बनी रहेगी। भारत की ७० प्रतिशत जन-संख्या कृषि पर निर्भर करती है जिन्हें इतनी कम मजूरी मिलती है कि वे दो बार भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि हम कृषि को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं और उसे एक उद्योग के रूप में नहीं लेते हैं। इस योजना में से इस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। हमने भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है, तथा किसी किसान को उसकी भूमि से न हटाने की विधि पारित कर दी है। ऐसी विधियां प्रत्येक राज्य में पारित हो जानी चाहिये, जिससे कि अतिरिक्त भूमि, भूमिहीन किसानों को प्राप्त हो सके तथा ऐसे व्यक्तियों को कृषि भूमि से हटा देना चाहिये जो वहां केवल इसलिये पड़े हैं कि उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। इन लोगों को वहां से हटा कर क्या काम दिया जा सकता है? मेरे विचार मे मुख्य प्रश्न यही है। इस योजना में हम उन्हें कोई अन्य कार्य नहीं दे सके हैं। और हमारी बेकारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को देखते हुये भी हमें इस समस्या के हल की कोई आशा नहीं है। जब तक हम प्रत्येक राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा की व्यवस्था न कर लेंगे और प्रत्येक राज्य में जोतों की यथार्थ संख्या का पता न लगा लेंगे तथा कृषि से बेकार हुये लोगों के लिये किसी क्षेत्र विशेष में रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक बेकारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

अब मैं सरकारी प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा। योजना को कार्यान्वित करने का सारा दायित्व प्रशासन पर ही है। मेरे विचार से वर्तमान प्रशासन में तीन दोष हैं: सेवाओं की असुरक्षा, सच्चाई का अभाव, और राजनैतिक दबाव। मैं इस अनुचित राजनैतिक दबाव के कई उदाहरण दे सकता हूं। इसके कारण वस्तुतः उसमें काम करने का उत्साह और भावना ही दब गई है क्योंकि उन्हें कुछ व्यक्तियों के कथनानुसार ही काम करना पड़ता है और यदि वे उस प्रकार काम नहीं करते हैं तो उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है अथवा उनकी पदावनति कर दी जाती है। जहां तक प्रशासन में सच्चाई का प्रश्न है हमारे देश में इसका अभाव है। तथापि योजना में इसका उपबन्ध किया गया है और भ्रष्टाचार निवारण के लिये उपाय किये गये हैं। लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। हमें प्रशासन तथा राज्य सरकारों को यह स्पष्ट अनुदेश देने चाहियें कि जब तक कोई अधिकारी योजना के कार्य को सच्चाई और लगन से कर रहा है उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं देनी चाहिये।

देश के प्रशासन का आधार जिले का प्रशासन ही है। इसकी कुशलता अथवा अकुशलता पर योजना की सफलता अथवा असफलता निर्भर है। यद्यपि प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि जिले के स्तर पर गैर-सरकारी मत को भी स्थान दिया जाये तथापि भारत में इस समय ३१९ जिले हैं। उनमें से बहुत से जिलों में तो आवश्यक बुद्धिमत्ता के व्यक्ति भी नहीं हैं। सेवाओं के एकीकरण की बात को ढील दी जा रही है। परिणाम यह हुआ है कि कई जिलों में भारतीय प्रशासन सेवा का कोई भी कर्मचारी नहीं है। वे लोग विधि तथा वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में बिल्कुल अनजान रहते

[श्री आनंद चन्द]

हैं और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उनके हाथों में करोड़ों रुपये रहते हैं। प्रशिक्षित न रहने के कारण वे इसकी उचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं।

पंचायतों पर समुचित जोर नहीं डाला गया है यद्यपि यह कहा गया है कि पंचायतों के कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जब तक समस्त पंचायतों के लिये एक रूप विधि पारित नहीं की जायेगी और हम उन्हें धन का समुचित अंश नहीं देंगे तब तक हम उनसे अधिक कार्य की आशा नहीं कर सकते हैं। अतः पंचायतों के प्रतिनिधियों को यह बताया गया कि जिले में योजना को क्रियान्वित करने में उनका सहयोग आवश्यक है। ऐसा करने पर ही हम योजना में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय में जो कुछ भी जानकारी दी गई है वह काफी मनोरंजक है। उसके ही आधार पर मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। निस्संदेह योजना-निर्माताओं ने योजना बनाने में भरसक प्रयत्न किया है और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

प्रत्येक योजना का एक विशेष दृष्टिकोण होता है। इस योजना का उद्देश्य है कि हम लोकतंत्रात्मक विधि से अपने देश का विकास करना चाहते हैं तथा विषमताओं को दूर कर एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उद्देश्य निस्संदेह बहुत सुन्दर है और इसी के अनुरूप योजना भी दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन हो सकती है।

निस्संदेह लोगों में विकास भावना आ गई है। आप कहीं भी चले जायें लोगों को कुछ न कुछ चाहिये। लेकिन केवल इतने से ही इसे जनता की योजना नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें निम्न-स्तर के लोगों का सहयोग नहीं है। योजना का उद्देश्य वस्तुतः इन्हीं लोगों की भलाई होनी चाहिये। योजना एक निरंतर चलने वाला कार्य है। इसे अ-भौतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिये। यथा सामाजिक सांस्कृतिक इत्यादि। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो योजना में कुछ न कुछ अभाव है।

आज जनता आशान्वित दृष्टि से सरकार की ओर देख रही है। तथा सबको कुछ न कुछ पाने की आशा है। मैंने एक पत्र में पढ़ा है कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है तथापि हमारे चेहरे पर सन्तुष्टि की वह आभा नहीं है। निस्संदेह योजना मंत्री एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं। तथापि इस स्थिति में उनके प्रगतिशील विचारों का कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं हो रहा है।

भूमि समस्या के सम्बन्ध में मैं उन सभी व्यक्तियों से जो योजना से सम्बन्ध रखते हैं यथा प्रधान मंत्री तथा योजना मंत्री से, निवेदन करूंगा कि वे इसे राज्य सरकारों पर न छोड़ें क्योंकि वहां रूढ़िवादी तत्वों के समक्ष प्रगतिशील विचारों की कुछ भी नहीं चलने पाती है। बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। जहां कि सारा भूमि विधान व्यर्थ हो गया है।

योजना आयोग अथवा भारत सरकार को यह चाहिये कि जन-साधारण के लाभ के लिये अधिकतम आय की एक सीमा, निश्चित समय के भीतर ही तय कर दे। मुझे आश्चर्य है कि प्रधान मंत्री आय की सीमा के विरोधी हैं। मैं तो समझता हूं कि यदि देश की निर्धनता में सभी लोग हिस्सा बंटायें तो इसमें हानि क्या है। हमारी आर्थिक-व्यवस्था में नैतिकता का जो अभाव है उसे पूरा किया जाना चाहिये। जो काम आज विनोबा भावे कर रहे हैं वही काम हमें उन से शिक्षा लेकर आर्थिक-क्षेत्र में करना चाहिये। समाजवादी आधार को कार्य रूप में परिणत करने के लिये यह आवश्यक है कि हम धन का केन्द्रीकरण न होने दें और उसका वितरण समाज के हित में करें।

यह योजना बहुत लम्बी-चौड़ी है। मुझे इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस के कारण भारत में बहुत उन्नति होगी किन्तु योजना में जो बात मुझे खटकती है वह यह है कि इसमें जन-साधारण की उन्नति के लिये विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये भूमि के प्रश्न को लीजिये। सउमें अधिकतम सीमा निश्चित की जानी चाहिये। भूमि के बंटवारे का प्रश्न भलीभांति तय किया

जाना चाहिये और इस काम को केवल राज्यों की इच्छा पर ही न छोड़ा जाय बल्कि इस को राष्ट्रीय स्तर पर पूरा किया जाना चाहिये ।

अब मैं बेकारी के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री ने हमें यह आशा दिलाई है कि अगली योजना में लगभग एक करोड़ लोगों को काम मिल सकेगा । इस बारे में मुझे विशेष सन्देह तो नहीं है किन्तु मेरा निवेदन यह है कि ग्राम-क्षेत्रों में बेकारी बहुत बढ़ी हुई है और उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । कुटीर उद्योग के लिये २ अरब रुपये की रकम निश्चित की गई है । मैं चाहता हूं कि उसका उचित उपयोग किया जाये जिससे ग्राम-क्षेत्रों में निराशा न फैल सके ।

बेकारी की समस्या के कारण हमें अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार करने होंगे । इसका जिक्र योजना में भी किया गया है । शिक्षा संस्थायें हज़ारों लोगों को धड़ाधड़ निकालती जा रही हैं । अतः हमें छात्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षित करना होगा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि उसे सफल बनाने के लिये जनता का सहयोग आवश्यक है किन्तु सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार को उन लोगों को सुविधायें देनी चाहिये जिन्हें अभी तक सुविधायें नहीं दी गई हैं । हमें किसी वर्ग विशेष अथवा दल विशेष को फायदा पहुंचाने के बजाय सारे राष्ट्र का हित अपने सामने रखना चाहिये । हम देखते हैं कि प्रशासन में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है । चाहे हम किसी स्थिति में काम करें हमें सदाचार को नहीं भूलना चाहिये । हमारा मुख्य उद्देश्य देश की दशा को सुधारना है । यदि हमारी योजना जनता को सन्तुष्ट न कर सकी और यदि देशवासियों को प्रजातांत्रिक तरीकों पर कोई विश्वास न रहा तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे । अतः हम जो भी काम करें उसे ईमानदारी से करें यही मेरा निवेदन है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : २३ मई को प्रस्तुत संशोधनों के अतिरिक्त जिन संशोधनों की सूचना दी गई है वे भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प के अंत में यह अंश जोड़ दिया जाय :

"but is of opinion—

(a) that development programme in rural areas should get priority over urban and industrial development so as to bring about economic stability in the country as a whole;

(b) that too much deficit financing will give rise to inflationary conditions which might become uncontrollable and smash the progress of the country;

(c) that backward areas and backward classes of people get preference in the matter of allotment of funds and various schemes in order to raise the economic standard of people to the minimum that is necessary to bring about equality in the country;

(d) that cottage and small-scale industries should be made self-supporting by the creation of an economic market for goods manufactured by them; and

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

(e) that the Service personnel should be engaged in various socio-economic activities of the country so that the idle man and machine power of military may be fully utilised."

["परन्तु सभा की यह राय है :

(क) कि ग्रामीण-क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को शहरी और औद्योगिक विकास पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे सम्पूर्ण देश में आर्थिक स्थिरता आ सके;

(ख) कि अत्यधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था मुद्रा-स्फीति की स्थिति को जन्म देगी, जो काबू से बाहर होकर देश की प्रगति को नष्ट कर सकती है ;

(ग) कि जनता का आर्थिक स्तर उस निम्नतम स्तर तक, जो देश में समता लाने के लिये आवश्यक है, ऊंचा उठाने के लिये धनराशि के आवंटन और विभिन्न योजनाओं के मामले में पिछड़े हुए क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये;

(घ) कि कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा तैयार किये गये सामानों के लिये लाभकारी बाजार की व्यवस्था कर उन उद्योगों को आत्म-निर्भर बनाया जाना चाहिये; और

(ङ) कि सेना के जवानों को देश के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यों में लगाया जाना चाहिये, जिससे सेना की बेकार पड़ी जन और यंत्र शक्ति का पूरा उपयोग किया जा सके ।"]

†**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित अंश को रखा जाय :

"This House, while recording its general approval of the objectives contained in the Second Five Year Plan as prepared by the Planning Commission, resolves that modifications be made on the following lines in order to improve upon the principles and programmes of the Plan :

(i) While tolerating the Private Sector in light and consumer goods industries for a short time to come, all private ventures in the basic and heavy industries should be nationalised.

(ii) Ceilings on total wealth, dividends, incomes, land-holdings etc. should be imposed.

(iii) The small man should get much better returns for his efforts and the rich should be taxed heavily on a graded scale in order to bring in the major portion of Rs. 4,800 crores required for the Second Plan.

(iv) The Plan should not at all place any reliance on foreign aid.

(v) The backward regions and thickly populated areas must get favoured treatment in the Plan.

(vi) The developmental and constructional activities should be so co-ordinated as to absorb all existing hands in the Damodar Valley Corporation and other Projects and in the Ordnance Factories without throwing them out of service even for a day.

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(vii) Greater attention should be paid to solving urban and rural unemployment as well as educated unemployment."

["यह सभा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जैसी कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी है, रखे गये उद्देश्यों का सामान्यतः अनुमोदन करते हुए यह संकल्प करती है कि योजना के सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में और भी सुधार करने के लिये निम्नलिखित आधार पर रूप भेद किया जाये :

(१) हलके और उपभोग सामग्री का निर्माण करने वाले उद्योगों में गैर-सरकारी क्षेत्र को थोड़े समय के लिये सहन करते हुए, बुनियादी और भारी उद्योगों के क्षेत्र में सभी गैर-सरकारी उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

(२) कुल सम्पदा, लाभांशों, आयों, जोतों आदि की उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये ।

(३) जन-साधारण को अपने प्रयासों के लिये और भी अच्छा लाभ प्राप्त होना चाहिये और धनियों पर श्रेणीबद्ध पैमाने पर और भी अधिक कर लगाये जाने चाहियें, जिससे द्वितीय योजना के लिये आवश्यक ४,८०० करोड़ रुपयों का अधिकतम अंश प्राप्त किया जा सके ।

(४) योजना को विदेशी सहायता पर तनिक भी विश्वास नहीं करना चाहिये ।

(५) योजना में पिछड़े हुए इलाकों और घने बसे क्षेत्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये ।

(६) विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यों को इस प्रकार एकीकृत किया जाना चाहियें जिससे दामोदर-घाटी निगम और अन्य परियोजनाओं तथा युद्ध-सामग्री कारखानों के सभी वर्तमान कर्मचारियों को एक दिन के लिये भी नौकरी से अलग किये बिना खपाया जा सके ।

(७) शहरों तथा देहातों में बेकारी की समस्या के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों की समस्या सुलझाने पर और भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।"]

†**श्री गार्डिलिंगन गौड़** (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित अंश को रखा जाये :

"This House while approving the objectives, principles, and programmes of development of the Second Five Year Plan is of opinion that the experience in working the First Five Year Plan has shown that the implementation is not effective and that the schemes remain nice only on papers."

["द्वितीय पंचवर्षीय योजना क उद्देश्यों, सिद्धान्तों और विकास कार्यक्रमों का अनुमोदन करते हुए इस सभा की राय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा किये जाने के अनुभव ने यह दिखा दिया है कि कार्यान्वय प्रभावपूर्ण नहीं है और ये योजनायें केवल कागजों पर ही अच्छी दिखाई देती हैं ।"]

†**मुल्ला अबदुल्लाभाई** (चांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प के अन्त में यह अंश जोड़ दिया जाये :

"and calls upon the nation to take it as sacred duty to carry out the plan so as to achieve the targets before time."

---

†मूल अंग्रेजी में

[मुल्ला अब्दुल्लाभाई]

["और इस योजना को एक पवित्र कर्त्तव्य के रूप में पूरा करने के लिये देश की जनता का आह्वान करती है, जिससे लक्ष्यों को समय से पूर्व ही प्राप्त किया जा सके ।"]

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सैलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प के अन्त में यह अंश जोड़ दिया जाये :

"and calls upon the Nation to strive its utmost to make the plan an unqualified success."

["और योजना को पूर्णतः सफल बनाने के उद्देश्य से यथाशक्ति प्रयास करने के लिये राष्ट्र का आह्वान करती है ।"]

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर—दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि संकल्प के अंत में यह अंश जोड़ दिया जाये :

"and further suggests that the Social Welfare Board should take necessary steps to solve the beggary problem which is growing at an alarming rate specially in urban areas."

["और आगे यह सुझाव देती है कि भिक्षावृत्ति की समस्या को, जो, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में, भयप्रद गति से बढ़ती जा रही है, हल करने के लिये समाज-कल्याण बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये ।"]

†**श्री देवगम** : (चैबस्सा–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प के अंत में यह अंश जोड़ दिया जाये :

"but is of opinion that the Plan has failed—

(i) to fix the remuneration of teachers of all stages on par with the other services requiring equivalent qualifications;

(ii) to provide for all possible steps to be taken by State Governments from within their resources for the improvement of the lot of the teachers;

(iii) to provide for free and compulsory primary education;

(iv) to take special measures designed for the welfare of the Backward Classes; and

(v) to rise the lot of the common man in the village."

["परन्तु सभा की राय है कि यह योजना––

(१) सभी स्तरों पर अध्यापकों का पारिश्रमिक उन अन्य सेवाओं की बराबरी पर, जिनमें समान अर्हताओं की आवश्यकता होती है, निर्धारित करने;

(२) अध्यापकों की स्थिति में सुधार करने के लिये अपने ही संसाधनों में से राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक सम्भव कार्यवाही का उपबन्ध करने;

(३) निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का उपबंध करने;

(४) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये निर्धारित विशेष कार्यवाही करने; और

(५) देहातों में जन-साधारण की स्थिति में सुधार करनें मे असफल रही है ।"]

†मूल अंग्रेजी म ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन भी सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री यू० सी० पटनायक** (घुमसूर) : स्वतन्त्रता के बाद देश की आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार होना स्वाभाविक है । प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता हमारे इतिहास में एक विशेष कार्य है । इसी प्रकार द्वितीय योजना भी बड़ी महत्वपूर्ण है किन्तु इन दोनों योजनाओं के दृष्टिकोण में मैं एक अभाव देख रहा हूं और वह यह है कि सैनिक और असैनिक प्रबन्ध को सर्वथा पृथक् समझा जा रहा है ।

वास्तव में साम्राज्यवादी शासन के समय यह भेद-भाव किया गया था और सैनिक संगठन को असैनिक विभागों से पूर्णरूपेण पृथक् रखा गया था । आजकल अनेक देशों में सैनिक और असैनिक विभागों में समन्वय का प्रयत्न किया गया है । हमारे यहां श्री विश्वेश्वरैया जैसे विचारक का भी यही मत है । प्रत्येक देश में प्रतिरक्षा संगठन को राष्ट्रीय शिक्षा का अंग समझा जाता है, किन्तु हमारे यहां शिक्षा को केन्द्रीय विषय न मान कर केवल राज्य का विषय माना गया है। सैनिक शिक्षा की योजनायें अन्य देशों में बहुत पहले से चल रही हैं । ब्रिटेन में सैनिक शिक्षा १८४० में प्रारम्भ कर दी गई थी । वहां पर अनेक कमीशन बनाये गये थे और सैनिक एवं प्रोद्योगिक शिक्षा के प्रमाण-पत्र उसी प्रकार दिये जाते थे जिस प्रकार असैनिक शिक्षा के दिये जाते हैं । हमारे यहां इस प्रकार की थोड़ी-बहुत शिक्षा १९३९ में प्रारम्भ हुई । किन्तु यह शिक्षा इस प्रकार की है कि उस के बाद शिक्षार्थी अपने आप को असैनिक व्यवसाय के अयोग्य पाता है ।

रूस ने रक्षा संगठन के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इस प्रकार की शिक्षा प्रारम्भ की । चीनी सेना ने भी अपना असैनिक शिक्षण १९४९ में प्रारम्भ कर दिया था । उसने निरक्षरता को दूर करने में सहायता की और देश की विकास योजनाओं में बहुत सहयोग दिया । इन सब बातों का अभिप्राय यह है कि रक्षा संगठन द्वार शिक्षा कार्यक्रम बहुत सफलता से चल सकता है । अतः योजना आयोग को उससे सहायता लेनी चाहिये ।

हमारे देश में युद्ध-सामग्री के २० कारखाने हैं जिन में बड़े अच्छे औज़ार और मशीनें मौजूद हैं । इन कारखानों के श्रमिकों की संख्या युद्ध के समय की अपेक्षा आधी कर दी गई है । यद्यपि अभी और कोई छंटनी नहीं हुई है, फिर भी उन में १०,००० लोगों को आवश्यकता से अधिक समझा जा रहा है । मेरा सुझाव यह है कि इन कारखानों में इस्पात की ऐसी अनेक वस्तुयें बनायी जा सकती हैं जो सैनिक उपयोग के अतिरिक्त वाणिज्यिक उपयोग में भी आ सकती है । वहां पर स्वच्छ इस्पात बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है । एक कारखाने में तो १९४९-५० में यह काम किया भी जाता था । इसी प्रकार उन में निकेल और क्रोमियम के तार भी बनाये जाते थे, किन्तु युद्ध के बाद यह काम बन्द कर दिया गया । वहां अलूमीनियम की चीजें भी बनाई जाती थीं । ये सब असैनिक आवश्यकता के लिये पुनः प्रारम्भ किये जा सकते हैं । हम जो अस्त्र-शस्त्र और डायनामाइट तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ बाहर से मंगाते हैं, उन्हें भी इन कारखानों में तैयार किया जा सकता है । इन कारखानों में देश के नये प्रशिक्षणार्थियों को भी अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सकता है । ऐसा करने से ये फैक्टरियां और इन के आदमी बेकारी से बच जायेंगे । किन्तु इसके विपरीत योजना आयोग इतने व्यय की योजनायें बना कर व्यर्थ ही नई-नई संस्थाओं के निर्माण की सोच रहा है ।

अब मैं इंजीनियरिंग संगठन के प्रश्न को लेता हूं । इसके बारे में सैनिक इंजीनियरिंग संगठन बहुत बड़ी सहायता कर सकता है । उदाहरण के लिये अमेरिका और फ्रांस के सेना-इंजीनियरों ने अपने देशों में पुल, बांध आदि के निर्माण में बहुत सहायता की है । हमारे देश में भी एम० ई० एस० के कर्मचारियों

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री यू० सी० पटनायक]

का एक वर्ग है। तीन इंजीनियरिंग केन्द्रों में ६०० व्यक्ति हैं। उनके अतिरिक्त लगभग ३१ लघु-इकाइयां हैं जिन में से प्रत्येक में १२० व्यक्ति हैं, और वे सभी विशेषज्ञ इकाइयां हैं। परन्तु फिर भी आश्चर्य की बात है कि सेना विभाग का ९८ प्रतिशत काम ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है जो कि भ्रष्टाचार और परिवार पोषण को ही प्रमुख स्थान देते हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के ये सभी कार्य राष्ट्र-निर्माण के साथ समन्वित किये जा सकते हैं। यदि इन सभी कार्यों में समन्वय उत्पन्न हो जाये तो योजना को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई न होगी।

यदि आप योजना की व्यवस्था को अच्छी प्रकार से चलाना चाहते हैं तो आप को प्रतिरक्षा संगठन के सम्पूर्ण संसाधनों का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये।

सेना के डिपुओं में बड़ी बहुमूल्य चीजें पड़ी हुई हैं, परन्तु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। वे चीजें पिछले सात-आठ सालों से धूप और पानी में पड़ी हुई हैं परन्तु कोई व्यवस्थित योजना न होने के कारण उनके सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्थित योजना बन जाये और उसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि योजना मंत्री तथा योजना आयोग का प्रतिरक्षा संगठन से एक सम्बन्ध उत्पन्न किया जाये।

योजना मंत्रालय सारे देश में हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने क लिये एक उपयुक्त योजना व्यवस्था बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। हम सदा से यह सुझाव देते आये हैं कि सम्पूर्ण युवक संगठनों में सहयोग स्थापित किया जाये, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना और वर्तमान लोक-सहायक सेना आदि से सहयोग स्थापित किया जाये और उन संगठनों को फिर संयुक्त रूप से बुनियादी सैनिक शिक्षा दी जाये। आप जानते हैं कि यह लोक-सहायक सेना कितने उत्साहपूर्वक प्रारम्भ की गयी थी, और उस पर कितना अधिक धन खर्च किया जा रहा है। परन्तु होता यह है कि एक-एक मास की प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद सभी लोग अपने-अपने काम में लग जाते हैं और सारे प्रशिक्षण को भूल से जाते हैं। मैं पूछता हूं कि योजना मंत्रालय उन पांच लाख राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की सेना का उपयोग करने पर क्यों नहीं विचार करता, जो कि आगामी पांच वर्षों में तैयार की जायेगी ? उन्हें राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में क्यों नहीं लगा दिया जाता ?

अतः मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और योजना आयोग में समन्वय उत्पन्न करने से हमें कई प्रकार से लाभ होगा। पत्तन-प्रतिरक्षा का कार्य आजकल बड़ा दुरूह सा हो गया है। इसीलिये अन्य देशों में यह कार्य सेना, नौसेना और विमान सेना को सौंप दिया जाता है और असैनिक संगठन उनमें समन्वय उत्पन्न करते हैं। परन्तु यहां पर सारा काम परिवहन मंत्रालय को सौंपा हुआ है और इसी कारण से सेना, नौ सेना, तथा विमान बल में कोई समन्वय नहीं है।

कुछ वर्ष पूर्व सैनिकों द्वारा 'अधिक अन्न उपाजाओ' नामक योजना प्रारम्भ की गयी थी, परन्तु कुछ ही समय बाद वह योजना असफल हो गयी। क्या हमारे संयोजकों ने कभी इस बात पर विचार किया है कि इसकी असफलता का क्या कारण है ? मैं समझता हूं कि यदि अन्न उत्पादन करने वाले जवानों को उगाये हुये अन्न में से कुछ भाग दे दिया जाता तो उनकी रुचि बनी रहती और योजना कभी असफल सिद्ध न होती।

नौ सेना के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इसकी कुछ एक इकाईयों को गहन-सागर में से मछलियां पकड़ने के काम में लगाया जाये, उससे नौ सेना को आर्थिक लाभ होगा और उससे नौ सेना सहायक सेना के निर्माण में सहायता मिलेगी। नौ सेना सहायक सेना बनाने के सम्बन्ध में १० वर्ष पूर्व एक विधान बना था परन्तु उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। यह तभी सम्भव होगा जबकि प्रतिरक्षा मंत्रालय और योजना मंत्रालय में समन्वय होगा।

फिर जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का सम्बन्ध है, उनमें बड़े अच्छे-अच्छे प्रशिक्षित सैनिक तथा पदाधिकारी हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं ।

इसलिये प्रत्येक दृष्टिकोण से मेरा निवेदन है कि इसके उद्योग, इंजीनियर सेवायें, तथा शिक्षा बहुत कम व्यय पर प्रतिरक्षा संगठन के द्वारा चलाई जा सकती हैं ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि सरकार ने इतनी सुन्दर योजना तैयार की है । यद्यपि इसमें कहीं-कहीं कई त्रुटियां रह गयी हैं; तो भी मुझे आशा है कि चर्चा के समय वे त्रुटियां दूर हो जायेंगी ।

इसमें सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि सरकार इस योजना की कार्यान्विति में जनता के सहयोग का भी आदर करती है । इस संकल्प पर वाद-विवाद प्रारम्भ करते समय कल प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि देश में कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था के बिना औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था स्थापित न की जा सकेगी । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस योजना भें कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था को प्रथम स्थान दिया जाये ।

क्योंकि अन्न ही देश की अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार है, इसलिये देश में अन्न उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में अन्न उत्पादन दूसरे वर्ष ही अपने लक्ष्य तक जा पहुंचा था, परन्तु उसका श्रेय सरकार को नहीं दिया जा सकता । उसका श्रेय अच्छे मौसम और काश्तकारों के अपने परिश्रम को है । अतः हमें अन्न की वृद्धि की ओर से ध्यान नहीं हठाना चाहिये । हमें अब भी उसकी ओर पूरा ध्यान देना है । यह सच है कि अन्न उत्पादन में ११० लाख टन की वृद्धि हुई है, परन्तु आयोजकों ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि देश में अन्न उत्पादकों की संख्या कितनी अधिक है, और जनता के पास इतना धन है नहीं कि वह अन्न को अधिक मात्रा में खरीद सके । इसलिये मैं न केवल कृषि कार्यों पर ही अधिक बल देना चाहता हूं, अपितु इस बात पर भी बल देता हूं कि देश में अधिक से अधिक सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जायें ।

१९५०-५१ में ५१० लाख एकड़ भूमि सींची जा रही थी और यह आशा की जाती है कि द्वितीय योजना के अन्त तक अर्थात् १९६०-६१ तक यह क्षेत्र बढ़ कर ८८० लाख एकड़ हो जायेगा । वर्तमान क्षेत्र अभी बहुत कम है । अभी बहुत सी भूमि ऐसी है जिस को सींचा जा सकता है । इसके अतिरिक्त देश में ९८० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर खेती-बाड़ी की जा सकती है । अतः हमें इस की सिंचाई की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये । जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, अन्न उत्पादन बढ़ने की अधिक आशा नहीं की जा सकती । अन्न उत्पादन का मूल आधार सिंचाई ही है । जहां-जहां भी सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें दी गई हैं वहां पर अन्न अथवा चावल का उत्पादन बहुत बढ़ गया है । सिंचित तथा असिंचित भूमि पर होने वाले उत्पादन में आकाश पाताल का अन्तर है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सिंचाई परियोजनाओं को औद्योगिक परियोजनाओं के समान ही प्राथमिकता दी जाये । उसी स्थिति में देश को अधिक से अधिक अन्न प्राप्त हो सकेगा ।

कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि सिंचाई कार्यों के विकास के लिये हमारे पास इतना धन नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि हमें अन्य कार्यों के लिये निर्धारित किये गये धन में से कुछ राशि इस काम पर लगा देनी चाहिये । जैसा आप को ज्ञात है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिये २०० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है । प्रत्येक व्यक्ति, जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा से परिचित है, अच्छी

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

प्रकार से जानता है कि यह सारा धन व्यर्थ में जायगा, इसका कोई विशेष उपयोग नहीं होगा। इसलिये यदि वही धन सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने में लगा दिया जाये तो उससे उस क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौवनवां प्रतिवेदन

†**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** (हजारीबाग–पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से, जो २३ मई, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा २७ अप्रैल, १९५६ को श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर विचार करेगी। श्री राचय्या अपना भाषण जारी रखेंगे।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : कल मैं यह कह रहा था कि हमें पंचशील के सिद्धान्तों को अपने यहां लागू करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि देश में प्रत्येक नागरिक क साथ बराबर का आर्थिक न्याय किया जाये। हमारे संविधान के अनुच्छेद ३८ में भी यही लिखा हुआ है कि देश में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जायगी जिस में सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जायगा। अनुच्छेद ३९ के उपखण्ड ग तथा घ में भी यही लिखा हुआ है। मैं इन खण्डों का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं कि संविधान निर्माता यह चाहते थे कि देश में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कोई बहुत बड़ा आर्थिक भेदभाव न हो। देश के सभी नागरिकों के लिये एक समान आर्थिक स्तर निर्धारित किया जाये, जिससे उनमें आर्थिक समानता उत्पन्न हो सके और उससे देश में एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की जा सके।

कृषि-मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, "इंडियन एग्रीकल्चर इन ब्रीफ" नामक पुस्तक में बताया गया है कि हमारे कृषि श्रमिक परिवार कितने अधिक ऋण में फंसे हुये हैं। उन में से लगभग २० करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना भी नहीं कमा सकते कि जिस से अपने बाल-बच्चों का पेट भर सकें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस असमानता को घटाने पर अधिक बल दिया गया है। यह असमानता तभी दूर हो सकती है जब कि छोटे स्तर के लोगों की आय बढ़ाई जाये और ऊंचे स्तर वालों की आय कम की जाये मेरे संशोधन का आशय यह है कि देश के पदाधिकारियों को एक हजार रुपये से अधिक नहीं मिलने चाहियें। पदाधिकारियों को दिया जाने वाला सारा धन जनता से ही आता है। जब जनता निर्धन है तो इन पदाधिकारियों को तीन-तीन चार-चार हजार रुपया देने में क्या न्याय है ? हमारे प्रधान मंत्री जो कि देश के सारे भार को सम्भाले हुए हैं व केवल २,२५० रुपया लेते हैं जब कि राज्यपाल तथा न्यायाधीश ४,००० और ५,००० रुपया वतन पाते हैं। यदि हमारी राष्ट्रीय आय ४०० करोड़ रुपये के स्थान पर ४,००० करोड़ रुपया हो जाये तब तो आप किसी को भी जो चाहें वेतन दे दें। मुझे किसी से कोई इर्ष्या न होगी और न ही कोई शिकायत होगी, परन्तु दुःख की बात तो यह है कि देश की

†मूल अंग्रेजी में।

राष्ट्रीय आय अभी इतनी अधिक नहीं है। हमें देश की निर्धन जनता और विशेषकर कृषि मजदूरों की दशा की ओर ध्यान देना ही होगा और इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

इंग्लैंड, जर्मनी तथा अन्य देशों में कृषि मजदूरों को सारे साल की नौकरी का आश्वासन दिया जाता है परन्तु हमारे यहां कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। जर्मनी में एक-एक मजदूर को २७ रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है परन्तु हमारे देश में तो उनका शोषण किया जा रहा है।

हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के लिये कोई भी न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं की गई है। अपने देश की प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए और जनता के रहन-सहन का स्तर देखते हुए, यह आवश्यक है कि हम अपनी सारी गणना सामान्य जनता को ध्यान में रखते हुए ही करें। आम जनता आज कष्ट पा रही है। इसीलिये किसी भी अधिकारी को १,००० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन नहीं देना चाहिये। मैसूर विधान सभा ने यह संकल्प पारित किया है कि मैसूर राज्य में किसी भी अधिकारी को १,००० रुपये प्रति माह से अधिक वेतन न दिया जाये। इसलिये, मैं श्री मिश्र द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि सरकार इस संकल्प की भावना और सिद्धान्त को स्वीकार करेगी। यही हमारे देश की गरीब जनता के हित में होगा। मेरा अनुरोध है कि मूल संकल्प के स्थान पर मेरा संकल्प स्वीकर किया जाये।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं श्री विभूति मिश्र के संकल्प का समर्थन करता हूं। यह संकल्प हमारे यहां के गांवों में राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये कार्य करने वाले नेताओं की यथार्थवादी परम्पराओं के अनुकूल है। मैं यह नहीं मानता कि उनके सभी सुझाव तत्काल ही कार्यान्वित किये जा सकते हैं; लेकिन इस संकल्प के द्वारा सरकार को इसके बारे में वचनवद्ध करने की चेष्टा करके उन्होंने एक बड़ी सेवा की है।

मेरे माननीय मित्र श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ने एक बड़ी आशाप्रद बात बताई है कि इस संकल्प के बारे में लोक-सभा लगभग एकमत है। लोक-सभा में प्रस्तुत किये गये इसी प्रकार के अन्य संकल्पों की चर्चा से भी मैं यही परिणाम निकाल सकता हूं कि इसके बारे में भी हम एकमत होंगे। इसलिये, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री बतायें कि सरकार इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है।

इस सम्बन्ध में, लोक-सभा में हाल के महीनों में दो अवसरों पर प्रश्न पूछे गये थे। गत वर्ष २३ नवम्बर को वित्त मंत्री ने बताया था कि व्यक्तिगत आय की सीमा के निर्धारण के बारे में कर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में तब तक कोई निर्णय नहीं किया गया था। २ मार्च को वित्त उपमंत्री ने बताया था कि सरकार ने आयों और सम्पदाओं को असमानतायें कम करने की वांछनीयता के सिद्धान्त को मान लिया है और उसके लिये समय-समय पर उचित उपाय किये जायेंगे।

इनको देखते हुए, यह आश्चर्य की बात है कि राज्य-सभा में प्रधान मंत्री ने, इस संकल्प के लगभग सर्वसम्मत समर्थन के होते हुए भी, माननीय सदस्य को इसे वापिस लेने पर विवश करके नैतिक दबाव डाला है। लोक-सभा की इतनी प्रबल इच्छा को देखते हुए, अब तो यही उचित है कि सरकार यह बताये कि वह इसके सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है। वित्त मंत्री यह स्पष्ट रूप में बता दें कि प्रस्तुत तमाम संशोधनों में से कितनों को स्वीकार कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय करे और उसे सार्वजनिक रूप से घोषित कर दे।

लोक-सभा औद्योगिक श्रमिकों की इस मांग को भली प्रकार जानती है कि किसी भी मजदूर को १०० रुपये से कम मजूरी न दी जाये? प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को तो मुश्किल से ४०–५०

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

रुपये प्रति माह मिलते हैं। शिक्षा मंत्रालय उनके लिये आवश्यक धन नहीं जुटा पाता। परसों प्रधान मंत्री ने आय की सीमा निर्धारित करन का विरोध किया था। तब फिर वे हमें वे उपाय बतायें जिनके द्वारा हम इस असमानता को कम कर सकते हैं। "पन्थाः, शनैः कन्था, शनैः पर्वत लघणं"--कहने से कोई लाभ नहीं।

हम कब तक चींटी की चाल से चलते रहेंगे ? इस चाल से तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। प्रधान मंत्री ने राज्य-सभा में कहा था कि असल प्रश्न तो सारी जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने का है। लेकिन, वह होगा किस प्रकार ? देश में उत्पादन बढ़ा कर ही इसे हासिल करने का सूत्र एक खतरनाक सूत्र है।

समाजवाद के विरुद्ध निहित स्वार्थ वालों का सदा का एक तर्क यही रहा है कि उससे उत्पादन बढ़ाने की सारी प्रेरणा खतम हो जाती है। समाजवादी समाज के प्रबल समर्थक, हमारे प्रधान मंत्री भी, अब कवल उत्पादन बढ़ाने का तर्क देने लगे हैं। लेकिन, उन्हें यह भी तो सोचना चाहिये कि आय की असमानता हटा देने से जनता को बड़ा मानसिक संतोष मिलेगा। हमें इसी के लिये कुछ करना चाहिये।

वेतन आयोग ने १९४७ में कहा था कि हमारी सेवाओं में २,००० प्रति मास से अधिक वेतन नहीं होना चाहिये। लेकिन आज क्या स्थिति है ? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में इस वर्ष सभी प्रकार के सात सचिवों को कुल १,६३,७०० रुपये का वेतन दिया जायेगा, और ३१४ असिस्टेंटों (सहायकों), क्लर्कों आदि को ६,४५,७०० रुपये, और चौथी श्रेणी के १३७ कर्मचारियों को कुल ५९,१०० रुपये मिलेगा। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस राशि में सम्मिलित भत्तों के सम्बन्ध में उच्च पदाधिकारी कैसे अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। सचिव और चौथी श्रेणी के कर्मचारी के वेतनों में १ : १०० का अनुपात है। हम इसे कैसे सहन करते जायेंगे ?

प्रधान मंत्री का कहना है कि गुणों को उचित रूप में पुरस्कृत किया जाना चाहिये; उचित प्रकार के लोक-सेवकों को पाने के लिये उन्हें उचित प्रलोभन देना चाहिये। उचित लोक-अधिकारी कौन हैं ? हमारे देश में उचित लोक-अधिकारी वे ही लोग माने जाने चाहियें जो धनोपार्जन के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षायें न रखते हों। यह गलत भावना अंग्रेज शासकों को पैदा की हुई है। यदि कुछ लोक-अधिकारी अधिक रुपयों के लोभ से गैर-सरकारी उद्योगों में चले जाते हैं, तो उनका चला जाना ही उत्तम है क्योंकि वे सामाजिक दायित्व का महत्व नहीं समझते। हमारे देश के उच्च अधिकारियों को भी उससे अधिक पाने का अधिकार नहीं है जिससे कि वे आराम से रह सकें। हमें वेतन आयोग की २,००० रुपयों की अधिकतम सीमा को स्वीकार करना चाहिये; और उससे भी जनता को बड़ा मानसिक संतोष होगा। जब यह मांग विभिन्न दृष्टिकोणों और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा एक स्वर से की जा रही है, तब सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह हमें बताये कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी। प्रो० काल्डर ने हमारे देश की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में कहा है कि देश में विलास वस्तुओं की खपत कम की जानी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में बड़ी-बड़ी आर्थिक सम्भावनायें हैं, और यदि हम अपने यहां के करों की व्यवस्था में रूपभेद करें तो हमारे समाज की बनावट ही बदल सकती है।

हम कई अवसरों पर बता चुके हैं कि हम अपने देश में किस प्रकार सम्पदा का और अच्छा वितरण कर सकते हैं। हो सकता है कि हम तत्काल ही सीमा निर्धारण न कर सकें, लेकिन सरकार को उसके सम्बन्ध में इसी समय कुछ निश्चित निर्णय तो करने पड़ेंगे।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस संकल्प पर और गम्भीरता से विचार करना चाहिये । सरकार द्वारा आय की सीमा निर्धारण के विचार को त्याग देने से बड़े-बड़े व्यवसायियों को ही अपार प्रसन्नता हुई है ।

इसीलिये, वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे यह सोचें कि इस प्रकार के संकल्प को रद्द कर देने से देश में कैसी मानसिक प्रतिक्रिया होगी । केवल काग़जी योजनाओं से कुछ भी नहीं होगा; हम उन्हें जनता के सहयोग से ही लागू कर सकते हैं । इस तरह आप जनता को उत्साहित नहीं कर सकते । हमें अपने देश की आस्तियों का फिर से वितरण करने के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये । इसीलिये, यदि वित्त मंत्री इस प्रस्ताव को इसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो उन्हें इसे संशोधनों के साथ स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री गाडगील** (पूना–मध्य) : मेरा विचार तो यह था कि इस संकल्प विशेष के समर्थन के लिये कोई तर्क देने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सरकार व्यक्तिगत आय की सीमा निर्धारित करन के सिद्धान्त को मान ही चुकी है ।

लोक-सभा और समूचे देश ने समाजवाद के पक्ष में मत दे दिया है । उन्होंने यह भी मान लिया है कि आपकी असमानतायें समाजवाद के उच्चादर्श के विरुद्ध हैं । अब हमें इसके लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये । समाजवाद प्रारम्भ में कोरा सिद्धान्त ही रहा हो परन्तु आज तो वह एक कार्यक्रम बन चुका है ।

इसलिये, अब आपको यह बताना चाहिये आप इस कार्यक्रम को प्रति वर्ष किस प्रकार पूरा करेंगे । समाजवाद के सिद्धान्त को मानकर उसे यों ही छोड़ देना खतरनाक होगा । पर हुआ ठीक यही है ।

इसका कारण यह नहीं है कि सरकार उसे कार्यान्वित करने का तरीका नहीं जानती; उसका कारण यही है कि कुछ लोगों के दिमाग में यह धारणा जम गई है कि सीमा को मान लेने से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उससे पूंजी के संकलन तथा उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा । मेरी भावना तो यह है कि योजना बनाने वाले पूंजीवादी उत्पादन की वेदी पर सामाजिक न्याय की बलि दे रहे हैं ।

हमें सामाजिक न्याय को ही सर्वाधिक महत्व देना चाहिये । सामान्य जनता का विचार यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप गरीब ज्यों के त्यों रहे या अधिक गरीब बन गये हैं और धनी अधिक धनवान बन गये हैं, तो वह उसमें क्यों रुचि दिखाये । यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी ऐसी ही होगी, तो फिर वह उसमें क्या दिलचस्पी लेगी । चौंतीस करोड़ जनता में लगभग १६० या २०० ऐसे हैं जिन की आय की कोई सीमा ही नहीं है । आय और अवसर की समानता के बिना, समाजवाद क्या होगा ? सरकार इसी को नहीं होने दे रही है ।

क्या आय की सीमा निर्धारित करना असम्भव है ? मैंने एक बार कर के अलावा ३०,००० रुपयों की सीमा का सुझाव दिया था । इससे अधिक आय वाले देश में मुट्ठी भर लोग ही होंगे । इसलिये, आम जनता की प्रेरणा खत्म होने का तर्क मत दीजिये । हमें इसे दो प्रकार से करना चाहिये । पहला तो यह कि आमतौर पर देश के आर्थिक क्षेत्र में धन सम्पदा कुछ व्यक्तियों के ही हाथ में न हो । दूसरा यह कि व्यक्तियों को एक सीमा से अधिक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हाथ में आर्थिक शक्ति का होना निश्चित रूप से सामाजिक हितों के विरुद्ध है । धन की शक्ति को आज बहुधा समाज के हित के विरुद्ध ही प्रयुक्त किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री गाडगील]

श्री विभूति मिश्र ने अपने संकल्प में सिर्फ यही कहा है कि सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। मैं इससे अधिक कहना चाहता हूं कि आप उत्पादन के मुख्य-मुख्य साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दें। इसके बिना समाजवाद अर्थहीन है आप उसके लिये प्रतिकर दें या नहीं, यह बाद का प्रश्न है।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' में विदुर ने भी यही मत प्रकट किया है कि अब युद्धोपयोगी उद्योगों, मुख्य उद्योगों को राष्ट्रीय स्वामित्व तथा नियन्त्रण में ले लेने का अवसर आ गया है, अन्यथा हम अपने सभी वचनों को पूरा नहीं कर सकेंगे।

इ लिये, आपको लाभांशों, मजूरियों और किराये का अलग-अलग नियन्त्रण करना पड़ेगा। अर्थशास्त्री यही तीन मुख्य स्रोत बताते हैं। भू-स्वामियों की समस्या के साथ-साथ किराये की समस्या तो सुलझाई जा रही है। मजूरी कमाई और वेतन के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए। अब सारे देश के हित में, और अपने संविधान के आदर्शों तथा सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, हमें उन सिफारिशों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

हमें अपने संविधान की प्रस्तावना पर बड़ा गर्व है। हमने संविधान सभा में दो वर्षों की चर्चा के बाद उसे निश्चित किया है। अब उसे कार्यान्वित करने का अवसर आ गया है। उसे कार्यान्वित करने के लिये सब से आवश्यक यही है कि अधिकतर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

सरकार इस संकल्प के सिद्धान्त से नैतिक रूप में वचनबद्ध है। राज्य-सभा में हमारे महान् नेता ने जो कुछ कहा था, मुझे उससे बड़ा दुःख हुआ। फिर भी, वे सीमा निर्धारित करने के विरुद्ध नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि उसे क्रमशः करना चाहिये। लेकिन अब अस्पष्ट विचार प्रकट करने का समय नहीं रहा है; अब हमें स्पष्ट बात कहनी चाहिये; जिससे कि जनता को हमारे वचनों पर विश्वास हो। हमने उसे हर प्रकार के वचन दिये हैं। लेकिन, हम अभी तक १९४७ से बहुत थोड़ा ही आगे बढ़े हैं। यह संकल्प सदियों से गरीब जनता के प्रति लोक-सभा के सदस्यों की ईमानदारी की कसौटी बन गया है।

हमारे यहां विभिन्न शासक आये और गये, पर जनता गरीब की गरीब ही बनी रही। लेकिन अब हमने उसे बालिग मताधिकार दे दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता का अधिकार दे दिया है। लेकिन, क्या यह समानता केवल मतदान तक ही सीमित रहेगी? अब जनता धीरे-धीरे अपनी शक्ति से परिचित होती जा रही है। हम जब जनता से वोट मांगने जाते हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि सरकार निर्वाचित करने की शक्ति जनता के पास ही है। वह इस देश की स्वामिनी बन गई है। फिर आप उसे अच्छी प्रकार से रहने के जन्मसिद्ध अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? आपको उसे इस बात का प्रमाण देना है कि धनी लोग ही अब और अधिक धनवान नहीं बनते जायेंगे। आपको इसका निर्णय करना पड़ेगा। हमें बताया गया है कि प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय में, अगले पांच वर्षों में ५० रुपये की वृद्धि होगी। यदि इस गति से हमारी प्रगति होती है तो समाजवाद का लक्ष्य २० वर्षों में तो क्या २०० वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। आप इस तरह लोगों को कब तक भ्रम में रखेंगे? आपको चाहिये कि आप इस बात का थोड़ा तो प्रमाण दें कि किसी भी स्थिति में आय की उच्चतम सीमा निर्धारित की जायेगी। वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि रुपये में १४·५ आने कर के रूप में लिये जा रहे हैं किन्तु उसे बढ़ा कर १५·५ आने क्यों न किया जाये?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : ५० रुपये के हिसाब से एक दिन की वृद्धि दो पैसे बताई है। मेरा ख्याल है कि वह २·५ आने होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री गाडगील :** ५० रुपये पांच वर्ष के लिये याने एक वर्ष के लिये १० रुपये और एक मास के लिये १२ आने। उस दिन प्रधान मंत्री ने कहा था कि औसत राष्ट्रीय आय २८१ रुपये से बढ़कर ३३१ रुपये हो जायेगी । मुख्य बात यह है कि जहां तक आर्थिक समानता लाने का सम्बन्ध है लोग आपकी सदाशयता का प्रमाण चाहते हैं।

यह संकल्प बड़ा सीधा-सा है और श्री भागवत झा आजाद का संशोधन भी ठीक है। यह आवश्यक है कि सरकार निश्चित कार्यक्रम और उसकी क्रियान्विति के बारे में वक्तव्य दे ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** (एलुरु) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को साहस के साथ यह कहना चाहिए कि उसने जो आश्वासन दिये थे वह उन्हें पूरा करने के लिये तैयार है। कई वर्ष पूर्व कांग्रेस ने कराची में एक प्रस्ताव पारित किया था कि किसी व्यक्ति की प्रति मास आय ५०० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और जैसा कि श्री गाडगील ने बताया, धनी लोगों को अधिक से अधिक धनी और निर्धन लोगों को और निर्धन बनाने के लिये अनुकूल परिस्थिति आ रही है। सरकार के एक क्षेत्र में—कृषि क्षेत्र में सभी राज्य सरकारों से भू-धारण की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये कहा गया है। इसलिये जब सरकार ने उच्चतम सीमा निर्धारण के सिद्धान्त को किसी न किसी प्रकार स्वीकार किया है तो सरकार को चाहिये कि जहां तक वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वह ऐसी ही कार्यवाही वहां भी करे ।

हमारे देश की स्थिति अत्यन्त निकृष्ट है और इसका कारण यह है कि इस देश में ९० प्रतिशत लोग दरिद्र हैं। श्री गाडगील ने कहा कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कि दो जून भोजन नहीं मिलता है किन्तु मेरा निवेदन है कि आज देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दिन में एक बार भी भोजन नहीं मिलता और जिन्हें तन ढांकने के लिये लत्ता भी मयस्सर नहीं होता । यदि सरकार वास्तव में दरिद्रता को जड़ मूल सहित उखाड़ फेंकना चाहती है तो उसे आय की उच्चतम सीमा निर्धारित करनी होगी ? यह सीमा द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में इस प्रकार लागू की जानी चाहिये कि लोग नौकरी प्राप्त करें और साथ ही उन्हें यह अनुभूति हो कि वह न केवल स्वतन्त्र भारत के नागरिक ही हैं वरन् उनके देश में वास्तव में समाजवादी समाज व्यवस्था मौजूद है। मेरा ख्याल है कि अब सरकार को अपने आश्वासनों को कार्य रूप में परिणित करने का समय आ गया है जिसका प्रमाण यही होगा कि व्यक्तिगत आय की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के बारे में निर्णय किया जाय ।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये कोई पृष्ठभूमि आवश्यक थी और सौभाग्य से हमें यह बात योजना के उपस्थापन से मिल गई है। योजना दरअसल क्या है ? योजना का उद्देश्य उत्पादन, विनियोग और विकास है। अर्थात् उद्देश्य यह है समुदाय के लिये विशेषकर समुदाय के उस भाग के जिसकी स्थिति अपेक्षाकृत कम अच्छी है सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था की जाय ।

सौभाग्य की बात है कि योजना के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं पर जो राशि व्यय की जाने वाली है—वह लगभग १९ या २० प्रतिशत है, उसे हम बनाये रख सके हैं, यद्यपि नई योजना के २० प्रतिशत का अर्थ यह होगा कि वह पुरानी योजना के १९ या २० प्रतिशत से कहीं अधिक होगा। यह स्पष्ट है कि उस हद तक जिस तक कि हम विकास के लिये धन राशियां व्यय कर सकते हैं, हम आय, धन और अवसर की असमानताओं को दूर करने के लिये निश्चित कार्यवाही कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

इसके बाद हमारे सामने प्रश्न आता है उत्पादन का। मेरा विचार है कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमें इस प्रश्न पर एक ऐसे वातावरण में विचार करना चाहिये जो भावना, अनुचित उत्साह या आशंका से मुक्त हो, क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उत्पादन की जिन विधियों को हम अगले ५ वर्षों में काम में लाने जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिये।

इस प्रसंग में, मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री गाडगील ने जो विभिन्न तरीके बताये हैं उनके बारे में मैं एक बार ही सभी बातें स्पष्ट कर दूं। आय और अवसर की समानता लाने का सर्वोत्तम उपाय उत्पादन के अधिकांश साधनों का राष्ट्रीयकरण करना है। इसका अर्थ एक अत्यन्त प्रगतिशील समाजवाद है। हमने योजना में इस बात के कारण बताये हैं कि हम इस समय इसे व्यवहार्य क्यों नहीं समझते और हम इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचें कि सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों का कंधे से कंधा मिला कर चलना देश के लिये आवश्यक क्यों प्रतीत होता है। वह एक ऐसी बात है जिसे विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने भी स्वीकार किया है। इसलिये मेरा ख्याल है कि जहां तक विचाराधीन प्रश्न का सम्बन्ध है, यह कहना संगत नहीं कि हम समाजवाद के पथ पर चलना शुरू करें और समय आने पर सब ठीक हो जायेगा। यह स्पष्ट है कि उस समय ऐसा केवल इसलिये होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार सरकार का कर्मचारी होगा। दूसरे शब्दों में हमारे यहां एक अत्यन्त व्यापक नौकरशाही होगी। वेतन-भोगी वर्ग उस वर्ग की अपेक्षा पारिश्रमिक के निर्धारण के पक्ष में अधिक होता है जो गैर-सरकारी उद्योगों के क्षेत्र में कार्य करता है। किन्तु आज हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है।

जहां तक वेतनों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय वेतन आयोग का और अधिक वेतन पानेवाले कुछ सरकारी नौकरों के वेतन के आंकड़ों का उल्लेख किया गया था। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि वेतन क्रमों की सिफारिशें सरकारी सेवाओं में आने वाले नये लोगों के लिये की गई थीं और सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। बात यह है कि कुछ पुराने अफसर अभी मौजूद हैं और विरोधी दल के लिये वही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किन्तु यह बात भुलानी नहीं चाहिये कि वेतन आयोग की सिफारिशों को मुख्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है और सचिवों के उच्चतम वेतन के अतिरिक्त, जो कि ३,००० रुपये प्रति मास तक जायेगा, उच्चतम वेतन २,५०० रुपये प्रति मास होगा। वेतन आयोग ने व्यक्तिगत वेतन ३,००० रुपये प्रति मास तक का निर्धारित करने की सिफारिश की है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यहां पर हम वेतन के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि आप आय की उच्चतम सीमा निर्धारित करें भी और कराधान के बाद कुछ आय रह जाती है तो मुझे इस बात में सन्देह है कि सार्वजनिक क्षेत्र का कोई वेतन इस प्रकार की उच्चतम सीमा की परिधि में आयेगा। इसका कारण यह है कि आपको आय के ३० हजार, ३६ हजार या ४० हजार रुपये प्राप्त करने के लिये आपकी आय ६०,००० रुपये होनी चाहिये। इसलिये मेरा ख्याल है कि हमें वास्तविक प्रश्न से पर नहीं हटना चाहिये और सरकारी कर्मचारियों के वेतन की चर्चा इस समय नहीं करनी चाहिये।

राज्य-सभा में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था जिसमें वेतन की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की मांग के अतिरिक्त यह कहा गया था कि सरकारी नौकरों के वेतन एक विशिष्ट स्तर पर निर्धारित किये जायें। किन्तु हमारा सम्बन्ध यहां इस प्रश्न से नहीं है।

इस बात को देखते हुए कि हमारे सामने मुख्य समस्या उत्पादन की है हमें इस पर पूर्ण रूप से विचार करना होगा। पहली बात यह है कि हम उत्पादन को किन उपायों से बढ़ाने में सफल होंगे और दूसरी बात यह है, कि आय और सुविधाओं का वितरण होगा। इसलिये मेरा ख्याल है कि सामाजिक

न्याय का उल्लेख, पूंजीवाद उत्पादन के प्रति सामान्य जनता की भावनायें—ये बातें तो मतदाताओं को पसन्द आयेंगी । आर्थिक बुराइयों की ओर संकेत हम क्या करने वाले हैं इस सम्बन्ध में निश्चित वक्तव्य देने की मांग, सदाशयता के अभाव की बात, नैतिक दायित्व की चर्चा, गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के प्रति हमारा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण--आदि बातें वास्तव में ऐसी हैं जो समस्या को हल करने वाली नहीं हैं । हमें अपने आपको एक ऐसी समिति में गठित कर लेना चाहिये जो एक मत से अधिकतम उत्पादन करने और उसके वितरण में अधिकाधिक समानता लाने की इच्छा रखती हो । यदि हम यह चाहते हैं तो हमें इन सुझावों और आरोपों को त्याग देना चाहिए । इस मूलभूत कार्य को करने के लिये हम उन लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साह और लगन से जुटे हुए हैं, जिन पर कार्य-पालिका के कार्य का दायित्व नहीं है । यह इसलिये कि सभा अन्ततोगत्वा योजना की क्रियान्विति की आशा हम से करती है । इस सभा को निश्चय ही यह अधिकार है कि जिन उपायों को हम काम में लाने का इरादा रखते हैं, उनकी वह आलोचना करें किन्तु औरों की तरह हम इसे अपने दृष्टिकोण से देखें तो हम यही कहेंगे कि लक्ष्य की पूर्ति के लिये हम जितने व्यग्र हैं उतना और कोई नहीं हो सकता । इसलिये सभा से मैं अपील करता हूं कि वह ऐसी बातें न कहे कि हम पूंजीपतियों के प्रति पक्षपात करते हैं या कि हम पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है ।

मैं चाहता हूं कि योजना आयोग ने "असमानताओं में कमी" के बारे में विस्तारपूर्वक जो कुछ कहा है, सभा इन बातों को ध्यान में रख कर उसे अत्यन्त सावधानी से पढ़े । योजना का यह सारा भाग पढ़ने के लिये मेरे पास समय नहीं है, किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि माननीय सदस्य इसे निष्पक्ष भाव से पढ़ें तो इस सम्बन्ध में, उन्हें जो कठिनाइयां प्रतीत हो रही हैं, उनमें से कुछ दूर हो जायेंगी ।

अगला प्रश्न यह है कि यदि उत्पादन को हम इतना अधिक महत्व देते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उत्पादन को प्रोत्साहित करें । आप उसे प्रोत्साहन कहें अथवा भौतिकवादी दिलचस्पी । बात वही है । उसे धनी लोगों को लागू किया जाये तो, और गरीब लोगों को लागू किया जाये तो, बात वही ही है । माननीय सदस्य जब यह कहते हैं,—मेरा ख्याल है कि श्री मुकर्जी ने यह कहा था कि—"इस बात पर विचार कीजिये कि लाखों देशवासियों को यह मनोवैज्ञानिक संतोष होगा कि उनके साथ न्याय होगा," तो मैं उनसे सहमत हूं । निश्चय ही उससे उत्पादन में वृद्धि होगी । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप गैर-सरकारी उद्योगों के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं । आपको यह बात निश्चित कर लेनी चाहिये कि जिस प्रकार का प्रोत्साहन आप दे रहे हैं वह सर्वोत्तम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त होगा, यद्यपि आप अनिच्छापूर्वक उन्हें गैर-सरकारी उद्योगों के क्षेत्र में कार्य करने दे रहे हैं । यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे गणित के सूत्र से अथवा एक बार ही हल किया जा सकता हो । यह संभव है कि पुराने अनुभव के आधार पर वास्तविक पारिश्रमिक के सम्बन्ध में उनकी जो आशायें हैं वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हों । और जैसे-जैसे समय बीतगा और कराधान के नये उपाय निकलेंगे वैसे-वैसे वे कम पारिश्रमिक पाने की आशा करेंगे ? मैं केवल प्रोत्साहन और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यह कहता हूं कि आज जो बात संभव नहीं है वह अगले दो-तीन या पांच वर्षों में संभव हो सकती है । यही बात है जिसके कारण समाज के अत्यन्त धनी लोगों की संख्या कम करने के लिये या दूसरे शब्दों में कराधान और विशेषकर प्रत्यक्ष कराधान के बारे में हम क्या कार्यवाही करने वाले हैं—इसे हम अधिक स्पष्ट नहीं कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री मुकर्जी ने यह मांग की थी कि इस संकल्प पर जो मतक्य है उसे देखते हुए मैं अभी यहां यह घोषणा कर दूं कि असमानताओं को दूर करन के लिये सरकार क्या कार्यवाही

श्री सी० डी० देशमुख]

करने वाली है। गत छः वर्षों में राजकोषीय प्रशासन सम्बन्धी मामलों के बारे में मुझे जो अनुभव हैं उसके आधार पर मुझे यह बात सूझती ही नहीं कि मैं योजना आयोग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वर्णित उपायों के बारे में इस सभा का समाधान कैसे कर सकूंगा। भविष्य में कराधान का स्वरूप कैसा होगा। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें ठीक-ठीक क्या बता सकता हूं? मैं यह कैसे बता सकता हूं कि पूंजी लाभ के बारे में मैं क्या कार्यवाही करना चाहता हूं? सम्पदा शुल्क अधिनियम में मैं क्या संशोधन करना चाहता हूं। यह मैं कैसे कह सकता हूं? मेरा ख्याल है कि योजना पर जो चर्चा हुई थी, उसके दौरान में किसी ने यह शिकायत की थी कि योजना में अतिरिक्त लाभ पर, उपहारों पर कर, व्यय पर कर और कराधान के अन्य सैकड़ों प्रकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि चूंकि हम एक योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था की बात कर रहे हैं इसलिये उचित अवसर पर आते हैं जबकि अपने विचारों को स्पष्ट किया जाता है और ठोस उपाय काम में लाये जाते हैं और ठोस उपायों से मेरा तात्पर्य है वित्त विधेयक। क्या इस सभा के माननीय सदस्यों को उत्तर देते समय मैं १२ वित्त विधेयक उनके सामने रख दूं? यह संभव नहीं है। सभा को स्मरण होगा कि आय-व्ययक सम्बन्धी सामान्य चर्चा के दौरान मैंने यह कहा था कि कराधान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों के बारे में सरकार क्या करने जा रही है, इस बात को बहुत पहले बता देना मेरे लिये संभव नहीं है। आज सुबह यह बात कही गयी थी।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी :** मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब सरकार की वितरण की अपेक्षा उत्पादन पर अधिक जोर देने की नीति से जनता के मन में सन्देह उत्पन्न हो रहा है तो क्या आप यह बता सकते हैं कि आप क्या कार्यवाही करने की सोच रहे हैं? क्या आप उस दृष्टिकोण से कुछ संशोधन स्वीकार कर सकते हैं?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** वे संशोधन करारोपण के लिये ठोस प्रस्थापनायें नहीं हैं। हम सभी यह चाहते हैं कि उत्पादन अधिक से अधिक हो। जहां तक मैं समझ सकता हूं वितरण प्रत्यक्ष वितरण हो सकता है किन्तु उसके अतिरिक्त हम उन लोगों पर धन खर्च करना चाहते हैं जिन्हें सुविधाओं की आवश्यकता है।

†**श्री फीरोज़ गाँधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : आय कर में वृद्धि से उत्तर प्रदेश के मंत्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन्हें १,२५० रुपये प्रति मास का आय कर मुक्त वेतन, एक मोटर गाड़ी, निःशुल्क ड्राइवर, एक क्लीनर, निःशुल्क पेट्रोल, निःशुल्क मकान और एक नैनीताल में मकान मिलता है?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** यह एक बहुत छोटी बात है।

†**श्री फीरोज़ गाँधी :** गर-सरकारी कम्पनियों पर भी यही बात लागू होती है।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** किन्तु सामान्य पुरस्कारों पर कर लगाने के सम्बन्ध में अब यह विषय नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा सामने लाया गया है। मैं यह कहूंगा कि अब पुरस्कारों पर भी कर लगाया जा सकेगा।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : केन्द्रीय मंत्रियों के बारे में क्या है?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** राज्य विधान मंडल अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतन्त्र है और केन्द्रीय विधान मंडल भी संविधान द्वारा उसे नियत किये गये क्षेत्र में सर्वोच्च है। इसलिये मंत्रियों के वेतन के सम्बन्ध में राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधान की आलोचना करना मेरे लिये

†मूल अंग्रेजी में।

अनुचित होगा। मेरा यही उत्तर इस विधान मंडल के सम्बन्ध में भी है कि संवैधानिक दृष्टि से मैं इस विशिष्ट प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता।

मैं यह कह रहा था कि यह सभा, राज्यों के विधान मंडल और निर्वाचन मंडल अब कारारोपण के सम्बन्ध में बहुत ही कड़ी कसौटी लागू करेंगे। मैं समझता हूं कि भविष्य में वित्त मंत्रियों का काम इस अर्थ में अधिकाधिक कठिन होता जाएगा कि यदि प्रत्यक्ष करारोपण द्वारा धन वसूल किया जा सकता हो तो वे एक पाई भी अप्रत्यक्ष कर नहीं लगायेंगे।

श्री अशोक मेहता का यह कहना भी सच है कि विकास के अधिकतर क्रियाकलाप से प्रारम्भ में आय की असमानता बढ़ती है। उनसे धनी अधिक धनी और गरीब अधिक गरीब होते हैं। इसलिये यदि योजना विभाग और देश जागरूक न रहे तो ये सभी परिणाम सामने आयेंगे। मुझे पता चला है कि स्वीडन जैसे समाजवादी देशों में भी ऐसा होता है। अतः मैं इस विषय में कि धन किस प्रकार एकत्र हो रहा है और समुदाय में अधिक अच्छे वितरण के लिये वह इस प्रकार काम में लाया जा सकता है, बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता भली भांति समझता हूं।

इसलिये यदि माननीय सदस्य इन बातों से सहमत हों कि हमें अधिकतम उत्पादन करना चाहिये और प्रत्येक करारोपण विधेयक सामने रखने पर उन्हें यह पूछने का अधिकार होगा कि मुनाफे की पहली श्रेणी में रखे जाने वाले मुनाफों के सम्बन्ध में अर्थात् लाभांश न कि मजूरी या लगान के सम्बन्ध में हम क्या उपाय करने का विचार करते हैं, तब निश्चय ही सम्बन्धित वित्त मंत्री को बहुत सन्तोषजनक उत्तर देना होगा।

ये सब बातें आज क्यों नहीं रखी गयी हैं इसका कारण यह है कि हमें केवल कुछ धन की आवश्यकता है और हमें कुछ तरीकों का परीक्षण करना है। यह निश्चित है कि प्रोफेसर कालडर हमारी प्रार्थना पर ही इस देश में आये थे और कर जांच आयोग के प्रतिवेदन में उनके अपने विचार अलग प्रतिवेदन के रूप में दिये गये हैं जो मैं यह सत्र समाप्त होने के पूर्व इसे सभा के सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य उसमें कही गयी सभी बातों पर विचार कर सकें और योजना पर विचार के समय तैयार रहें। मुझे विश्वास है कि हम उसमें से कुछ ऐसी चीज निकाल सकेंगे जो करारोपण के विधेयक सामने लाने के समय सभा के सभी दलों के लिये सन्तोषप्रद होगी। सभा को यह चिन्ता है कि वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करारोपण से राजस्व प्राप्त करने का ही बीड़ा उठाया है, मैंने यह कभी नहीं कहा। वास्तव में मैंने यह कहा था कि हमें सदा यह ध्यान में रखना होगा कि ४५,००० रुपये से अधिक आय वाले लोग इस देश में १ प्रतिशत या उससे कम होंगे और कर देने के बाद ६०,००० रुपये से अधिक आय वाले लोग ४५० से अधिक शायद ही हों। हम उनसे निपट लेंगे। इसलिये इतना अधिक कर जो हमें इकट्ठा करना है, उसे देखते हुए हमें जनसाधारण से यह कहना पड़ेगा कि वे कर के रूप में अथवा कर्ज या बचत के रूप में कुछ उपभोग छोड़ दें। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि हम अप्रत्यक्ष करारोपण तक ही सीमित रहेंगे और यह कि मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष करारोपण आज जितना है, उससे अधिक नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह यह मानता हूं कि सधन और लाभयुक्त व्यक्तियों और कम्पनियों के पास अधिकाधिक अतिरिक्त धन रहेगा जिस पर समुदाय को कर लगाने का अधिकार है।

जहां तक अतिरिक्त धन का सम्बन्ध है, उसे मालूम करना और कुछ व्यक्तियों से उसे प्राप्त करना अधिक सरल है। इसलिये जो तरीका मैंने बताया है वह कठिन नहीं होगा। फिर दूसरी ओर, यदि यह अतिरिक्त धन या अतिरिक्त आय सम्पूर्ण समुदाय में बहुत छोटे अंशों में वितरित हो जाती है तो यह बिलकुल निश्चित है कि वह अतिरिक्त उपभोग में खप जायगी। किन्तु

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस अतिरिक्त धन का पता लगाने या समुदाय के लिये उसे काम में लाने के उचित उपाय ढूंढने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी ।

इसे ध्यान में रखते हुए मेरी कठिनाई यह है कि जिस रूप में संकल्प रखा गया है उसे स्वीकार नहीं कर सकता । सरकार उस उद्देश्य से सहमत है और दृढ़ता से उसकी पूर्ति करने का विचार करती है जिसके आधार पर यह संकल्प रखा गया है । यदि सभा को इसी बात से संतोष होगा कि हम ऐसा कोई प्रमाण दें कि हम इस उद्देश्य से सहमत हैं, तो मैं श्री भागवत झा द्वारा सुझाया गया संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हूं ।

आयोजित विकास, पूंजी निर्माण, मनुष्य की असमानता आदि के अर्थ के सम्बन्ध में सामान्य बातों का विवेचन करके इस विषय को बढ़ाया जा सकता है किन्तु मैं इसके लिये सभा का समय नहीं लूंगा, न ही मैं उन कार्यवाहियों का उल्लेख करूंगा जो सरकार ने इस दिशा में की हैं, अर्थात् भूमि सुधार, लगानों का विनियमन, ऋण नियंत्रण, ग्रामीण ऋण का पुनर्गठन, समवाय विधि का संशोधन, इम्पीरियल बैंक, जीवन बीमा आदि का राष्ट्रीयकरण ।

अब दूसरा प्रश्न सरकारी क्षेत्र के विस्तार अथवा राज्य व्यापार के विस्तार का प्रश्न है । सम्भवतः इस सम्बन्ध में भी अपेक्षतया हम सभा का समाधान कर न सकें । मैं क्रमशः प्रगति में विश्वास करता हूं । कर जांच आयोग के प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया गया था किन्तु मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों ने वास्तव में उसका अध्ययन किया है अन्यथा वे 'तुरन्त' शब्द का प्रयोग न करते । मैं केवल यही कहूंगा कि जब दो-तीन दिन में मैं प्रोफेसर कालडर का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखूंगा, तब माननीय सदस्य न केवल करारोपण बल्कि आय की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में उनके कथन का अध्ययन करें । तब वे मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि अभी आवश्यकता इस बात की है कि श्री भागवत झा आजाद का संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : मैंने जो प्रस्ताव पेश किया उसका जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समय जो उनकी वानप्रस्थ की जिन्दगी है उसके अनुसार उचित कार्रवाई का बीड़ा उठाया है और जो उन्होंने चंचु प्रवेश न्याय की बात कही यह गांधी जी के शब्दों में अहिंसात्मक न्याय है । गांधी जी भी धीरे-धीरे काम करते थे । जब गांधी जी चम्पारन में गये तो उन्होंने कोठी वालों से २६ परसेंट और २० परसेंट मुआवजे में कमी कराई थी । उस समय आज जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था कि "यह आपने क्या किया" । गांधी जी ने जवाब दिया था कि मैंने किया तो थोड़ा है परन्तु इसका परिणाम यह होगा कि अंग्रेज लोग चम्पारन से चले जायेंगे । वही बात हुई । वित्त मंत्री जी ने जो चंचु प्रवेश न्याय की बात कही है उससे असमानता धीरे-धीरे ही दूर होगी, और मैं समझता हूं कि जो काम धीरे-धीरे होता है वह माकूल होता है । परन्तु एक बात मुझे कहनी है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने दूसरे हाउस में कहा और हमारे वित्त मंत्री जी ने इस हाउस में कहा कि प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ाइये । मैं इनसे कहता हूं कि आप मेरे साथ देहात में चलिये और देखिये कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये देहातों में धांगड़ और दूसरे लोग आज इस कड़ी धूप में कितना परिश्रम करते हैं । ये लोग हल चलाते हैं और दूसरे काम करते हैं और सुबह से शाम तक प्रोडक्शन बढ़ाने का यत्न करते हैं । लेकिन इतना सारा काम करने के बाद उनको शाम को खाना नहीं मिलता । इसका आपको कोई उपाय निकालना होगा । आप बार-बार कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाइये, प्रोडक्शन बढ़ाइये । लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) करने का भी तो कोई तरीका निकालिये । प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है । अगर यही हालत रही तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह लोग गांधी जी के शिष्य हैं और प्रधान मंत्री के सिपाही हैं, हमको कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा कि क्या करें ।

मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि साहब यह प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर बड़ा धोखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर के अधीन आज जितनी फैक्टरीज और कल कारखाने व उद्योग हैं और उन उद्योगों से जो फायदा होता है, उस मुनाफे का आपने जनता में वितरण कराने के लिये क्या व्यवस्था की है? आज हम देखते हैं कि इस सेकेंड फाइव इअर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में प्राइवेट सैक्टर को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने २३ अरब रुपये के खर्च करने की व्यवस्था रक्खी है लेकिन दूसरी तरफ हमारे देखने में आता है कि इन प्राइवेट उद्योगपतियों द्वारा सरकारी टैक्सों (करों) का इवेजन (अपवंचन) किया जाता है और मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्राइवेट सैक्टर के लिये कोई इंतजाम कीजिये और याद रखिये जब तक यह प्राइवेट सैक्टर अपने वर्तमान रुप में विद्यमान रहेगा, यह देश का नाश करता रहेगा। जिस तरह से एक घर में दो-तीन भाई एक साथ रहते हैं, और अगर किसी एक भाई का अपना प्राइवेट मनी होता है तो वह भाई अपने काम पर ध्यान देता है और वह दूसरे काम पर ध्यान नहीं देता है, वह घर के इंतजाम पर ध्यान नहीं देता है और उसका सारा ध्यान अपने प्राइवेट मनी को आगे बढ़ाने में लगता है और इसके कारण घर का नाश हो जाता है, उसी तरह से जब तक आपके घर में यह प्राइवेट सैक्टर रहेगा, तब तक आपके देश की उन्नति नहीं हो सकेगी। असल में यह प्राइवेट सैक्टर ही सब झगड़े फसाद की जड़ है और जब तक यह प्राइवेट सैक्टर मौजूद रहेगा तब तक ये आपके आफिसर्स (अधिकारियों) वगैरह को करप्ट (भ्रष्ट) करता रहेगा। मैं अपनी ही बात बतलाऊं कि अगर मैं पार्लियामेंट का मेम्बर न होता तो मैं दिल्ली न आ पाता और एक मामूली किसान होने के नाते दिल्ली आना मेरे बूते की बाहर की बात थी, दिल्ली आना तो दूर रहा मेरे लिये अपने खर्चे से डिस्ट्रिक्ट टाउन पहुंचना मुश्किल होता था और पैसे की किल्लत की वजह से साइकिल की शरण लेनी पड़ती थी, लेकिन चूंकि अब पार्लियामेंट का मेम्बर हो गया हूं इसलिये दिल्ली आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मामूली किसानों की आप तक पहुंच नहीं हो पाती जब कि हम देखते हैं कि प्राइवेट सक्टर के बड़े-बड़े पूंजीपति लोग बड़ी आसानी से प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) और वित्त मंत्री महोदय के पास पहुंच जाते हैं और दूसरे बड़े सरकारी अधिकारियों के पास उनको पहुंच हो जाती है जबकि गरीब किसान की पहुंच आपके दरवाजे पर नहीं हो सकती और अगर हिम्मत करके वह वहां पहुंच भी जायगा तो दरवाजे पर बंदूक लेकर पहरा देने वाला सिपाही उसको वहां से हटा देगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : पिछले महीने से मेरे पास लगभग एक हजार किसान आ चुके हैं किन्तु एक भी उद्योगपति नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बंदूक वाला सिपाही नहीं रक्खा होगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं वित्त मंत्री महोदय को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उनके दिल में गरीब किसानों के लिये इतनी जगह मौजूद है।

प्रधान मंत्री महोदय ने राज्य-सभा में सीलिंग (आय की अधिकतम सीमा) के ऊपर बोलते हुए जो अपने विचार प्रकट किये, उसको अखबार वालों ने कुछ इस तरह से पेश किया है कि सहसा उस खबर को पढ़ने वाले को भ्रम सा हो जाता है और चूंकि यह अखबार वाले धनिक आदमियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, इसलिये उन्होंने प्रधान मंत्री महोदय के वक्तव्य में से इधर-उधर से निकाल करके अपने मन की बात लिख दी लेकिन प्रधान मंत्री महोदय ने जो यह शब्द कहे कि आज की देश की अवस्था यह हो रही है कि कुछ लोग तो बहुत दरिद्रता और कष्ट का जीवन बिता रहे हैं जब कि कुछ लोग बहुत लक्जरी (एशो इशरत्) में रहते हैं यह आर्थिक असमानता है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री विभूति मिश्र]

मैं अपने उन अखबार वाले भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको देशहित का ध्यान सर्वोपरि रखना चाहिये और उन्हें देश के गरीब काश्तकारों का साथ देना चाहिये । आज पूंजीपतियों का पैसा खाने से उनका दिमाग बिगड़ गया है और जिस गलत तरीके पर उन्होंने प्रधान मंत्री महोदय की राज्य-सभा की स्पीच को कोट किया है, उससे एक गरीब काश्तकार यह समझेगा कि हमारे प्रधान मंत्री के दिल में गरीबों के लिये कोई दर्द नहीं है हालांकि मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी के दिल में हम गरीबों के लिये जितना दर्द है उतना हिन्दुस्तान में किसी के लिये नहीं है। मेरा उन अखबारी बंधुओं से अनुरोध है कि वे अपने कर्तव्य का ठीक-ठीक तरह पालन करें और पार्लियामेंट में जो कुछ कहा जाय उसको ठीक-ठीक उसी रूप में आप अपने-अखबारों में उद्धृत करें ।

सेकेंड फाइव इअर प्लान की रिपोर्ट में यह जो कहा गया है कि :

"आय की सीमा निर्धारित करना आखिरी काम है शुरू में का काम नहीं है" मैं इससे सहमत नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि तीन हजार की सीलिंग काफी ऊंची है और उसकी बजाय २,२५० रुपये की सीलिंग फिक्स (निश्चित) कर दी जाय ।

आज लोगों में इंसेटिव (उत्साह) पैदा करने की बात कही जाती है, ठीक है लोगों में इंसेटिव पैदा करने की जरूरत है ताकि वे अधिक मेहनत से काम करें और देश की सम्पत्ति बढ़ायें लेकिन इंसेटिव बढ़ाने के साथ ही आज देश में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हमारे व्यापारियों में नैतिकता का भाव आये, हमारी इस प्लानिंग (योजना) में देश में नैतिकता कैसे लाई जाये, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश और समाज में नैतिकता का भाव आये और इसके आने पर हम देखेंगे कि हमारा देश काफी प्रगति करेगा। आज यह बड़े खेद का विषय है कि हमारे व्यापारी समाज में नैतिकता का सर्वथा अभाव है और याद रखिये जब तक हमारे बीच में अनैतिकता कायम रहेगी, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा ।

आज हमारे देश में दो महान शक्तियां देश का उद्धार करने में लगी हुई हैं। एक हमारे प्रधान मंत्री महोदय श्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरे आचार्य विनोबा भावे । पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी स्तर पर देश का उद्धार करने का काम कर रहे हैं और आचार्य विदोबा भावे गैर-सरकारी स्तर पर गांव-गांव घूम कर देश के उद्धार का काम कर रहे हैं । उन्होंने "भूदान यज्ञ" नामक अखबार में सामूहिक चिंतन की आवश्यकता पर इस प्रकार लिखा है : "यहां के लोग अपनी-अपनी चिन्ता करते हैं, दूसरों की नहीं। यह एक बड़ा भारी दोष है । सामाजिक चिंता का अभाव हमारे यहां है । इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को सामूहिक चिंतन की सीख दी जाये ····" ।

एक माननीय सदस्य : अभी चिंतामणि उधर हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : हम तो मन भर चिंता करते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : आगे विनोबा भावे ने लिखा है : "वस्तुतः मनुष्य का सारा ध्यान प्रेम संपादन करने में लगना चाहिये" । लेकिन लोग कमाते हैं पैसा और परिणाम में पाते हैं एक दूसरे का द्वेष । कोई किसी की परवाह नहीं करता । विनोबा जी ने देशवासियों को सलाह दी है कि लोग बांट-बांट कर खायें और अगर लोग इस भाई चारे की भावना से मिल कर रहेंगे और ईमानदारी से मिल कर बांट कर खायेंगे तो कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा और इस सम्बन्ध में उन्होंने एक सत्पुरुष की कहानी भी उसमें लिखी है जो इस प्रकार है। एक सत्पुरुष की मशहूर कहानी है । एक छोटी सी जगह वह सो गया और बाहर जोरों से बारिश आ रही थी । ठंड में ठिठुरता हुआ दूसरा मनुष्य वहां आया और उसने आश्रय मांगा । एक ही मनुष्य क सो सकने की जगह वहां थी । सत्पुरुष ने कहा, "आ जाओ दोनों बैठ सकते हैं "। फिर एक तीसरा शख्स आया और उसने भी आश्रय मांगा । तीनों बैठ नहीं सकते

थे, लेकिन खड़े तो रह सकते थे । उसे भी बुला लिया गया और तीनों ने खड़े-खड़े रात बितायी । सार यह है कि तकलीफ भले ही हो, लेकिन सहूलियत सब को होनी चाहिये ।

यही मुझ को कहना है कि जो कुछ भी हमारे पास हो उसको बांट कर खाना चाहिये, यह नहीं कि एक आदमी को ज्यादा मिल जाये और दूसरे आदमी को कम मिले, मेरे प्रस्ताव का यही मतलब है कि आप आमदनी के ऊपर एक नियंत्रण कीजिये कि उसके ऊपर किसी की आमदनी नहीं होनी चाहिये । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने उसको इस तरह से नहीं माना लेकिन उन्होंने यह बतलाया कि हम बहुत से टैक्सेज (कर) लगाने जा रहे हैं और सिद्धांततः हमारे श्री भागवत झा आजाद का जो अमेंडमेंट (संशोधन) है उसको कबूल किया है । मैं इसके लिये वित्त मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देता हूं । राज्य-सभा में जो हुआ सो हुआ लेकिन यह हमारी लोक-सभा है और यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा है और यहां ऐसा सुधार करके हमने बिलकुल ठीक काम किया है और यह हमारा कार्य लोक कल्याणकारी सिद्ध होगा । मैं अपने मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी से कहना चाहूंगा कि देखिये हमारे इस प्रस्ताव के अन्दर जो सिद्धांत निहित है, उसको सरकार ने किस खूबसूरती के साथ माना है । चूंकि आप लोग जो बात कहते हैं वह सच्चे दिल से नहीं कहते और आपके मन में और बात रहती है और मुंह से दूसरी बात कहते हैं, इसलिये सरकार आपकी बात को नहीं मानती है । आपने देखा कि सरकार ने हमारी बात को किस तरह से माना ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हमारे सामने मुख्य संकल्प तथा तीन संशोधन हैं । मैं श्री भागवत झा आजाद का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं । किसी अन्य संशोधन के रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : यह संकल्प से बिल्कुल भिन्न है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किन्तु यह मूल के स्थान पर तो रखा गया है ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : एक औचित्य प्रश्न है । जो संशोधन संकल्प के स्थान पर रखा जाता है उसका मूल संकल्प से सम्बन्ध होना चाहिये । मूल संकल्प आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में था और यह केवल आयों के भेद को दूर करने के सम्बन्ध में है । मेरे विचार में यह एक पृथक् संकल्प है, संशोधन नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किन्तु इस समय यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि अध्यक्ष महोदय इसको स्वीकार कर चुके हैं ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिये जाने का यह अर्थ नहीं है कि वह अब इससे बंध गये हैं अथवा यह संशोधन नियमानुकूल हो गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि इस पर कई संशोधन भी रखे जा चुके हैं ।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : प्रायः ऐसे संशोधनों को इस शर्त पर ग्रहण कर लिया जाता है कि आगे चल कर इनकी छानबीन हो जायेगी । अब इस समय हमें यह लग रहा है कि हम इस संशोधन को वैकल्पिक संकल्प के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते । अतः आप इस पर अपना निर्णय देने की कृपा करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मेरा यह निवेदन है कि जब प्रस्तावक को स्वयं यह मंजूर है कि यह संशोधन उसके संकल्प का स्थान ले सकता है फिर अन्य लोग इसमें आपत्ति करने वाले कौन होते हैं ?

दूसरे जब यह संकल्प रखा जाता है कि अधिकतम आय निर्धारित की जाये तो इसका यही अभिप्राय होता है कि आय में परस्पर अन्तर को दूर कर दिया जाये ।

तीसरे जब कोई संशोधन सभा में रखा जाता है उसी समय उस पर आपत्ति की जानी चाहिये ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : मेरा यह कहना है कि यह संकल्प प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है । और अब यह सभा के सामने है । यद्यपि प्रस्तावक इसको वापस ले सकते हैं तथापि वह सभा की अनुमति से ही ऐसा कर सकते हैं । अब हम उन्हें यह प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं देना चाहते ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । पहला प्रश्न यह उठाया गया है कि ऐसे संशोधनों को इस शर्त पर ग्रहण कर लिया जाता है कि बाद में इसकी छानबीन हो जायेगी । किन्तु इस दिशा में ऐसी बात नहीं है । इसके रिकार्ड से यह पता लगता है कि अध्यक्ष ने इसको बहुत सोच विचार के बाद ग्रहण किया है ।

दूसरी बात यह कही गई है कि यह मूल प्रस्ताव से भिन्न प्रस्ताव है । इसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि मूल संकल्प के स्थान में रखे गये संकल्प मूल से अवश्य ही भेद होता है । फिर आयों में अन्तर दूर करना भी अधिकतम सीमा की ओर एक कदम ही है । और इस प्रकार यह संकल्प का ही अंकुर है ।

फिर प्रस्तावक स्वयं भी इसे वैकल्पिक संकल्प के रूप में रखने से संतुष्ट हैं । ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल नियमानुकूल है । अब मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित संकल्प रख दिया जाये :

> "This House recommends to the Government to take appropriate measures to reduce the disparity in income prevailing between the different sections of society in the country."
>
> ["कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह देश में समाज के विभिन्न वर्गों में प्रचलित आय-सम्बन्धी असमानताओं को कम करने के लिये उचित उपाय करे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अन्य सभी संशोधन अवरुद्ध होते हैं अतः अब हम अगले संकल्प पर चर्चा करेंगे ।

आय-कर विभाग के कार्य की जाँच के बारे में संकल्प

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा सिफारिश करती है कि सात सदस्यों की एक समिति, जिसमें कम से कम चार सदस्य संसद् के हों, बनाई जाये और वह समिति छः महीने के भीतर आय-कर विभाग की जांच करे और उसके कार्य के सम्बन्ध में इस सभा को प्रतिवेदन दे तथा यह सिफारिश करे कि इस विभाग की प्रशासकीय कार्य-क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है जिससे कि शीघ्रता से कर का निर्धारण हो सके और अधिकतम राजस्व इकट्ठा किया जा सके ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इस सभा के ४६ सदस्यों के इस संकल्प को नाम से रखा गया है। उनमें से २३ कांग्रेस के हैं। शेष सभी दलों के प्रतिनिधि भी इनमें शामिल हैं। किन्तु फिर भी इस संकल्प को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मेरे जिम्मे पड़ा है। मैं बड़ी खुश किस्मती से आज सारी सभा की ओर से बोल रहा हूं। मेरे लिये यह बड़े गौरव की बात है।

आय-कर करों के संसार की आधार शिला है। कई लोगों के लिये यह बड़ा भयावह सिद्ध होता है। इसके सबसे पहले शिकार हमारे स्वतन्त्र भारत के पहले वित्त मंत्री ही हुए।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

१७ अगस्त, १९४८ को कुछ मामलों को आय-कर जांच आयोग को सौंपने के मामले पर श्री सन्मुखम चेटी को त्यागपत्र देना पड़ा था। उस समय कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई थी। उसमें श्री गोयनका ने इस विवाद में खूब हिस्सा लिया था। तब उसके बाद स्वतन्त्र भारत में सबसे पहली बार इस सभा में आय-कर जांच आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विभाजन हुआ। वह विभाजन आज के विभाजनों की तरह नहीं था। मेरा यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। और आज इस विषय को इस संकल्प के रूप में इस सभा में उठाने का भार मुझ जैसे व्यक्ति पर पड़ गया है जो कि इस विषय का विशेषज्ञ भी नहीं है। किन्तु हमारे वर्तमान वित्त मंत्री ने वित्त विभाग को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है अतः उनको संबोधन करक मैंने संस्कृत की एक कविता रची है। वह इस प्रकार है :

"मंबादेण्या अधिष्ठानं महाराष्ट्रे सुशोभनम्
संकल्पोज्यं दृढ़ोयस्य हे चिंतामण मे श्रृणु
निश्चयं श्रृणु में अत्र नेह संशयः किंचन
संकटं करपातेन समृद्धि करधारणात्।"

इसका यह अर्थ है कि हे वित्त मंत्री ! जिसका यही संकल्प है कि बम्बई महाराष्ट्र में मिल जाय, मेरी बात सुनिये। करों के अपवंचन अथवा हानि से एक क्रांति मच सकती है। और यदि तुम करों को ठीक ढंग से इकट्ठा करोगे तो देश की बड़ी समृद्धि होगी। आप इस श्लोक की चौथी पंक्ति को अपना आदर्श वाक्य बना सकते हैं।

आज ही करों के अपवंचन के सम्बन्ध में श्री निकोलस कालडर के प्रतिवेदन की चर्चा की गई थी। और वित्त मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया है कि उसे शीघ्रता से सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। उसमें यह कहा गया है कि प्रतिवर्ष भारत में २ अरब से ३ अरब रुपये तक के करों का अपवंचन होता है। क्या यह बात सत्य है ? इससे पहले भी कई बार ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं कि भारत में आय-कर विभाग कर-वसूली में बड़ा असफल सिद्ध हुआ है। इस सम्बन्ध में आप २४ सितम्बर, १९५५ की "कामर्स" पत्रिका को देखियेगा तो भी आपको पता लगेगा कि भारत में कितना अपवंचन होता है। किन्तु फिर भी अभी तक भारतवर्ष में इस सम्बन्ध में कोई भी आयोग नहीं बनाया गया है।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : आय-कर जांच आयोग क्या है ?

†**श्री कामत** : मैं इस पर भी आता हूं। हमारे यहां पहले मथाई आयोग नियुक्त हुआ। वह भी केवल आय-कर के ढांचे तथा कुछ सिद्धांतों तक ही सीमित रह गया। फिर वरदाचार्यर आयोग बना। उसने भी अपने प्रतिवेदन के पैरा ३९३ में छानबीन की ही बात कही है। उसने यह सिफारिश

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कामत]

भी की थी कि जब तक किसी व्यक्ति को सहायक आयुक्त के रूप में ५ वर्ष का अनुभव न हो जाये उसे तब तक कर-आयुक्त न बनाया जाये। किन्तु इस सिद्धांत को भी तोड़ा अधिक गया है और माना कम।

हमारे देश में आय-कर प्रशासन का जो ढांचा है उसमें सबसे पहला स्थान आय-कर अधिकारी का ही आता है। अभी १० मिनट पहले मुझे एक सदस्य ने बताया था कि उसने दिल्ली मंडल के आय-कर अधिकारी को ऐसे पत्रों के लिये लिखा था जिनमें कि वह यह दर्ज कर सकें कि उनकी आय अब इतनी बढ़ गई है। किन्तु लगभग डेढ़ महीना हो गया है अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जिनमें देश को राजस्व की हानि हो रही होगी। यह बताता है कि हमारे आय-कर अधिकारी कितने कार्यपटु हैं।

आज हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ करने जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री इस अवधि में १२ अरब रुपया नोट छाप कर जुटाना चाहते हैं। जिसमें मुद्रा स्फीति का भय निरंतर छाया रहेगा किन्तु यदि वह प्रतिवर्ष अपवंचित होने वाली २, ३ अरब की इस कर राशि को सफलता से जुटा सकें तो उनको घाटे की अर्थ-व्यवस्था की शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हमें करों के अपवंचन को रोकने का प्रयास करना चाहिये। पिछली बार १९५१ में श्री त्यागी ने ऐसी ही एक योजना चलाई थी कि लोग स्वेच्छा से करों के अपवंचन को छोड़ दें। उस छोटी-सी योजना से देश को १० करोड़ रुपये का लाभ हो गया था। किन्तु यह बीमारी द्वितीय महायुद्ध से निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। वास्तव में उस समय सरकार ने भी कर अपवंचनों को कुछ नहीं कहा क्योंकि वह किसी भी प्रकार से युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते थे।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य का समय पूरा हो चुका है।

†**श्री कामत** : मैंने भाषण ५ बजकर ५ मिनट पर शुरू किया था। मैं ५ बजकर ३५ मिनट पर समाप्त करूंगा।

जैसा कि मैं कह रहा था कि यदि आय-कर विभाग द्वारा यह कार्य किया जा सकता है तो घाटे की अर्थ-व्यवस्था के लिये कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस विभाग की कार्यकुशलता या कार्य कुशलता की कमी के बारे में सरदार इकबाल सिंह और सरदार अकरपुरी ने आय-कर विभाग के पदाधिकारियों के बारे में १९५५ में प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था। इसके उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि १९५५ में ऐसे भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों के केवल १५९ मामले थे जिनमें से ५७ की जांच हो चुकी है और केवल १ को दण्ड दिया गया है। चाहे इन अपराधियों पर लगाये गये आरोप आधारहीन हों, या उनकी जांच ठीक प्रकार से न हुई हो, यह बात सभी लोग मानते हैं कि ईमानदार कर-दाता बुरी तरह से पीसा जाता है और बड़े-बड़े कर-अपवंचक बच निकलते हैं। यदि सरकार इस सम्बन्ध में तनिक भी सावधान है कि वह अपना वचन पूरा करे तो उसे ऐसी अवस्था को समाप्त करना चाहिये।

अब मैं केवल एक बात पर जोर डालूंगा और शेष बातों को अपने अन्य सहकारियों पर छोड़ दूंगा।

मैंने बताया है कि सम्पूर्ण प्रशासन को फिर से ठीक करना आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि कुछ आय-कर पदाधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में काम करने के लिये नियुक्त किया जाता है जिस क्षेत्र की भाषा वह नहीं जानते। इस कारण वह लेखाओं का परीक्षण नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ बंगाल में ऐसे पदाधिकारी का नियुक्त किया जाना जो मारवाड़ी भाषा नहीं जानता। अतः हमें

†मूल अंग्रेजी में।

इस बात पर ध्यान देना है कि क्या यह आय-कर पदाधिकारी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अधीन विभिन्न प्रादेशिक पदाली के न हों ताकि उस स्थान की भाषा जानने वाले और वहां के पदाधिकारी लोग वहां का कार्य ठीक ढंग से कर सकें।

४ मई और ६ मई के **हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड** (दिल्ली संस्करण) में कालडर रिपोर्ट के कुछ अंश प्रकाशित हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये उद्धरण उस पत्र के पास कैसे पहुंच गये। पर मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर सभा में वाद-विवाद होना चाहिये और यदि यह आरोप सही है कि २०० करोड़ रुपये का अपवंचन किया गया है तो इस सभा को एक समिति द्वारा इसकी पूरी जांच की जानी चाहिये। वरदाचारी आयोग तो जांच कर ही रहा है पर सभा के सदस्यों तथा अन्य लोगों की भी एक स्वतन्त्र समिति जांच के लिये बिठाई जानी चाहिये। इस विभाग की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, उसे ठीक किया जाना चाहिये।

यदि माननीय वित्त मंत्री यह संकल्प स्वीकार कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कि वह गीता के इन शब्दों

"क्षिप्रहि आर्थिके लोके वृद्धिः भवति मैश्रृणु"

का काफी सम्मान करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**मुल्ला अब्दुल्लाभाई** (चांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित संकल्प रखा जाय :

"This House recommends that a Committee consisting of seven members, not less than four of whom should be members of Parliament, be constituted to enquire into and report within six months about the working of the Income-Tax Department, with recommendations to improve the efficiency in the administration of the department, to remove the corruption and save the assessee from harassment thus leading to quick assessment and better results in revenue collections."

["यह सभा यह सिफारिश करती है कि सात सदस्यों की एक समिति, जिसमें कम से कम चार सदस्य संसद् के हों, बनाई जाये और वह समिति छः महीने के भीतर आय-कर विभाग की जांच करे और उसके कार्य के सम्बन्ध में इस सभा को प्रतिवेदन दे तथा यह सिफारिश करे कि इस विभाग की प्रशासकीय कार्य-क्षमता कैसे बढ़ायी जा सकती है, भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जा सकता है, और निर्धार्य को कैसे परेशानी से बचाया जा सकता है जिससे कि शीघ्रता से कर के निर्धारण तथा राजस्व-संग्रह में अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकें।"]

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित संकल्प रखा जाय :

"This House recommends that a Committee consisting of seven members, two of whom should be members of Parliament, one of whom should be Inspector General of Police, one of whom should be a retired Judge of the High Court, one of whom should be a representative of

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री डी० सी० शर्मा]

businessmen, one a representative of salaried classes and one a retired Income-Tax Commissioner and presided over by the Finance Minister, Government of India should be constituted to inquire into the working of the Income-Tax Department and submit its report within eight months."

["यह सभा सिफारिश करती है कि सात सदस्यों की एक समिति, जिसमें दो सदस्य संसद् के हों, एक पुलिस महानिरीक्षक, (इन्स्पेक्टर जनरल) हो और एक उच्च न्यायालय का निवृत्ति प्राप्त न्यायाधीश हो, एक व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि हो, एक वेतन-भोगी वर्ग का प्रतिनिधि हो और एक निवृत्ति प्राप्त आय-कर आयुक्त हो, और जिसका अध्यक्ष भारत सरकार का वित्त मंत्री हो, बनाई जानी चाहिये जो आय-कर विभाग के कार्य की जांच करे और आठ महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन दे।"]

†**सभापति महोदय** : ये दोनों संशोधन भी सभा के सामने हैं।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। यदि यह संकल्प स्वीकार हो जाता है तो योजना के लिये पर्याप्त धन उगाहने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मैं श्री कालडर से सहमत नहीं हूं कि २०० या ३०० करोड़ रुपये का अपवंचन हुआ है। मेरा अनुमान है कि अपवंचन लगभग १,००० करोड़ रुपये का है। यदि मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार यह अपवंचन होता है तो आप आश्चर्य में पड़ जायेंगे।

मैं एक आय-कर पदाधिकारी का नाम जानता हूं जो अब मर चुके हैं, वह निर्धार्य व्यक्तियों को अपने पास बुलाते थे और उनसे कहते थे कि वह उनके द्वारा बताये गये व्यक्ति को अपना वकील बनायें। वह वकील उस पदाधिकारी से बातचीत करके १० या ५ तोले सोने पर सारा मामला दबा या सुलझा दिया करते थे। मैं यह नहीं कहता कि सभी आय-कर पदाधिकारी ऐसे ही हैं; कुछ बहुत ईमानदार भी हैं। इस विभाग का काम बहुत बढ़ गया है। ब्राह्मण जो शादी-व्याह के समय पर १,००० रुपये तक कमाते हैं उन पर कर क्यों नहीं लगाया जाता। देहाती औरतें गहनें पहनती हैं उन पर भी कोई कर नहीं लगाया जाता। इस प्रकार कर अपवंचन और राजस्व की हानि होती है। लोग आय-कर से बचने के लिये काफी धन दान देना पसंद करते हैं, पर आय-कर पदाधिकारी के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि आय-कर पदाधिकारी सब को बेईमान समझता है और लोगों द्वारा बताई गयी आय में २५ प्रतिशत अवश्य जोड़ देता है। और जब तक उस पदाधिकारी को रिश्वत नहीं मिलती वह किसी बात की चिन्ता नहीं करता।

अभी कल मैं एक मुअक्किल का हिसाब देख रहा था। उसने मुख्य मद में १८,००० रुपये रखा था और उपमदों में उनका योग ३८,००० रुपये था। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार आय-कर पदाधिकारी ने उसके लेखा को ठीक बता दिया। उसने बताया कि साहब उल्लू बनाने का यही तरीका है। उसने उस मद पर कोई आय-कर नहीं दिया। स्पष्ट है कि आय-कर पदाधिकारी अपना कर्त्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे हैं। हमें इस विभाग की कार्य प्रणाली का सुधार करना चाहिये ताकि देश का भला हो सके।

आय-कर पदाधिकारी के अधिकार अपीलीय प्राधिकारियों के अधिकार से अधिक हैं। वह किसी को भी परेशान कर सकते हैं। एक बार एक आय-कर पदाधिकारी ने एक व्यापारी को केवल इस लिय परशान किया कि उसने उनको मांगने पर कार नहीं दी थी। उस व्यापारी पर ८ लाख रुपये कर निर्धारित कर दिया गया। बाद में न्यायाधिकरण में जाकर वह घटाकर १,७९,००० रुपये कर दिया गया। ऐसी अवस्था में अनेक लोग जो ईमानदारी से कर देना चाहते हैं वह भी घबराते

†मूल अंग्रेजी में।

हैं कि कहीं उन्हें यों ही परेशान न किया जाये। इससे देश को राजस्व की हानि होती है। अतः श्री कामत की मांग के अनुसार एक जांच समिति बिठाई जाय।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : आज जब हम देश में सभी गतिविधियों के सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण पैदा करने जा रहे हैं तो हमें आय-कर विभाग तथा उसके पदाधिकारियों में भी उचित सुधार करना चाहिये। मैं जब अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूं तो लोग मुझ से आय-कर विभाग की शिकायत करते हैं। मैं आयकर विभाग को बिल्कुल भ्रष्ट मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि उसमें अच्छे-बुरे और ईमानदार-बेईमान सभी प्रकार के प्राधिकारी हैं। पर मैं आय-कर विभाग के बारे में कुछ सुधार करने की बात कहना चाहता हूं। आज आय-कर पदाधिकारी चार्ल्स द्वितीय की भांति व्यवहार करता है। वह समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह अपने को एक भद्र व्यक्ति सिद्ध नहीं करता, सज्जन व्यक्ति नहीं है। अतः इन पदाधिकारियों को एक नया दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है। यदि आप अपने चुनाव क्षेत्र में जायेंगे तो आपको यह शिकायत सुनने को मिलेगी कि इन पदाधिकारियों का व्यवहार किसी के साथ ठीक नहीं है। लोग अपने लेखाओं को लेकर जाते हैं और उनको दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन के लिये लौटा दिया जाता है। इस प्रकार अनगिनत बार वह उनके दफ्तर से लौटते हैं और उनका काम पूरा नहीं होता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आय-कर विभाग में भी आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये।

हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कर-अपवंचन में बड़ा मजा आता है। हमारे वित्त मंत्रालय में एक सज्जन इस बात में बड़े निपुण थे कि ऐसी रकमों का कैसे पता लगाया जाय जिन पर कर का अपवंचन किया जाता है। कर-अपवंचन का कार्य या तो व्यापारी लोग जान बूझ कर करते हैं या आय-कर विभाग के लोगों की सांठ-गांठ से करते हैं। पर ऐसा होता ही क्यों है? जब मैं प्रथम सत्र में यहां आया तो एक मंत्री महोदय ने बताया कि व्यापारी लोग दो लेखे रखते हैं। पर प्रश्न यह है कि इसका क्या कारण है? इसका कारण केवल यही है कि हमारे आय-कर विभाग के पदाधिकारी कुछ ऐसे पुराने ढंग से कर का निर्धारण करते हैं; उनके लेखा परीक्षण का ढंग भी पुराना है और वे पुराने ढंग से ही मामलों का अध्ययन करते हैं।

†**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अभी और समय लेंगे। वह अपना भाषण अगले दिन जारी करेंगे। अब हम अन्य कार्यवाही करेंगे।

गन्ना

†**डा० राम सुभग सिंह** (शाहबाद दक्षिण) : मैं बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के गन्ना-उत्पादकों के प्रति घोर अन्याय की ओर सरकार का और सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिलों की मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति और सरकार की लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि ३५० लाख मन गन्ना अब भी खेतों में पड़ा सूख रहा है और उसके पेरे जाने की संभावना कम होती जा रही है। इसके अतिरिक्त उत्पादकों को फसल काटने, माल ढोने आदि में काफी खर्च करना पड़ता है और उन्हें सिंचाई के लिये अधिक मूल्य देने के लिये भी कहा जाता है। इन सब कठिनाइयों के होते हुए बिहार के गन्ना उत्पादकों को सरकार ने आदेश दिया है कि मिलों को दिये जाने वाले गन्ने के लिये वे तीन आने प्रति मन कम मूल्य लें। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सरकार ने ८ मई से गन्ने का मूल्य उससे निकलने वाली चीनी के आधार पर निश्चित करने का विचार प्रकट किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० राम सुभग सिंह]

गन्ने का मूल्य उससे निकलने वाली चीनी के आधार पर निश्चित करने की यह प्रथा १९५१-५२ में प्रारम्भ हुई थी । उस वर्ष गन्ने का मूल्य १-५-५२ से घटा कर ८ आने प्रति-मन कम और १-६-५२ से घटा कर ११ आने ६ पाई प्रतिमन कम कर दिया गया था । इस कारण उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को २ करोड़ रुपये का घाटा सहना पड़ा । इस से वे हतोत्साह हो गये और उस वर्ष कम गन्ना बोया गया । आगे नवम्बर १९५२ में गन्ने का मूल्य २५ प्रतिशत कम कर दिया गया । उस समय सरकार ने गन्ना-उत्पादकों के लागत-मूल्य पर विचार नहीं किया और न चीनी के मूल्य में कोई अनुपातिक कटौती की । इन सब बातों से वास्तव में गन्ना उत्पादकों पर कुठाराघात हुआ और वर्ष १९५३-५४ में गन्ने का उत्पादन बहुत कम रहा । परिणाम यह हुआ कि हमें १९५२-५३ में ५९ लाख टन चीनी और १९५३-५४ में ७·१६ लाख टन चीनी और खंड-सारी आयात करनी पड़ी । खंडसारी खास कर इसलिये आयात की गयी कि मिलें चलती रहें अन्यथा वे बंद हो जातीं । उस समय योजना आयोग, सरकार और मिल मालिक, सभी ने यह अनुभव किया कि यदि गन्नों का उत्पादन इसी प्रकार धीरे-धीरे कम होता जायेगा तो उन्हें अपनी मिलें बंद करनी पड़ेंगी । इसलिये गन्ने का मूल्य दो आने बढ़ा दिया गया । उस समय यह घोषणा की गयी कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य फसल काटने के मौसम के एक वर्ष पूर्व ही घोषित किया जायगा जिससे कि गन्ना बोते समय गन्ना उत्पादक को यह मालूम हो कि उसे क्या मूल्य मिलेगा । इन सब बातों के कारण १९५३ में गन्ना उत्पादन बढ़ गया, १९५३-५४ में आयात ५·६८ लाख टन हो गया और १९५४-५५ में आयात ·५९ लाख टन था ।

१९५५-५६ में, इस मौसम में, गन्ना उत्पादन और कम हो गया है । सरकार का अनुमान है कि चीनी का उत्पादन लगभग १८ लाख टन से अधिक होगा और विदेशों से कोई आयात नहीं होगा इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि उत्पादन बढ़ाने में गन्ना उत्पादकों ने अपना काम पूरा किया है किन्तु मिल वालों ने और सरकार ने आशा पूरी नहीं की क्योंकि अब भी काफी गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है । यदि सरकार सतर्क रहती और मिलों को पेराई की पूरी क्षमता का उपयोग करने का आदेश देती तो बिहार का सारा गन्ना १२० दिनों में पेरा जा सकता था । किन्तु मिलों को अपना मुनाफा बनाने की चिन्ता थी । और सरकार इस ओर ध्यान देने में असमर्थ रही कि मिलों में पेराई की क्षमता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ।

परिणाम यह हुआ कि और अधिक रियायत पाने के उद्देश्य से मिलों ने पेराई में देर लगायी और सरकार ने वह रियायत उन्हें दी । मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि सरकार ८ आने प्रति मन दाम घटाने का विचार कर रही है । जो बिहार में किया गया वही उत्तर प्रदेश में दोहराया जा रहा है । बिहार और उत्तर प्रदेश में आज करीब २१ लाख मन गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है । चीनी उत्पादन के आधार पर गन्ने का मूल्य लागू करने का मिल वालों का दृष्टिकोण सरकार ने मान लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन के आधार पर मूल्य तय करने की कौन सी प्रणाली है । फिर गन्ने की किस्म और चीनी का उत्पादन किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा? अब मिल वाले अपना खुद का गन्ना पेर रहे हैं । इस प्रकार मिलों की प्रतिस्पर्धा से ४० लाख गन्ना उत्पादक बरबाद हो जायेंगे ।

दूसरी बात यह है कि चीनी कारखाने आज इस कारण विद्यमान हैं कि १९३२ में और बाद के वर्षों में उन्हें संरक्षण दिया गया था और वे जनोपयोगी संस्थाओं के तौर पर हैं । सरकार को उन्हें यह आदेश देना चाहिये था कि वे खेतों का गन्ना लें और सभी गन्ना पेरें, और सरकार को इस ओर विशष ध्यान देना चाहिये था कि मिलें पूरी क्षमता से काम करें । किन्तु मैंने खुद देखा है कि किस प्रकार काम चल रहा है और किस प्रकार गन्ना पड़ा हुआ है । पहले तो मिल वालों ने अधिक गन्ना उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया किन्तु अब वे इसलिये गन्ना नहीं उठा रहे हैं कि उन्हें अधिक

रियायत मिले और गन्ने का मूल्य कम कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसी मिलों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही कर सकती है। मुझे बाध्य होकर कहना पड़ता है कि सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सभी क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों को मिलों की दया पर छोड़ दिया है।

†**श्री गोपाल राव** (गुडिवाडा) : पिछले कई वर्षों से दक्षिण में सूत्र की पद्धति किस प्रकार कार्यान्वित की जा रही है? क्या यह सच है कि कुछ मिल मालिकों ने स्वीकृत सूत्र अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित करने और किसानों के प्रति न्याय करने से इनकार कर दिया है और यदि हां, तो उन क्षेत्रों में किसानों के प्रति न्याय करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त गन्ना विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में क्या मुख्य सिफारिशें हैं?

क्या सरकार को जानकारी है कि मिल मालिकों ने पिछले तीन चार वर्षों में बहुत मुनाफा कमाया है?

क्या पिछले तीन वर्षों में अपनायी गयी उस नीति का सरकार ने पुनर्विलोकन किया है, जिसके कारण खासकर गन्ना उत्पादकों को और चीनी उद्योग को हानि हुई है जिसके फलस्वरूप बाहर से चीनी का आयात हुआ?

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिसम्बर के पहले सप्ताह में क्या मिलों ने गन्ना नहीं पेरा और इस मौसम में वास्तव में कब से उन्हों ने गन्ना पेरना प्रारम्भ किया?

†**सरदार लाल सिंह** (फीरोजपुर—लुधियाना) : क्या सरकार ने इन मिलों को गन्ने का मूल्य घटाने अथवा उससे निकलने वाली चीनी के आधार पर मूल्य तय करने की अनुमति दी है? यदि ऐसी बात है तो उससे किसानों को भारी क्षति होगी।

क्या माननीय मंत्री ने इस बात पर विचार किया है कि गन्ना देर से दिये जाने के कारण गन्ना उत्पादक को घाटा उठाना पड़ता है यद्यपि उसे पूरा न्यूनतम मूल्य दिया जाये? गन्ना देर से दिये जाने के कारण उत्पादक को २५ प्रतिशत हानि उठानी पड़ती है। फिर मौसम में इतनी देर से गन्ना काटने पर अगले वर्ष की फसल में उसे घाटा होता है। इसके अतिरिक्त आगे रबी फसल की कटाई के कारण उस समय गन्ना काटने के लिये उसे बहुत अधिक मजदूरी देनी पड़ती है। अतः कम मूल्य दिये जाने के लिये मिलों को अनुमति देने के पूर्व क्या वे इन बातों पर विचार करेंगे?

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गत दो वर्षों को छोड़कर देश में गन्ने के उत्पादन में बराबर वृद्धि होती रही है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की कल्पना है, क्या कारण है कि चीनी मिलों के इस प्रकार उपयोग की योजना बनाना सरकार के लिये सम्भव नहीं हुआ कि गन्ना उत्पादकों को कोई कठिनाई न हो?

बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में, उनके राज्य अधिनियमों के अनुसार एक निश्चित तिथि के बाद राज्य सरकारों को गन्ने का मूल्य कम करने का अधिकार प्राप्त है। उस उपबन्ध को देखते हुए क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि वह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी प्रकार चीनी मिल मालिकों पर कुछ दायित्व रखने की शक्ति प्राप्त करे जिससे उत्पादकों के लिये ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न न हों।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : जिस प्रकार काश्तकार अपने गन्ने को बाहर नहीं भेज सकता है और वह अपने क्षेत्र की मिल को गन्ना देने के लिये बाध्य है, क्या उसी प्रकार गन्ने की प्राइस (मूल्य) मुकर्रर करते समय काश्तकार को यह बता देना और यह निश्चित कर देना मुनासिब नहीं होगा कि उसके क्षेत्र का गन्ना जिस मिल को जाता है, वह मिल उसको लेने के लिये बाध्य होगी ? अन्यथा काश्तकार को भी अपना गन्ना बाहर देने का अधिकार होना चाहिये ।

जिस वक्त गवर्नमेंट कोई प्राइस फिक्स (मूल्य निर्धारित) करती है, तो वह यह एनाउंस (घोषणा) नहीं करती कि अमुक दिन के बाद गन्ने की कीमत कम हो जायेगी । अगर यह व्यवस्था कर दी जाय तो काश्तकार कम गन्ना पैदा करेगा और उसको अपने माल को बेचने की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी ।

सरकार यह व्यवस्था क्यों नहीं करती कि हर एक मिल नवम्बर से चालू की जाय और ३० अप्रैल तक चलने और मिल को कम कीमत देने की नौबत न आये ?

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : क्या यह सही नहीं है कि नार्थ (उत्तर) बिहार में और खास कर चम्पारन में बहुत-सी चीनी मिलें बन्द हो गईं और उनकी ओर से कहा गया कि जो मिलें चल रही हैं, उनका सरप्लस (अतिरक्त) गन्ना हम को दे दिया जाय, परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से किसी योजना के अभाव में गन्ने को तीन आना कम करके लेना पड़ता है ? अगर केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार और मिल वाले अपने टैक्स और मुनाफे को कम कर देते और किसानों से जो तीन आने काटे जा रहे हैं, उनको शेयर करते, तो क्या किसानों को रिलीफ (सहायता) न होता ? क्या यह सही नहीं है कि सरकार की ओर से कोई रिलीफ न होता ? क्या यह सही नहीं है कि सरकार की ओर से कोई योजना प्रस्तुत न होने के कारण ही उनको यह हानि उठानी पड़ी है ?

सरकार कहती है कि ८ मई के बाद रिकवरी (उत्पादन) कम हो जाती है । क्या यह सही नहीं है कि गन्ने के ऊपर पानी देने से रिकवरी (उत्पादन) कम नहीं होती है ? सरकार की ओर से ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं किया गया है ? अगर ऐसा किया जाता तो सरकार को मिल वालों को यह कहने का मौका न मिलता कि रिकवरी (उत्पादन) कम हो गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : चीनी उद्योग और गन्ना पेरने के विषय में बहुत गलत फहमी है । माननीय सदस्यों को यह भूलना नहीं चाहिये कि आर्थिक नियम कठोर होते हैं और बहुत अधिक समय तक उन्हें दबाया नहीं जा सकता ।

चीनी उद्योग की एक विचित्रता यह है कि वह मौसमी उद्योग है और वह असीमित काल तक नहीं चलाया जा सकता । साधारणतया उत्तरी भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों में गन्ना पेरने का मौसम १२० दिन गिना गया है । बिहार में वह और कम है । प्रारम्भिक दशाओं में चीनी का उत्पादन तुलना में कम होता है ।

अक्तूबर के उत्तरार्ध में बिहार में चीनी का उत्पादन केवल ७ प्रतिशत है, नवम्बर में वह ८ से ९ प्रतिशत के बीच में रहता है और औसत ८·२२ प्रतिशत है । यह भी देखा गया है कि ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती है, चीनी का उत्पादन घटता जाता है । साधारणतया ३० अप्रैल के बाद चीनी का उत्पादन कम हो जाता है । ये ऐसा कठोर सत्य है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता ।

चीनी उद्योग का एक यह पहलू ध्यान में रखना होगा कि वह मौसमी उद्योग है । अतः मौसम को छोड़ कर दूसरे समय में गन्ना पेरना राष्ट्रीय हित में नहीं होता । फिर चीनी उद्योग बहुत

†मूल अंग्रेजी में ।

अधिक नियन्त्रित उद्योग है। गन्ने का मूल्य, लागत, मिल मालिक का मुनाफा सभी निश्चित होता है। प्रत्येक नियम और विनियम से नियंत्रित है।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़––पश्चिम व जिला रायबरेली––पूर्व) : क्या प्रत्येक जगह और जहां गन्ना पैदा नहीं होता वहां भी गन्ने का मूल्य निश्चित होता है ? क्या देहरादून मिल के मामले में भी, जहां मिल मालिक उस समय तक मिल चलाने से इनकार कर देता है जब तक कि किसान कम मूल्य पर गन्ना बेचना न चाहें, ऐसा होता है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : हां, सभी क्षेत्रों में। देहरादून के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। बिहार में चीनी की लागत का ब्योरा इस प्रकार है।

१ रुपये ७ आने प्रतिमन की दर से गन्ना उत्पादक को १४ रुपये १० पाई मिलते हैं। एक मन चीनी बनाने की लागत ६ रुपये १५ आने है। उत्पादन शुल्क ४ रुपये २ आने १ पाई है। गन्ना उपकर १ रुपया १३ आने ४ पाई है। सहकारी समिति का कमीशन ३ आने ६ पाई है। मुनाफा १ रुपया १ पाई प्रति मन है। इस प्रकार कुल २८ रुपये २ आने १० पाई होता है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उत्पादन लागत लगभग १६ रुपये किस प्रकार निकाली गयी है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : मैंने १६ रुपये कभी नहीं कहा। मैंने ६ रुपये १५ आने कहा। शीरे की बिक्री से प्राप्त दाम १ आने ६ पाई है। अतः इस दर से चीनी का वास्तविक मूल्य २८ रुपये १ आना ४ पाई होता है।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि यदि ऊंचे दाम पर चीनी बेची जाती है तो प्रभावी सूत्र के अनुसार, जो दक्षिण में सिस्मा सूत्र और उत्तर में लाभ-विभाजन सूत्र के नाम से प्रचलित हैं, ऊंचे दाम पर चीनी की बिक्री के कारण मिल मालिक को प्राप्त अतिरिक्त धन मिल मालिक और गन्ना उत्पादक में बराबरी से बांट दिया जायगा।

इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि गन्ना उत्पादक और मिल मालिक का अंश, उत्पादन शुल्क, उपकर आदि निश्चित है। लागत मूल्य भी निकाला गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि उत्पादन १०·२३ प्रतिशत से कम हो, जबकि यह लागत १०·२३ प्रतिशत उत्पादन के आधार पर निकाली गयी है, तब चीनी उत्पादन लाभदायक नहीं होता यदि वह २८ रुपये १ आना ४ पाई पर बेची जाती है।

श्री विभूति मिश्र : अगर इससे ज्यादा हो ?

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ––दक्षिण) : उसमें हिस्सा मिल जायेगा।

†**श्री ए० पी० जैन** : मुझे खेद है कि ये अन्तर्बाधायें हो रही हैं क्योंकि माननीय सदस्य मेरी बात समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। मैंने कहा है कि यदि चीनी अधिक मूल्य पर बिकती है, तो मिल को जो भी मूल्य मिलता है, वह दक्षिण में सिस्मा सूत्र और उत्तर में लाभ में हिस्सा दिये जाने की योजना के अन्तर्गत बांट दिया जाता है। चीनी के तैयार करने का व्यय इस प्रकार बंटा हुआ है कि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा घाटा हो जाये तो उसका प्रभाव किसी न किसी व्यक्ति पर पड़े बिना नहीं रह सकता। और यह घाटा सहने वाले तीन ही व्यक्ति हो सकते हैं। पहला गन्ना उत्पन्न करने वाला किसान, दूसरा सरकार जो कि चीनी पर उत्पादन शुल्क आदि लेती है, और तीसरा मिल मालिक।

†**श्री फीरोज गांधी** : कभी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ए० पी० जैन** : जहां तक मिल मालिक का सम्बन्ध है, उसे केवल थोड़ी सी ही हानि सहन करनी पड़ती है क्योंकि उसे कुल लागत का ३·५ प्रतिशत अर्थात् १ रुपया १ पाई प्रतिमन लाभ होता है। आप उससे इससे अधिक की आशा नहीं कर सकते हैं। उसे तभी हानि होती है जब वह ऐसे समय पर चीनी तैयार करता है जबकि उसकी कीमतें घट रही हों।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हमने अभी हाल ही में द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की है। इस योजना में हमने करों द्वारा प्राप्त होने वाली प्रत्येक पाई का हिसाब लगा लिया है। सरकार ने गन्ने की काश्त के विकास के लिये ५ करोड़ रुपये की राशि निश्चित की है। अब क्योंकि यह प्रश्न विशेषतया एक कांग्रेसी सदस्य द्वारा उठाया गया है, अतः वह ही स्वयं वित्त मंत्री से कह सकते हैं कि "हम पंचवर्षीय योजना आदि कुछ नहीं चलाना चाहते हैं। हानि होती है तो होने दो। सरकार को राजस्व नहीं मिलता तो न मिले। किन्तु हमें गन्ने के पूरे मूल्य चुकाने चाहियें। आप चीनी का उत्पादन शुल्क घटा सकते हैं"।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रस्ताव आया था। तब मैंने यह मामला अपने हाथ में लिया था। तब मुझे यह ज्ञात हुआ था कि चीनी का उत्पादन-शुल्क घटाया नहीं जा सकता है। अतः यह जो तरीका अपनाया जा रहा है यह उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं अपनाया जा रहा है। १९५१ से १९५५ तक हर बार प्रतिवर्ष यही तरीका अपनाया जाता रहा है। हां, बिहार में अवश्य यह पहली बार अपनाया जा रहा है।

वास्तव में अर्थशास्त्र के यह नियम बड़े अचूक हैं। अगर मिल मालिक को घाटा होता हो अथवा लाभ न दीखता हो तो हम उसे काम करने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। यदि वसूली कम हो जाती तो आप चाहे कुछ भी करें, कितनी भी विधियां बनायें, मगर आप उसे फैक्टरी चलाने के लिये मजबूर नहीं कर सकते हैं।

अतः स्थिति इस प्रकार है। लागत के ढांचे की दृष्टि स दखने पर एक एसा समय आ जाता है जब कि हमारे सामने दो विकल्प रह जात हैं। या तो हम गन्ने की कीमत घटा दें अथवा मिल बंद हो जाये और गन्ने को जला दिया जाये। हमने हमेशा इसी चीज़ को लाभदायक समझा है, और कई वर्ष तक हमने इसी रीति का अनुसरण भी किया है, कि किसी एक निश्चित तिथि के बाद गन्ने के मूल्य तथा वसूली को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाये। किन्तु बिहार के माननीय सदस्यों को यह बुरा लग रहा है। इसलिये कि यह सूत्र बिहार में पहली ही बार लागू किया जा रहा है। इससे पहले बिहार में इसकी आवश्यकता ही नहीं होती थी क्योंकि वहां पर इतना गन्ना नहीं होता था जो कि उस तिथि के बाद तक चलता रहता हो जबकि उसके मूल्यों में कमी होनी शुरू हो जाती है। इस वर्ष बिहार की सरकार ने यह सिफारिश की थी कि गन्ने के मूल्य में ३ आने प्रतिमन की कमी कर दी जाये। हमारा विचार यह था कि वहां पर उत्तर प्रदेश वाला सूत्र प्रयुक्त किया जाये अर्थात् उसका मूल्य बाद में उससे निकलने वाली चीनी के आधार पर दिया जाये। इससे विभिन्न प्रकार के गन्ना उत्पादकों को अधिक लाभ हो सकता था। कई अवस्थाओं में उसका मूल्य ३ आने से कम गिरता था। कईयों में ३ आने से अधिक भी। किन्तु बिहार की सरकार ने कहा कि उनके किसान इस चीज़ के आदी नहीं हैं। अतः वह सीधे ३ आने भाव घटाने को ही अच्छा समझती है। हमने उसकी बात मान ली है।

डा० राम सुभग सिंह जी ने एक और प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि मिल मालिकों ने बहुत देर से गन्ना पेरना आरम्भ किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० राम सुभग सिंह** : देर से नहीं, मैंने यह कहा था कि उन्होंने इस मौसम में अपनी मिलों की पूर्ण क्षमता को गन्ना पेरने में नहीं लगाया है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैंने इसकी पहले ही व्याख्या कर दी है । जब गन्ने से कम चीनी निकलती हो उस समय गन्ना पेरना फ़ायदेमन्द नहीं रहता खास तौर पर साल के शुरू में अथवा अन्त में । भविष्य के लिये मैं ऐसा करने का विचार रखता हूं कि न तो कोई जल्दी ही गन्ना पेरे और न देरी में ।

†**श्री सारंगधर दास** : उन्होंने वास्तव में कब गन्ना पेरा था ?

†**श्री ए० पी० जैन** : बिहार की चीनी मिलों ने इस सम्बन्ध में कुछ शरारत की है । १९५३-५४ में केवल १७ मिलें ऐसी थीं जिन्होंने १५ दिसम्बर से पहले गन्ना पेरना प्रारम्भ किया था, १९५४-५५ में ऐसी मिलों की संख्या ९ थी किन्तु १९५५-५६ में २८ मिलों में से २६ ऐसी थीं जिन्होंने १५ दिसम्बर के पहले गन्ना पेरना शुरू कर दिया और इनमें ११ मिलें ऐसी थीं जिन्होंने ३० नवम्बर से पहले ही यह कार्य शुरू कर दिया था ? किन्तु इस वर्ष एक भी ऐसी मिल नहीं है जिसने पिछले दो वर्षों की अपेक्षा जल्दी गन्ना पेरना प्रारम्भ किया हो ।

जहां तक कीमत में कमी करने का प्रश्न है, इन २८ मिलों में से १० मिलों नें ३० अप्रैल से पहले ही काम बंद कर दिया था और ७ मिलों ने ३० अप्रैल और ८ मई के बीच । इसका यह अर्थ है कि इन १७ मिलों पर कीमत कम होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । केवल शेष ११ मिलों पर ही इस का प्रभाव पड़ा है । इनमें से भी ६ मिलों ने १५ मई से पहले काम बंद कर दिया था और ३ मिलों ने सम्भवतः २५ मई तक । मुझे इसकी अस्थायी सूचना ही मिली है पक्का पता नहीं । इस प्रकार रीगा और समस्तीपुर की दो ही ऐसी मिलें थीं जिन्हों ने शायद इस तारीख के बाद भी काम जारी रखा हो । पिछले वर्ष ७ मई तक कुल २२·०१ लाख टन गन्ना पेरा गया था । किन्तु इसी अवधि में इस वर्ष ३१·५८ लाख टन गन्ना पेरा गया है । केवल ·७५ लाख टन ही गन्ना शेष बचा है जो नहीं पेरा जा सका है । यह बिहार में पेरे जाने वाले कुल गन्ने का केवल २·२ प्रतिशत ही है । मैंने यह समझने की कोशिश की है कि मिल मालिक ऐसी परिस्थिति में क्या शरारत कर सकते हैं ? लेकिन हम उन्हें इस मामले में दोषी नहीं ठहरा सकते । गन्ने की कीमत ऐसी है कि इससे किसान को बड़ा लाभ होता है । खाद्यान्नों तथा अन्य फसलों की अपेक्षा किसान को इसमें अधिक लाभ होता है । लेकिन यह लाभ केवल फैक्टरी के आसपास के क्षेत्रों म ही होता है । आज भी जब कि एक व्यक्ति को एक फैक्टरी से एक मन के १ रुपया ७ आने मिलते हैं, जब वह व्यक्ति खुद उस गन्ने को पेर कर उसका गुड़ बनाता है तो उसे केवल १३ या १४ आने मन ही पड़ता है । यह एक बड़ी विचित्र बात है कि एक किसान को तो एक मन के १ रुपया ७ आने मिलें और उसके साथ के खेत वाले किसान को जो कि खुद गुड़ बनाता है मन के केवल १३ या १४ आने ही मिलें । यही कारण है कि फैक्टरी क्षेत्रों के किसान अधिकाधिक गन्ना उपजाने की कोशिश करते हैं ।

मैं पहले ही राज्य-सरकार को यह सलाह दे चुका हूं कि इन क्षेत्रों का पुनरीक्षण होना चाहिये और इनको इस ढंग से बनाना चाहिये कि एक ज़ोन उतने ही क्षेत्रफल तक रहे जितने में कि एक मिल के पेरने के बराबर गन्ना उपलब्ध हो सके । मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि गन्ना उत्पादकों को ८ मई, १९५६ के बाद पेरे गये गन्ने पर प्रति मन कुछ आने कम मूल्य मिल रहा है । किन्तु यदि वे गुड़ बनाते तो उन्हें जो कुछ इस समय मिल रहा है शायद उससे भी कम मिलता । मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह परामर्श दिया है कि वह क्षेत्रों को दोबारा बनाये ताकि प्रत्येक क्षेत्र उतना ही गन्ना उत्पन्न करे जो कि मिल के पेरने के लिये पर्याप्त हो । मैं बिहार सरकार को भी यही परामर्श देना चाहता हूं । क्योंकि अब हमारे पास एक यही विकल्प बचा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सभापति महोदय** : क्या बड़े क्षेत्र बनाना अधिक अच्छा नहीं रहेगा, जिससे कि मिलों को अधिक गन्ना मिल सके ?

†**श्री फीरोज़ गांधी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री ए० पी० जैन** : आपने देहरादून के मामले का उल्लेख किया था। यह गन्ने की उपज के लिये अच्छा क्षेत्र नहीं है। वहां पर एक मिल तो है लेकिन उसे मिल न कहना ही अच्छा है। यह बड़ी घटिया किस्म की पुरानी मिल है। इस वर्ष वहां के मिल मालिक ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह नोटिस दिया था कि वह गन्ना नहीं पेरेगा। देहरादून एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कभी भी गुड़ नहीं बनाया गया है और न वहां के लोग गुड़ बनाना जानते हैं। यू० पी० सरकार ने उसे समझौता करने के लिये कहा। किन्तु उसने कहा वह तभी गन्ना पेरेगा जब गन्ने का भाव २ आने प्रति मन कम कर दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश हमें भेजी। हमने यह देखने के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया कि क्या और भी कोई विकल्प हो सकता है। तब हमें यह पता लगा कि इसका कोई विकल्प नहीं है। या तो हम सारे गन्ने को नष्ट होने देते या हम उसकी कीमत घटा कर मिल को चालू करवाते। हमने दोनों में से अक्लमन्दी का मार्ग ग्रहण किया अर्थात् कीमत घटा कर मिल को चालू करवा दिया। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस मिल ने अब एक वर्ष पहले ही फिर से यह नोटिस दे दिया है कि वह अगले वर्ष गन्ना नहीं पेरेगी। और अब मुझे इस चीज़ की फिक्र लग रही है कि अगले वर्ष क्या किया जायेगा।

श्री विभूति मिश्र : सरकार इसको ले क्यों नहीं लेती ?

†**श्री फीरोज़ गांधी** : इसे ले लेना चाहिये।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं मिल लेने को तैयार हूं लेकिन इस शर्त पर कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने से निकलने वाली चीनी के आधार पर ही गन्ने का मूल्य दिया जायेगा। यह मिल लाभालाभ आधार पर चलेगी। अतः गन्ने की कीमत १ रुपया ५ आने से भी बहुत कम भी हो सकती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २६ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २५ मई, १९५६]

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ... ३९६३–६४

श्री ए० के० गोपालन ने काजू के कारखानों में तालाबन्दी की ओर ध्यान दिलाया ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने उसके बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया और त्रावनकोर-कोचीन की सरकार के पास से सूचना प्राप्त होने पर आगे एक और वक्तव्य देने का वचन दिया ।

सरकारी संकल्प चर्चाधीन ३९६४–७०, ३९७१–९४

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्तुत किये गये संकल्प पर आगे और चर्चा जारी रखी गयी । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ३९९४

चौवनवां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प, स्थानापन्न रूप में स्वीकृत ... ३९९४–४००७

व्यक्ति की अधिकतम आय के बारे में श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर आगे चर्चा जारी रखी गयी । श्री भागवत झा आजाद द्वारा प्रस्तुत किया गया एक स्थानापन्न संकल्प स्वीकार किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प चर्चाधीन ... ४००८–१३

आय-कर विभाग के कार्य की जांच के बारे में श्री कामत के संकल्प पर चर्चा आरम्भ की गयी । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घण्टे की चर्चा ... ४०१३–२०

डा० राम सुभग सिंह ने १० मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २१०६ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा चलाई ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

शनिवार, २६ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प पर और आगे चर्चा ।

M144LSD—190—17-1-58—GIPF.